खण्ड-241, अंक-9
गुरूवार, 14 चैत्र, शक संवत् 1885
(4 अप्रैल, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 241 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

प्रमाणित प्रति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ४ अप्रैल, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५३

अक्षयबर्रासिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा प्रसाद वर्मा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
एस ० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण द्विवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री

बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारी लाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बर्नासिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
बिजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री

सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ४ अप्रैल, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ यूनिवर्सिटी होस्टल में झगड़ा

**१—श्री विश्वनाथ प्रसाद (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित) तथा श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों पर परीक्षा को जाते समय प्राणघातक हमला किया गया जिसकी नामजद रिपोर्ट, २० मार्च को की गयी, और क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

दिनांक २०-३-६२ को लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों पर परीक्षा हेतु जाते समय किसी प्रकार के आक्रमण होने की सूचना संबंधित थाने में प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

**२—श्री विश्वनाथप्रसाद (अनुपस्थित) तथा श्री लोकपालसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन बदमाशों के खिलाफ पहले ही से रिपोर्ट दर्ज हैं और क्या यह भी सच है कि एक रिटायर्ड डी० एस० पी०, जो महानगर, लखनऊ में रहते हैं, इस गिरोह के लीडर हैं ?

श्री नवलकिशोर—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लोकपालसिंह—

यदि घटना नहीं हुई तो प्रेमनारायण मिश्रा की गिरफ्तारी ३-४-६३ को किस सिलसिले में हुई ?

श्री नवलकिशोर—

इसकी सूचना नहीं है कि किस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। सवाल यह था कि विश्वविद्यालय के जो स्टूडेन्ट्स हैं उन पर फैटल अटैक हुआ या नहीं हुआ।

श्री लोकपालसिंह—

मुझे सूचना यह है कि ३-४-६३ को प्रेमनारायण मिश्रा की गिरफ्तारी हुई और इस घटना की रिपोर्ट भी लिख दी गयी और इसी सम्बन्ध में यह गिरफ्तारी हुई।

श्री नवलकिशोर—

अगर आप आज्ञा दें तो थोड़ा सा बता दूं। यह जो उन्होंने प्रश्न भेजा है वह सही नहीं है। उस तारीख को एक लड़का महेन्द्रप्रताप सिंह ने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि जब वह अपने कमरे पर गया तब उसके कमरे में दो विद्यार्थी सो रहे थे। जब उसने उनसे पूछा कि तुम कैसे आ गये तब एक विद्यार्थी और आया और उन सबने उसको पीटा और तलवार से उस पर हमला किया। तो मु० न० १०६, दफा ३२४, भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखी गयी और दूसरे जो स्टूडेन्ट्स थे उन्होंने भी एक काउन्टर रिपोर्ट लिखाई। तो सवाल यह था कि एग्जामिनेशन के लिए जाते वक्त कुछ नहीं हुआ, होस्टल में झगड़ा हुआ चुनांचे रिपोर्ट लिखायी गई और इंक्वायरी हो रही है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

जैसा कि उन्होंने उत्तर में इंकार किया है कि २० तारीख को घटना नहीं हुई तो क्या ३० तारीख को विद्यार्थियों पर हमला हुआ और धारदार आले से चोटें आयीं ?

श्री नवलकिशोर—

मैंने अर्ज किया कि एग्जामिनेशन में जाते वक्त कुछ नहीं हुआ। वारदातें दोनों होस्टल की हैं। एक को कहा जाता है कि १९ की है और एक को कहा जाता है कि २० की है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सवाल की जांच-पड़ताल के दौरान में सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर और उसके बाहर कुछ गुंडों के ऐसे गिरोह हैं जिनका आपस में संबंध है और वह विद्यार्थियों के साथ मारपीट करने में, लड़कियों को छेड़ने में गुंडई का काम करते रहते हैं जिससे कुछ पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों का संबंध है—किसी स्टेज पर मंत्री जी को जानकारी हुई ?

श्री नवलकिशोर—

इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि गुंडों का गिरोह है, लेकिन लड़कियों की छेड़खानी की शिकायतें समय-समय पर आती रहती हैं, जांच होती है और ऐक्शन भी होता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अभी मंत्री जी ने बताया कि होस्टल के अन्दर घटना हुई, तो उसके संबंध में कोई अभी तक गिरफ्तारी की जा सकी है ?

श्री नवलकिशोर—

इन दोनों अपराधों के संबंध में महेन्द्र प्रताप तथा कृष्ण कान्त दीक्षित को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया वहां से जमानत पर छोड़ दिया गया है और बाकी जांच अभी हो रही है।

'समाचार भारती,, संस्था

**३—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि "समाचार भारती" नामक संस्था को सरकार ने कितना रुपया दिया है या देना स्वीकार कर लिया है ?

सूचना राज्यमंत्री (श्री बनारसीदास)—

शासन ने 'समाचार भारती' के कुल पांच लाख रुपये के शेयर्स खरीदने का निश्चय किया है।

**४—श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह सही है कि उक्त संस्था अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं है और उसके देने के लिए सरकार ने डेढ़ लाख रुपया बैंक से निकाल लिया है ?

श्री बनारसीदास—

"समाचार भारती" रजिस्टर्ड है। उसके शेयर्स खरीदने के लिए वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में स्वीकृत डेढ़ लाख रुपया खजाने से निकाला गया है।

श्री नेकराम शर्मा—

इस संस्था के कौन-कौन सदस्य हैं, यह कब रजिस्टर्ड हुई और कहां फंक्शन कर रही है ?

श्री बनारसीदास—

इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। जो हमारे पास पत्र आया है उससे यह पता चलता है कि इसका रजिस्ट्रेशन २० मई, १९६२ से पूर्व हुआ है।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरे पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। निश्चित तारीख जानना चाहता हूं तथा मेम्बर कौन-कौन हैं ?

श्री बनारसीदास—

रजिस्ट्रेशन की निश्चित तारीख की सूचना नहीं है, लेकिन जो उनका पत्र आया था उससे यह पता चलता है कि २० मई से पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके अध्यक्ष भूतपूर्व राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश जी हैं। फिरोज चन्द जी इसके संस्थापकों में से हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

पूरे नाम चाहिये, उसके कौन-कौन डाइरेक्टर्स हैं ?

श्री बनारसीदास—

डाइरेक्टर्स के नाम मेरे पास नहीं हैं।

श्री झारखंडेराय—

जिस संस्था की चर्चा है, वह कौन-सा कार्य करेगी ?

श्री बनारसीदास—

जिस प्रकार से अंग्रेजी में पी० टी० आई० काम करता है उसी तरह से हिन्दी में यह संस्था काम करेगी। हमारे देश में विभिन्न भाषाओं में समाचार प्रसारित करने के लिये इसकी स्थापना की गयी है, लेकिन फिलहाल यह हिन्दी में समाचार प्रसारण का कार्य करेगी।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह सही है कि जिस संस्था ने अभी कार्य करना शुरू भी नहीं किया है उसके लिये सरकार ने ३० तारीख को रुपया निकाला है और उसका पेमेंट भी अभी तक नहीं हुआ है और वह सरकार के पास पड़ा है ? जब इस संस्था ने काम करना शुरू ही नहीं किया है तो यह रुपया क्यों निकाला गया ?

श्री बनारसीदास—

शुरू की यह योजना थी कि ५० लाख की कैपिटल से इसका कार्य शुरू होगा और इसके संस्थापकों ने यह बताया कि करीब २० लाख रुपया केन्द्रीय सरकार देगी तथा २५ लाख के करीब हिन्दी-भाषी प्रदेश देंगे। चूंकि हमारी स्टेट हिन्दी की प्रीमियर स्टेट थी, इसलिये यह व्यवस्था थी कि ५ लाख रुपया हम देंगे। तो यह डेढ़ लाख रुपये की व्यवस्था १९६२-६३ के अनुपूरक बजट में की गयी थी और यह रुपया २९ मार्च को निकाल कर डाइरेक्टर के पर्सनल लेजर में जमा करा दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक में और उसमें यह शर्त है कि जब तक यह सरकार उस रुपये को 'समाचार भारती' को देने के लिये आदेश नहीं देगी, यह रुपया नहीं निकाला जायेगा और यह हम तभी देंगे जब कि केन्द्रीय सरकार भी अपना शेयर खरीद लेगी और स्टेट्स भी तैयार हो जायेंगी।

श्री मारकंडेराय---

जिस संस्था के इतने शेयर्स खरीदने का सरकार का विचार है और डेढ़ लाख रुपया निकाल भी लिया गया है, तो उस संस्था के डाइरेक्टर्स तक के नाम न मालूम होने के क्या कारण हैं ?

श्री बनारसीदास---

हिन्दी में कोई पी० टी० आई० जैसी संस्था नहीं है । इस एजेन्सी के कुछ व्यक्तियों से मुख्य मंत्री की बात हुई थी । फिरोजचन्द जी नाम मैंने खास तौर से बताया ।

(व्यवधान)

जब इस संस्था को संगठित करने के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री की दिल्ली में लाला फीरोजचन्द तथा अन्य पत्रकारों से बातें हुई, तो यह महसूस किया गया कि इस प्रकार की संस्था बननी चाहिये । डाइरेक्टर्स के नाम अभी मेरे पास नहीं है । अभी हमने रुपया भी नहीं दिया है । जब गवर्नमेंट आफ इंडिया और अन्य स्टेट्स तैयार हो जावेंगी, तभी हम यह रुपया रिलीज करेंगे । यदि यह रुपया ६३ में नहीं लिया जाता तो लैप्स हो जाता । सरकार यह चाहती है कि संस्था जल्दी चले । कंसालीडेटेड फंड से रुपया तभी लिया जा सकता है जब कि उसके लिये कोई एक्स्ट्राआर्डिनर्र जरूरत पड़ जाय । इसलिये यह रुपया सरकार के पास ही है । माननीय सदस्य जो अनुपूरक प्रश्न कर रहे हैं, जिस समय बजट पेश था, उनके सामने रखा गया और सदन ने उसे स्वीकृति दी ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि जब संस्था पूर्ण रूप से संगठित नहीं हुई है तो क्या विशेष कारण है जिनकी वजह से उस रुपये को निकाला गया ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि लैप्स न होने पावे, इसलिये निकाला ।

श्री रामकुमार शास्त्री---

ऐसा एक्सेप्शन क्यों किया गया ?

श्री बनारसीदास---

यह एक्सेप्शन नहीं है । प्रायः करके, अगर आडिट रिपोर्ट को देखें, तो वित्तीय वर्ष के अन्त में विभागीय अध्यक्षों के नाम पर्सनल लेजर्स में, डी० एम० के नाम, प्रायः धनराशि निकाल ली जाती है और वह बाद में व्यय होती है । यह साधारण तरीका है । इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि लाला फीरोजचन्द जो मुख्य मंत्री जी से मिले और जिनके प्रार्थना-पत्र पर यह सारा कदम उठाया गया, यह वही सज्जन हैं जो पिछले जनरल इलेक्शन में जनसंघ के टिकट पर दिल्ली से इलेक्शन लड़े और प्रकाशवीर शास्त्री जो इसके अध्यक्ष हैं वह भी जनसंघ समर्थक हैं और पिछली दफा मौलाना अबुलकलाम आजाद से इलेक्शन लड़े थे ?

श्री बनारसीदास---

प्रकाशवीर जी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । जहां तक फीरोजचन्द जी का सम्बन्ध है वह अच्छे पत्रकार रहे हैं । पहले लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित 'पीपुल्स' के वह सम्पादक थे । मुझे चुनाव लड़ने की सूचना नहीं है ।

श्री कल्पनार्थी सिंह (जिला गोरखपुर)---

हिन्दुस्तान में इतनी समाचार एजेंसियां हैं उनके रहते हुए एक नयी समाचार एजेंसी गठित करने की क्या आवश्यकता महसूस हुई जिसके लिये यह रुपया निकाला गया ?

श्री बनारसीदास—

मैं निवेदन कर चुका हूं कि माननीय सदस्यों ने अनुपूरक बजट पास किया है डेढ़ लाख रुपये की व्यवस्था पर। हम वह रुपया 'समाचार भारती' को तभी देंगे जब कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इसके शेयर्स खरीदेगी, दूसरी स्टेट्स भी खरीदेंगी। पंजाब नेशनल बैंक से हमारा इकरारनामा होगा कि वह पैसा गवर्नमेंट आफ यू० पी० का होगा और 'समाचार भारती' का उस पर कोई अधिकार न होगा। ये शर्तें पूरी होने पर ही हम रुपया रिलीज करेंगे।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैंने यह पूछा था कि कौन से आधार भूत सिद्धान्त हैं इतनी समाचार एजेंसियां होते हुए इसके गठित करने के ?

श्री बनारसीदास—

जैसे अंग्रेजी में पी० टी० आई० है, इस तरह की हिन्दी भाषा में काम करने वाली तमाम हिन्दुस्तान में कोई एजेंसी नहीं है। छोटी-छोटी एजेंसियां हैं एक-दो, लेकिन पूरी तरह से टैली-प्रिंटर वगैरह रखने वाली, जैसे पी० टी० आई० है, ऐसी हिन्दी की कोई एजेंसी नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह सही नहीं है कि इसके प्रबन्धक जनसंघी हैं और सूचना विभाग का बजट सदन में डिसकस नहीं हुआ था और माननीय बनारसीदास जी ने उनका नाम और इसने फंकशन करना शुरू कर दिया है या नहीं, यह जान लिया था तब यह रुपया दिया था ?

श्री बनारसीदास—

श्री श्रीप्रकाशजी इसके चेयरमैन हैं। शायद माननीय नेकरामजी को मालूम होगा कि वह जनसंघी हैं या नहीं। यह शार्ट नोटिस क्वेश्चन था, इसलिये अधिक डिटेल नहीं है। ज्यादा इत्तला के लिये प्रश्न को स्थगित करना पड़ता। इसके डाइरेक्टर्स के बारे में प्रति मंगाने के लिये हमने लिखा है। जब वह आ जावेगी तो वह सदन के सामने होगी। अभी तो रुपया देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

तो इस प्रश्न को स्थगित किया जाय। डाइरेक्टर्स आपको मालूम हो जावेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

एक प्रश्न मुझे भी तो करने दीजिये। सरकार की तरफ से क्या पार्टियों के नाम से रुपया दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—

जब सवाल आवेगा तब देखा जायगा।

७ फरवरी, १९६३ को श्री कल्पनार्थसिंह 'द्वारा पूछे गये' तारांकित प्रश्न २६–२७ के उत्तर में संशोधन

गृह-उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

मान्यवर, ७ फरवरी १९६३ को श्री कल्पनार्थसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६–२७ के उत्तर में संशोधन है। मूल प्रश्न था कि क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर रायफल क्लब को कितने कारतूस सन् १९६०–६१ और १९६१–६२ में दिये गये थे तथा प्रत्येक व्यक्ति को कितने-कितने कारतूस दिये गये और उनके नाम क्या हैं और उन व्यक्तियों को अप्रैल, सन् ६२ से नवम्बर, सन् ६२ तक कितने कारतूस दिये गये ? मूल उत्तर इस प्रकार दिया गया था—

"सन् ६०–६१ में कोई कारतूस रायफल क्लब ने नहीं खरीदे। सन् ६१–६२ में रायफल क्लब ने १,४९,००० कारतूस खरीदे। उन व्यक्तियों के नाम जिनको कारतूस दिये गये तथा दिये गये कारतूसों की संख्या संलग्न तालिका में दी हुई है। इन व्यक्तियों को १ अप्रैल, १९६२, से ३० नवम्बर ६२ तक दिये गये कारतूसों की संख्या भी उनके नाम के सामने अलग से दी हुई है।"

(देखिये सत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९५२ पर)

[श्री नवलकिशोर]

श्रीमन्, संशोधित उत्तर इस प्रकार है—

"सन् ६०–६१ में कोई कारतूस राइफल क्लब से नहीं खरीदे। सन् ६१--६२ में रायफल क्लब ने ९८,००० कारतूस खरीदे। उन व्यक्तियों के नाम जिनको कारतूस दिये गये तथा दिये गये कारतूसों की संख्या संलग्न तालिका में दी हुई है। इन व्यक्तियों को १ अप्रैल, १९६२ से ३० नवम्बर, १९६२ तक दिये गये कारतूसों की संख्या भी उनके नामों के सामने अलग से दी हुई है।"

श्रीमन्, प्रश्न संख्या २७ इस प्रकार था—"क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर राइफल क्लब द्वारा जो कारतूस खरीदे और वितरित किये गये हैं वह किस-किस सन् में किस-किस कम्पनी से खरीदे गये थे और खुले बाजार भाव तथा रायफल क्लब द्वारा दिये जाने वाले दाम इन वर्षों में क्या-क्या रहे हैं?"

मूल उत्तर इस प्रकार था—"रायफल क्लब, गोरखपुर ने केवल सन् १९६२ में गर्ग आर्मरी लिमिटेड, देहली से स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की अनुमति से कारतूस खरीदे और वितरित किये। खुले बाजार कारतूस १५० रुपया प्रति सैकड़ा बिकता है तथा रायफल क्लब द्वारा कारतूस का भाव ५७ रु० १२ आने प्रति सैकड़ा है।"

संशोधित उत्तर इस प्रकार है—"रायफल क्लब, गोरखपुर ने केवल सन् १९६१–६२ में गर्ग आर्मरी लिमिटेड, देहली, से स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की अनुमति से कारतूस खरीदे और वितरित किये। खुले बाजार कारतूस १५० रुपया प्रति सैकड़ा बिकता है तथा रायफल क्लब द्वारा कारतूस का भाव ५७ रुपया ७५ नये पैसे प्रति सैकड़ा है।"

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि ६१–६२ में जो खरीदारी की गयी उसके परमिट किस अधिकारी द्वारा वितरित किये गये और वह अधिकारी उस संस्था में किस पोस्ट पर थे?

श्री नवलकिशोर—

रायफल क्लब एक प्राइवेट आर्गेनाइजेशन है। जिलाधीश उसके चेयरमैन हैं और सिटी मैजिस्ट्रेट सेक्रेटरी हैं तथा लाइसेंसीज उसके मेम्बर हैं। आमतौर पर परमिट सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा दिये जाते हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

इसी वर्ष में इतनी संख्या में परमिट सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा क्यों जारी किये गये थे? जिनको परमिट जारी किये गये उनकी संख्या क्या है?

श्री नवलकिशोर—

उस दिन भी मैंने अर्ज किया था और आज भी अर्ज करता हूं कि सरकार इसके ऊपर जांच करा रही है। अब जो भी तथ्य जांच के बाद सरकार के सामने आयें। सदस्यों की संख्या इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

उस जांच में मंत्रीजी यह आदेश और देने की कृपा करें कि यह संस्था किस उद्देश्य से गठित की गयी थी? इसके अलावा केवल १८ सदस्यों को ही १८ हजार कारतूस क्यों दिये और सदस्यों को क्यों नहीं दिये गये?

श्री नवलकिशोर—

इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। ६१–६२ में नहीं दिये गये, बाद में ६२ में बहुत ज्यादा दिये गये। इन्हीं सब बातों पर जांच हो रही है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या इसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं?

श्री नवलकिशोर—

उनमें हो सकता है एक दो सरकारी कर्मचारी भी हों, सब नहीं हैं।

श्री रामग्रवध (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डाक्टर ग्रमीनुल्ला साहब स्वयं ही बन्दूक ग्रौर कारतूस बेचने वाले हैं तो क्या वह उन कारतूसों को ऊंचे दाम पर वहां से लेकर नहीं बेच सकते ?

श्री नवलकिशोर—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष—

जो सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं, जांच के सिलसिले में उसका भी ग्राप ध्यान रखें।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

जो राइफल क्लब्स प्रान्त के जिले-जिले में गठित किये गये हैं उनका उद्देश्य देश की रक्षा के लिये लोगों को ट्रेनिंग देने का है लेकिन ग्रौर जिलों में जहां फी व्यक्ति ग्रधिक से ग्रधिक २५ कारतूत दिये गये हैं वहां इस क्लब के एक-एक व्यक्ति के नाम सैकड़ों कारतूत दिये गये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री नवलकिशोर—

श्रीमन्, मैंने ग्रर्ज किया कि सरकार इसकी जांच करा रही है।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के ग्रन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

ब्लिट्ज में प्रकाशित समाचार पर ग्रापत्ति

*१—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी) तथा श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सूचना मंत्री का ध्यान ९ मार्च, १९६३ के साप्ताहिक ब्लिट्ज ग्रंग्रेजी (बम्बई) के 'मिनिस्टर्स पेट्रोनाइज एन्टी-इंडियन ग्राउटरेज' शीर्षक समाचार की ग्रोर गया है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां।

कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*२—श्री रघुनाथसिंह तथा श्री शिवनाथसिंह—

क्या सूचना मंत्री उक्त समाचार का स्पष्टीकरण सदन को देंगे ?

श्री बनारसीदास—

सरकार इस प्रकार के प्रकाशित समाचारों का स्पष्टीकरण करना ग्रावश्यक नहीं समझती।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस साप्ताहिक द्वारा इस विषय के ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसे ग्रनावश्यक महत्व सरकार नहीं देना चाहती थी, इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी या ग्रौर कोई कारण है ?

श्री बनारसीदास—

समाचार-पत्रों के ग्रन्दर क्या-क्या बातें निकलती हैं, यदि सभी का जवाब सरकार दे तो सरकार का समय भी नष्ट होगा ग्रौर यह ग्रसम्भव हो जायगा।

श्री रघुनाथसिंह—

उस समाचार-पत्र के उस लेख में जिस प्रकार की विशेष दृष्टि और उद्देश्य को लेकर तथ्य पर प्रकाश डाला गया है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि जनता के बीच में जो भ्रम फैला हुआ है उसका निवारण किया जाय ?

श्री बनारस दास—

श्रीमन्, कभी-कभी भ्रम निवारण के द्वारा ज्यादा भ्रम पैदा हो सकता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस समाचार-पत्र में मुख्य-मुख्य बातें क्या थीं ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इसके ऊपर वह तो स्पष्टीकरण हुआ जिसकी मैं आवश्यकता समझता नहीं। माननीय सदन के सभी सदस्य जिनको दिलचस्पी है, वे अखबार पढ़ते हैं और उनको यह मालूम ही होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस अखबार का इसमें जिक्र है, वह अखबार देश की गद्दार पार्टी से संबंधित है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको डिसएलाऊ करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मुझे "गद्दार" शब्द पर आपत्ति है। मैं चाहता हूं कि इसे हाउस की प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ऊदल जी जरा आप बैठ जायं। उन्होंने कोई नाम तो लिया नहीं कि कौन-सी पार्टी है, इसलिये इसका सवाल नहीं उठता।

कुंवर श्रीपालसिंह—

अभी परसों ही वेस्ट बंगाल असेम्बली में इस पर रूलिंग हुई है जिसे मैं कोट कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिये।

एक बात बिलकुल स्पष्ट हो जानी चाहिये कि जिस प्रश्न को मैंने डिसएलाऊ कर दिया उसके ऊपर माननीय सदस्य अड़े रहेंगे तो न सदन चल सकता है, न आपकी डेमोक्रेसी चल सकती है और न यह संसदीय प्रथा ही है। जब एक चीज का जवाब दे दिया गया और उसे मैंने खत्म कर दिया तो वह खत्म हो गया।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। आपने जो कहा है उसे लेते हुए मैं मानता हूं....

श्री अध्यक्ष—

आप 'गद्दार' के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री दीपनारायणसिंह—

एक मिनट मुझे सुन तो लें.....

आप ने मेरे उस दिन के यह कहने पर कि अगर पार्टी का कोई नेता अपनी पार्टी को भंग करे तो वह गद्दार है और गद्दारी का काम करता है लेकिन आज आपने उस प्रकार की व्यवस्था को बदल दिया तो इस बदली हुई व्यवस्था से गद्दारी को बल मिलता है। अभी माननीय जनसंघ के नेता कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने.....

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप बैठें, मैं आप को बता दूं ....

श्री दीपनारायणसिंह—

स्वस्थ जनतन्त्र के लिये, जहां पार्टी और दल....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें, प्वाइंट आफ आर्डर उठाने में कोई भाषण नहीं होता, आप बैठ जांय, मैं निवेदन किये देता हूं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, मेरा नाम लेकर उन्होंने कहा है इसलिये मुझे भी आप स्पष्टीकरण करने की आज्ञा दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप अभी बैठें, मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं पूछ लूंगा ।

माननीय दीपनारायणसिंह जी, हमारे इस सदन की और लोक सभा की रूलिंग है कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष संदर्भ में कोई अनुचित बात कही जाय तो वह आक्षेपनीय हो सकती है, किन्तु अभी उन्होंने "गद्दार पार्टी" कहा था, अब भगवान जाने कि वह पार्टी कौन-सी है, मैं तो नहीं जानता इसलिये मैं उस को आउट आफ आर्डर नहीं समझता हूं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न ।]

वाराणसी जिले में खादी बोर्ड से कटेहर क्षेत्र को अनुदान

*१—श्री रघुनाथसिंह—

वाराणसी जिले में ग्राम एवं खादी बोर्ड कब से काम कर रहा है ? इस बोर्ड द्वारा किन-किन उद्योगों को ऋण और अनुदान की अलग-अलग रकम १९६२–६३ के वित्तीय वर्ष में दी गयी ? इस आर्थिक सहायता में विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र कटेहर का प्राप्य क्या है और किन उद्योगों के लिये ?

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—

खादी बोर्ड १४ सितम्बर, १९६० को स्थगित किया गया और तभी से उक्त बोर्ड सारे प्रदेश के जिलों में जिसमें वाराणसी भी सम्मिलित है, कार्य कर रहा है । १९६२–६३ में वाराणसी जिले में दिये गये ऋण एवं अनुदान तथा किस उद्योग के लिये दिये गये, की सूची संलग्न है । इसमें से उक्त अवधि में कटेहर निर्वाचन क्षेत्र को २,००० रुपया ऋण तथा २,६४० रुपया अनुदान में तेल उद्योग के लिये दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९५३ पर)

श्री रघुनाथसिंह—

मेरे द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न की शब्दावली जरा लम्बी हो गई है । क्या मंत्री जी बता सकते हैं कि छोटे ग्राम एवं खादी उद्योगों के अन्तर्गत चर्मशोधन, बढ़ईगिरी, कुम्हारगिरी, मधुमक्खी पालन, खादी और अम्बर चर्खा आदि बहुत से उद्योग शामिल हैं तो कटेहर में जो अनुदान और ऋण में ४,५०० से अधिक रुपया एक संस्था को एक उद्योग के लिये दिया गया है तो ऐसा क्यों किया गया है जब कि इतने रुपये से चर्म शोधन, बढ़ईगिरी, कुम्हारगीरी आदि का बहुत-सा काम हो सकता था और दर्जनों ऐसे उद्योगों का कल्याण उतने रुपये से हो सकता था ?

श्री वीरसेन—

जैसी-जैसी मांग जिस-जिस संस्था से आती है उस पर विचार किया जाता है और उस के विषय में पूर्ण विचार करके ही दिया जाता है ।

श्री रघुनाथसिंह---

हमें यह सब मालूम है कि यह सारा पैसा कहां दिया गया है और इसी कारण से हमने यह प्रश्न पूछा है कि इस तरह से ग्राम उद्योगों की उपेक्षा होती है....

श्री अध्यक्ष---

वह तो उन्होंने जवाब दे दिया कि जिसने जैसी दरख्वास्त दी उसके मुताबिक ही हमने दिया है। तो अब आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि फलां कुम्हार ने ५,००० रुपया मांगा लेकिन उसको ५०० ही क्यों दिया गया ?

श्री रघुनाथसिंह---

यह तो आप मुझे डाइरेक्शन देकर मेरी प्रश्न करने की मुसीबत को बढ़ा रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष---

तो आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं।

श्री रघुनाथसिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो तेल उद्योग के लिये ऋण और अनुदान में ४,५०० रुपये से अधिक ग्राम तेल उद्योग सहकारी समिति, गौरा कलां को दिया गया है उसके पदाधिकारी कौन हैं ?

श्री वीरसेन---

अध्यक्ष महोदय, यह सूचना मांगी नहीं गई थी इसलिये मेरे पास नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

मंत्री जी बतायेंगे कि प्रार्थना-पत्रों पर रुपया सैंक्शन करने का आधार क्या है ? क्या हाथ से कागज बनाने वाली इंडस्ट्री को भी इस तरह का अनुदान दिया जाता है ?

श्री वीरसेन---

खादी बार्ड ने पैटर्न तय किया है हर इंडस्ट्री के लिये कि किस-किस मद में कितना रुपया दिया जा सकता है और उसी आधार पर दिया जाता है।

श्री मुलतानसिंह (जिला आगरा)---

मंत्री जी बतलायेंगे कि उद्योगों के लिये जो हजार रुपये तक रुपया दिया जाता है उसके लिये कोई जमानत नहीं ली जाती है लेकिन कुएं के लिये रुपये देते समय जमानत ली जाती है और प्रापर्टी भी देखी जाती है लेने वाले की ?

श्री वीरसेन---

यह प्रश्न तो मान्यवर, इससे उठता नहीं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मुलतानसिंह जी, आप कुओं के लिये अलग से प्रश्न पूछें।

श्री मुलतानसिंह---

५०० और १००० रुपये उद्योगों के लिये दिया जाता है उसकी जमानत नहीं ली जाती...

श्री अध्यक्ष---

आप उद्योगों के सम्बन्ध में इस समय पूछ सकते हैं, कुओं और मकानों के लिये वह कैसे बता सकते हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या यह सही है कि सहारनपुर जिले में ६०,००० रुपये एक ऐसी औरत को हाथ से कागज बनाने के लिये दिया गया है जिसको कोई बिजनेस नहीं आता और न कभी कागज के उद्योग में रही ? यदि हां, तो ऋण किस आधार पर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

उसका प्रश्न कागज उद्योग के संबंध में है कि उसके लिये कोई ऋण मिल सकता है कि नहीं ?

श्री वीरसेन---

श्रीमन्, यह प्रश्न बनारस से संबंधित है, सहारनपुर से नहीं, अतः इतनी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---

क्या यह सही है कि शहर तथा देहात के लोग ऋण के लिये दरख्वास्त देते हैं परन्तु शहर के लोग अधिक एप्रोच कर लेते हैं और देहात वाले नहीं जा सकते, अतः शहर वालों की दरख्वास्त पर अनुदान मिल जाता है और देहात के रह जाते हैं ?

श्री वीरसेन---

खादी कमीशन का रुपया विलेज इंडस्ट्री के लिये है इसलिये यह कहना माननीय सदस्य का गलत है ।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जो तेल उद्योग के लिये रुपया दिया गया था वहां पर कोई तेल उद्योग नहीं होता है और सारा रुपया दूसरे काम में खर्च किया गया है ?

श्री वीरसेन---

इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आयी ।

समाचार-पत्रों को चेतावनी

*२---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---

क्या सूचना मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश के किन-किन समाचार-पत्रों को चेतावनी दी है कि वह समाचार-पत्रों में ऐसी खबरें न निकालें तथा संपादकीय टिप्पणी न छापें जिससे सुरक्षा तथा युद्ध के कामों में जनता के मनोबल में कमी आवे ?

श्री बनारसीदास---

बांदा से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक "युग मशाल", लखनऊ से प्रकाशित उर्दू दैनिक "हकीकत", लखनऊ से प्रकाशित उर्दू साप्ताहिक "सिदके जदीद" व "निदाये मिल्लत" को संबंधित जिलाधीशों द्वारा तथा लखनऊ से प्रकाशित हिन्दी दैनिक "तरुण भारत" को सूचना निदेशक द्वारा चेतावनी दी गई है ।

*३---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार कृपया बतलावेगी कि प्रदेश में कितने समाचार-पत्र सरकार की ओर से चीनी हमले के बाद निकाले गये हैं जिससे जनता की रुचि देश के बचाने तथा सहायता में उपयोगी हो ?

श्री बनारसीदास---

दो ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

मंत्री जी बतायेंगे कि जिन समाचार-पत्रों की सूची सरकार ने दी है उन समाचार-पत्रों को कई बार प्रकाशनों के बाद चेतावनी देनी पड़ी या एक ही प्रकाशन पर ?

श्री बनारसीदास---

इसमें जिन उर्दू साप्ताहिक पत्रों के नाम लिये हैं वह उनके दो तीन लेखों के बारे में हैं । जिलों से जो लेख प्रकाशित होते हैं उनको जिलाधीशों ने चेतावनी दी है । किन लेखों के बारे में दी है उसकी सूचना नहीं भेजी है । लखनऊ से जिनको चेतावनी दी गयी है उनके बारे में हमको मालूम है । कई लेखों के आधार पर ऐसा किया गया है । "तरुण भारत" को एक लेख के आधार पर चेतावनी दी गयी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

"तरुण भारत" जो लखनऊ से निकलता है और "हकीकत" अखबार में कई समाचार ऐसे छपे जिनके कारण सरकार को नोटिस देने के बाद यह जरूरत पड़ी है ?

श्री बनारसीदास---

मैंने अर्ज किया "तरुण भारत" में "सुरक्षा को पलीता" नामक संपादकीय टिप्पणी छपी थी। उसके बारे में उसको १९ जनवरी, १९६३ को चेतावनी दी गयी और "हकीकत" उर्दू को एक से ज्यादा लेख पर और "निदाये मिल्लत" में भी कुछ ऐसी सम्पादकीय बातें थीं जिनके आधार पर उनको चेतावनी दी गयी।

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि समाचार-पत्रों में जिन विषयों पर लेख लिखने के कारण उनको चेतावनी दी गयी तो केवल चेतावनी देना ही उचित था या सरकार उनको कोई दंड देना भी उचित समझती है ?

श्री बनारसी दास---

तरुण भारत के बारे में जैसा बतलाया "सुरक्षा को पलीता" लिखने पर उसे चेतावनी दी गयी। उसके बाद उसकी और शिकायतें मिली हैं जिनके बारे में जांच की जा रही है और लीगल एडवाइस ली जा रही है। उसके बाद कोई कार्यवाही की जा सकेगी। जहां तक उर्दू पत्रों का सवाल है, "निदाये मिल्लत" को मालदा में जो साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ था उसके बारे में चेतावनी दी गयी। "सिदके जदीद" में अलीगढ़ यूनीवर्सिटी में कुछ कक्ष बनाये गये थे उनके बारे में टिप्पणी छापने पर चेतावनी दी गयी थी। उन कक्षों में एक का नाम जवाहरलाल कक्ष था और एक का नाम टैगोर कक्ष था। उसमें लिखा था कि ५० प्रतिशत कक्ष इस तरह के अलीगढ़ यूनीवर्सिटी में बने तो क्या बनारस यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह से किया जायगा जो अपने को राष्ट्रीय संस्था कहलाती है ? इसी प्रकार से "हकीकत" दैनिक उर्दू ने भी कुछ आपत्तिजनक लेख प्रकाशित किये थे जो साम्प्रदायिकता से भरे हुये थे।

श्री झारखंडे राय---

क्या यह सच है कि "तरुण भारत" अखबार में हमारे देश पर हमला होने के बाद से जितने लेख व कमेन्ट्रीज निकले हैं उनकी पूरी की पूरी फाइल यू० पी० इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को दे दी गयी है और वह जांच-पड़ताल कर रही है कि क्या कार्यवाही की जाय ?

श्री बनारसीदास---

समीक्षा बराबर होती है। चेतावनी के बाद भी कुछ लेख उसके आपत्तिजनक छपे हैं जिनके बारे में हमने अपने लीगल डिपार्टमेंट को राय जानने के लिये दे दिया है।

कुंवर श्रीपालसिंह---

"सुरक्षा को पलीता" नामक जो लेख है उसमें मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और किनके खिलाफ थे थीं ?

श्री बनारसीदास--

उसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया की भी आलोचना की गयी है। कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करने के बारे में आलोचना की गयी है। इसको एक कमजोरी की नीति बतलाई गयी है। कम्युनिस्ट लोगों को गद्दार बतलाया गया है जो कि चीन के एजेन्ट्स हैं।

श्री ऊदल---

यह "तरुण भारत" जो समाचार-पत्र है यह किसी राजनीतिक दल से संबंधित है या कोई व्यक्ति विशेष उसको निकालता है ?

श्री बनारसीदास—

जहां तक मेरी जानकारी है अभी एक पेटीशन के सिलसिले में मना किया गया था लेकिन जानकारी यह है कि वैसे इसकी नीति जनसंघ का समर्थन करती है। कोर्ट में मना किया गया है कि जनसंघ का यह पत्र नहीं है लेकिन इसके सम्पादक और सभी लोग जनसंघ से संबंधित हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कौन-कौन पत्र हैं जिन पर साम्प्रदायिक बातें फैलाने का दोष लगा कर सरकार ने चेतावनी दी है ?

श्री बनारसीदास—

मैंने तो अभी निवेदन किया। कुछ उर्दू पत्रों का नाम मैंने लिया था जिनका उत्तर मैं सदन के सामने दे चुका हूं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ये जो समाचार-पत्र निकाले गये इनके नाम क्या हैं और इनके ऊपर कुल व्यय कितना होता है ?

श्री बनारसीदास—

एक पत्र का नाम तो 'बज उठी रणभेरी' है। यह १५ दिसम्बर से सरकार के सूचना विभाग की तरफ से प्रकाशित किया गया है। इसकी १० हजार प्रतियां प्रकाशित हुई हैं। इस पर सूचना विभाग की तरफ से कोई व्यय नहीं किया गया। जो पहले हमारे सम्पादक थे वे ही उसका कार्य करते हैं और रणभेरी में जो भी लेखक अपने लेख देते हैं उसके लिये कोई पुरस्कार उनको नहीं दिया जाता। एक दूसरा पत्र गोरखपुर से 'रणसिंहा' निकाला गया है। गोरखपुर के जिलाधीश इसके संरक्षक हैं और नियोजन अधिकारी प्रकाशक और वहां के अतिरिक्त सूचना अधिकारी इसके प्रबन्ध सम्पादक हैं। जहां तक इस पर व्यय का सवाल है, मैंने अर्ज किया कि यह गवर्नमेंट प्रेस से ही छापा जाता है इसलिये पृथक इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है।

श्री कल्पनाथसिंह—

जो पत्र गोरखपुर के जिलाधीश के संरक्षण में निकाला जा रहा है क्या इसके लिये कोई कमेटी बनी है जिसके डी० पी० ओ० सेक्रेटरी हैं या ये दोनों महानुभाव स्वयं सेक्रेटरी और प्रेसीडेंट हैं और यह पत्र डी० एम० के इनीशियेटिव पर या सरकार के इनीशियेटिव पर निकाला गया है ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, सरकार की तरफ से न तो कोई इस पर व्यय किया गया है और न यहां से कोई अनुमति दी गयी है लेकिन नागरिक सुरक्षा परिषद् की तरफ से प्रचार और अफवाहों का खंडन करने के लिये यह निकाला गया है। इसमें चार गैर-सरकारी पत्रकार भी शरीक हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या आपत्तिजनक बात थी जिस पर चेतावनी दी गयी, मंत्रीजी ने बताया कि भारत सरकार की नीति की आलोचना की गयी और कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करने से असहमति प्रकट की गयी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार की केवल नीतियों की आलोचना कर देना मात्र किसी पत्र को चेतावनी देने के लिये काफी है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि क्या सूचना मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश के किन-किन समाचार-पत्रों को चेतावनी दी है कि वे समाचार-पत्रों में ऐसी खबरें न निकालें तथा संपादकीय टिप्पणी न छापें जिससे सुरक्षा तथा युद्ध के कामों में जनता के मनोबल में कमी आवे।

श्री भानुप्रतापसिंह—

मेरा प्रश्न मंत्री जी के उत्तर से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष---

उत्तर तो इसी के संदर्भ में है।

श्री बनारसीदास---

मेरा मतलब यह है कि युद्ध काल में ऐसी आलोचना करना, जैसे नेफा में रिट्रेंज की आलोचना करना, जनरल्स की आलोचना करना या यह आलोचना करना कि वहां पर फौज ने ठीक काम नहीं किया, रचना ठीक नहीं की गयी। युद्ध का संचालन सरकार करती है कोई सेवा समिति नहीं कर सकती। युद्ध के दौरान में सरकार की नीतियों की आलोचना करने के मतलब होता है सरकार के युद्ध प्रयत्नों में बाधा डालना और उसको कमजोर बनाना।

श्री भानुप्रतापसिंह---

नीतियों की आलोचना एक बात हुई और जो कार्य क्षेत्र में बात होती है, जैसे नेफा के क्षेत्र में जो बात हुई उसकी आलोचना करना दूसरी बात हुई। यह तो मैं स्वीकार कर सकता हूं कि कार्य-शैली आदि की आलोचना करना उचित नहीं था लेकिन भारत सरकार की नीतियों की आलोचना करना मैं समझता हूं समाचार-पत्रों का कर्तव्य है। क्या सरकार यह समझती है कि भारत सरकार जो अपनी नीति निश्चय करती है उसके विरुद्ध लिखना उचित नहीं है?

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, यह तो विवादास्पद प्रश्न है। लेकिन मेरा मत है कि लड़ाई के जमाने में जब इमर्जेन्सी होती है और कांस्टीट्यूशन के कुछ आर्टीकिल्स को भी सस्पेंड करना होता है तो लेखन और बोलने की स्वतंत्रता पर थोड़ा प्रतिबन्ध होता है। जैसा मैंने अर्ज किया नीति का जहां तक सवाल है यह तो बहुत व्यापक शब्द है। लेकिन युद्ध के व्यूह की रचना, जनरलों की आलोचना, किन को कहां भेजा गया, इन सारी चीजों की आलोचना करना मैं सरकार के युद्ध प्रयत्नों में बाधा समझता हूं।

श्री अध्यक्ष---

उनका प्रश्न यह है कि जनता के मनोबल में कमी न आये और सरकार की नीति की आलोचना की जाय तो उस पर क्या आप प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं?

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, गवर्नमेंट ऐसे लेखों पर प्रतिबन्ध लगाना नहीं चाहती है जो जनता के मनोबल पर प्रभाव डालने वाले नहीं हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन पत्रों को चेतावनी दी गई है उनको ज्ञापन देने बन्द कर दिये गये हैं या नहीं?

श्री बनारसीदास---

जिन पत्रों को चेतावनी दी गई है उनको ज्ञापन देने बन्द कर दिये गये हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या यह सही है कि जिन समाचार-पत्रों को चेतावनी दी गई है उनको आज भी सरकारी कार्यालयों और कचहरियों से सम्मन और सरकारी काम दिया जा रहा है?

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, जहां कि समन्स वगैरह का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देती हैं। यहां से ताजी सूचना विभाग से ज्ञापन वगैरा दिये जाते हैं। यदि किसी अधिकारी ने किसी जिले में सम्मन आदि दे दिये हैं तो हम उनका ध्यान दिलायेंगे और खास कर के रजिस्ट्रार हाईकोर्ट इस तरह के पत्रों को रजिस्टर करते हैं।

खौड़हवा, जिला बांदा में सती संबंधी घटना

*४—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के महोखर ग्राम से किसी हरिजन विधवा को जबरदस्ती सती बनाये जाने तथा चिता पर डाले जाने से झुलस जाने की सूचना मिली है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नवलकिशोर—

दिनांक ३-२-६३ को ग्राम महोखर के एक व्यक्ति ने थाना कोतवाली, बांदा में यह सूचना दी कि मौजा खौड़हवा में श्रीमती सतनिया अपने पति श्री छितानी हरिजन के साथ सती होने जा रही है। सूचना मिलते ही थानेदार घटनास्थल पर पहुंचे तथा उक्त स्त्री को सती होने से बचा लिया। श्रीमती सतनिया चिता पर थोड़ा सा जल गई थी अतः उन्हें तुरन्त अस्पताल भेजा गया। उक्त घटना के संबंध में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा ३०६/३०९ भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा चालान किया गया है। श्रीमती सतनिया का भी धारा ३०९ भा० द० वि० के अन्तर्गत चालान किया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, इस हरिजन महिला के सती होने पर प्रश्न पूछा गया था कि क्या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके परिवार और गांव के कुछ लोगों ने मजबूर किया था ? इसके संबंध में सरकार ने जांच-पड़ताल की और उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री नवलकिशोर—

जब यह महसूस किया गया कि उसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर किया तभी तो चालान किया गया। वैसे सती होना हमारे यहां जायज नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

जब यह साबित हुआ कि उसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर किया गया तो उत्तर में जो दिया है कि महिला का चालान किया गया है तो महिला के ऊपर से वे केस उठाने की कृपा करेंगे और जिन लोगों ने उसे सती होने के लिये मजबूर किया उनके विरुद्ध केस चलाने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—

श्रीमन्, मैंने कहा कि जलना किसी की इच्छा के ऊपर नहीं है इसलिये वह भी दोषी है और जिन्होंने उसको सती होने के लिये मजबूर किया, वे भी दोषी हैं। लिहाजा सबका चालान किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

उनका सवाल यह है कि वह स्वयं आत्महत्या करने नहीं जा रही थी, जबरदस्ती लोग उसको आत्महत्या करने के लिये मजबूर कर रहे थे। तो क्या जिस आदमी को मजबूर किया जाय आत्महत्या के लिये उसका चालान क्यों कर रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, यह इतना स्पेसिफिक नहीं है कि मर्जी थी या नहीं थी। इसका विवरण नहीं है। वह सती होने जा रही थी, उसके रिश्तेदार इमदाद कर रहे थे। चूंकि कानूनन आफेंस था लिहाजा जितने लोग शामिल थे सब का चालान किया जा रहा है।

श्री रघुनाथसिंह—

माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस विधवा का बयान लिया गया था ? यदि वह आपके पास है तो सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—

उस स्त्री का बयान मेरे पास नहीं है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह विधवा स्त्री, जिसके संबंध में आपने उत्तर दिया है कि जबरदस्ती की गयी थी सती होने के लिये, उस संबंध में आपकी इन्क्वायरी के फलस्वरूप उसके ऊपर मुकदमा चलाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री से) वही प्रश्न कर रहे हैं। मैं बता दूं। (सदस्य से) मंत्री जी कह रहे हैं कि आत्महत्या करने के लिये प्रयत्न करना जुर्म है, इसलिये उसका चालान कर दिया गया। वह कह रहे हैं कि मुकदमा अदालत में जायगा वहां जो भी साबित हो।

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या माननीय मंत्री इस तथ्य पर विचार करेंगे कि अगर कोई स्वयं अपनी इच्छा से आत्म-हत्या करना चाहता है तो आत्महत्या करने के प्रयास में विधवा स्त्री ही अभियुक्त के रूप में आती है, तो दूसरे लोगों का क्यों चालान किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

आप का सवाल बहुत ठीक है। मगर यह अदालत नहीं है। क्या जवाब देंगे, कानूनी मसला है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैंने मूल प्रश्न में यह पूछा था कि उस महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे सती होने के लिये मजबूर किया जा रहा था, उसके उत्तर में उन्होंने यह कहा कि इच्छा रहते हुए भी आत्महत्या करने जा रही थी इसलिये केस चलता है, लेकिन वह साफ नहीं हुआ। मैं फिर आप से दरख्वास्त करूंगा कि आप क्या इस तथ्य की जांच करवायेंगे कि उस महिला की इच्छा के विरुद्ध मजबूर किया जा रहा था, और उस पर से केस उठाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

क्या वह मामला कोर्ट में चला गया है ?

श्री नवलकिशोर—

चालान हो गये हैं। कोर्ट में चालान भेज दिये गये हैं। जो सूचना हमारे पास आयी थी वह यह आयी थी कि वह स्त्री सती होने जा रही थी। जब पुलिस पहुंची तो स्त्री चिता में बैठी थी। पता चला कि किन-किन साहबान ने इमदाद की, लिहाजा सब का चालान कर दिया गया ।

सादुल्लानगर थानान्तर्गत चोरियां

*५—श्री अवधनारायण प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना सादुल्लानगर, जिला गोंडा में तारीख १ दिसम्बर, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६२ के बीच कितनी डकैती, कत्ल तथा चोरी की घटनायें हुयीं, उनमें कितनों की चालान हुई, कितनी दाखिल दफ्तर की गयीं और कितनों में सजा हुई ?

श्री नवलकिशोर—

उक्त अवधि में थाना सादुल्लानगर, जिला गोंडा के अन्तर्गत डकैती तथा हत्या की कोई घटना नहीं हुई। चोरी की केवल ४ घटनाएं हुईं जिनमें से केवल दो की जांच की गई किन्तु दोनों लापता रहीं ।

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—

क्या १ दिसम्बर, १९६२ को उक्त थाने के अन्तर्गत चौकीदार मारा गया और उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—

मैंने कई मर्तबा स्वयं माननीय उप मंत्री जी से कहा, उनसे निवेदन किया और अप्लीकेशन भी दी, लेकिन आज तक उसकी कोई सूचना नहीं मिली और न कोई एन्क्वायरी हुई। तो माननीय मंत्री जी क्या उसके ऊपर भी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, मुझको जो अप्लीकेशंस दी जाती हैं उनको मैं एन्क्वायरी में भेज देता हूं, उसका जवाब आये तो मैं बताऊं। वैसे इस समय मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ में फर्टिलाइजर इन्स्पेक्टर की नियुक्ति में अनियमितता

*६—श्री बालकराम वैश्य (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि०, लखनऊ में उसकी कार्यकारिणी कमेटी के एक सदस्य के पुत्र को जूनियर सहायक के पद पर जुलाई, १९५३ में नियुक्त किया गया और पांच माह की सेवाओं के पश्चात् ही उसको सीनियर सहायक दिसम्बर, १९५३ में बना दिया गया तथा जून, १९५६ में उस व्यक्ति को फर्टिलाइजर इन्स्पेक्टर बना दिया गया ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

जी हां।

*७—श्री बालकराम वैश्य—

क्या उक्त नियुक्ति के समय उक्त पदों के लिये बी० ए० की योग्यता अनिवार्य रखी गयी थी और उक्त नियुक्ति के पूर्व तथा पश्चात् बी० ए० की योग्यता अनिवार्य नहीं थी जिससे कि उपरोक्त नियुक्ति से अन्य जूनियर तथा सीनियर सहायकों का सुपरसेशन हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उस समय गन्ना संघ कार्यालय, लखनऊ के लिये कोई सेवा नियम नहीं थे। कथित व्यक्ति को सीनियर असिस्टेन्ट का पद सब ग्रेजुएट जूनियर एसिस्टन्टों में ज्येष्ठ होने के नाते दिया गया था। जहां तक फर्टिलाइजर इन्स्पेक्टर के पद का प्रश्न है संघ, की कार्यकारिणी समिति ने उनकी योग्यता, कार्यालय का अनुभव तथा बी० ए० की शिक्षा को ध्यान में रख कर अपने प्रस्ताव संख्या ६ द्वारा उनका चुनाव किया था। प्रस्ताव संख्या ६ की प्रतिलिपि संलग्न है।

इस संबंध में जूनियर तथा सीनियर सहायकों के सुपरसेशन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९५४ पर)

*८—श्री बालकराम वैश्य—

क्या उक्त नियुक्ति के बाद जिन सीनियर सहायक का सुपरसेशन हुआ था उनको भी फर्टिलाइजर इन्स्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया, थोड़े ही दिनों के बाद रिवर्ट कर दिया। उस पद को भी समाप्त कर दिया गया फिर उस पद के लिये बी० एस-सी०, (ए-जी०) की कैद लगायी गयी और उसी पद पर फिर एक बी० ए० को बाहर से रखा गया है और बी० ए० पास सीनियर सहायकों को अवसर नहीं दिया गया ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उक्त नियुक्ति के बाद दो अन्य सीनियर सहायकों को फर्टिलाइजर इन्सपेक्टर स्टाप गैप अरेन्जमेंट में बनाया गया था। उसके पश्चात् फर्टिलाइजर इन्स्पेक्टर की एक जगह कार्य-

---

नोट—तारांकित प्रश्न ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कारिणी समिति ने समाप्त कर दी। फलस्वरूप एक सीनियर सहायक को रिवर्ट कर दिया गया। बाद में उप गन्ना आयुक्त (विकास) ने यह सिफारिश की कि विकास कार्य के हित में इस जगह को कायम रक्खा जाय। इस शर्त पर कि इस जगह के लिये बी० एस-सी०, (ए-जी०) योग्यता रखी जाय। यह मामला अभी गन्ना आयुक्त के विचाराधीन है। फर्टिलाइजर इन्सपेक्टर के दूसरे पद पर एक सी० डी० आई०, जो इन्टरमीडिएट (कृषि) में है तथा बी० ए० है और सैन्योर इन्सपेक्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। इस कारण सीनियर सहायकों को अवसर नहीं दिया गया।

आगरा जिले में असुरक्षा की शिकायत, आजमगढ़ में बदमाशों की गिरफ्तारी

*९—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगर), श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा), श्री खेम चन्द्र (जिला आगरा) तथा श्री (भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

क्या सरकार को पता है कि आगरा जिले की फिरोजाबाद, फतेहाबाद, एतमादपुर व बाह तहसीलों में जनवरी, फरवरी, १९६३ में डकैतों द्वारा अपहरण, डकैतियों व कत्ल की संख्या बहुत बढ़ गयी है और ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

जनवरी तथा फरवरी, १९६३ में आगरा जिले की फीरोजाबाद, फतेहाबाद, एतमादपर व बाह तहसीलों में डकैती व कत्ल की घटनाओं में वृद्धि नहीं बल्कि गत वर्ष जनवरी, फरवरी की अपेक्षा कमी हुई है। अपहरण के अपराध में अवश्य कुछ बृद्धि हुई जिससे जनता में कुछ भय व्याप्त हुआ। अपहरण के अपराधों के करने वाले डकैतों के दलों के कई प्रमुख व्यक्तियों को पुलिस ने मार दिया है और इन दलों को पूर्णरूप से नष्ट करने के लिये पुलिस सचेष्ट है।

*१०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर), श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ), श्री ऊदल तथा श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ में फरवरी, १९६३ में कोई ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जिसके पास जिले के सभी राजकीय अधिकारियों की मोहरें तथा बहुत से जालसाजी के दस्तावेज, रोशनाई मिटाने के सामान तथा अनेक रासायनिक पदार्थ प्राप्त हुये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, इस संबंध में दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं जिनमें से एक के कब्जे से विभागीय मोहरें, रासायनिक पदार्थ तथा कुछ दस्तावेज आदि बरामद हुए हैं।

*११—श्री बिपिनबिहारी तिवारी, श्री जमादार सिंह, श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार को इसकी सूचना है कि बलिया, गोरखपुर आदि अनेक पूर्वी जिलों में इस प्रकार का गिरोह कार्य कर रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं, सरकार को ऐसे किसी गिरोह के होने की सूचना नहीं है।

*१२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी, श्री जमादारसिंह, श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ की उक्त घटना तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सूचनाओं के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

आजमगढ़ की उक्त घटना के संबंध में कोतवाली, आजमगढ़ में एक मुकदमा धारा ३८०/४११/४६८ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा विवेचना हो रही है।

गन्ना विकास परिषद्, तुलसीपुर द्वारा नलकूपों का निर्माण

*१३—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास समिति, में कितने नलकूप बनाने की स्वीकृति दी है और अब तक उनमें से कितने बने हैं, कितने बाकी हैं और उनको कब तक बनाने का वह विचार कर रही है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह नलकूप कब स्वीकृत हुये और अब तक क्यों नहीं बने ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

गन्ना विकास परिषद्, तुलसीपुर ने अब तक ६० नलकूप बनाने की स्वीकृति दी है। उनमें से ५६ नलकूप अब तक बन चुके हैं और ४ बाकी हैं। नलकूप बनाने का कार्य कृषक स्वयं कराते हैं अतः उनको बनवाने का विचार कृषकों की सुविधा पर ही निर्भर है। यह नलकूप इस वर्ष १९६२–६३ में स्वीकृत हुये हैं, कृषकों की विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के कारण नलकूप अभी तक नहीं बन सके।

*१४—श्री ईश्वरशरण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जितने नलकूप बने हैं उसमें कितने चालू हैं और कितने खराब हैं ? क्या सरकार ने इसके ऊपर कोई जांच हेतु किसी अफसर को भेजा था और उसने कोई रिपोर्ट सरकार में प्रेषित की है ? क्या सरकार उसको सदन के सामने रखने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

५६ नलकूपों में से ५२ नलकूप चालू हैं और ४ नलकूप पर्याप्त पानी नहीं देते हैं।

जी हां। एक अधिकारी को जांच के लिये भेजा गया था उसकी प्रारम्भिक जांच की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खी जाती है।

महाराजगंज तहसील में सुरक्षा कोष के संबंध में भ्रामक प्रचार

*१५—श्री झारखंडे राय—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर सूचना अधिकारी को इस बात की सूचना मिली है कि उक्त जिले में महाबीरी झन्डा नाम की संस्था कायम हुई है जो नेता जी सुभाष बोस का नाम लेकर जिला भर में सुरक्षा कोष के विरुद्ध किसानों में भावनाएं फैला रही है ?

श्री बनारसीदास—

गोरखपुर जिले में महाबीरी झंडा नाम की कोई संस्था नहीं है। इस जिले की महाराजगंज तहसील से इस आशय की सूचना अवश्य प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग "महाबीरी झंडा" के नाम से नेता जी सुभाष बोस का नाम लेकर सुरक्षा कोष के संबंध में भ्रामक बातें फैला रहे हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राक्टर को छुरा दिखाकर धमकी

*१६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राक्टर के कमरे में दिनांक १५ फरवरी, १९६३ को किसी छात्र ने प्राक्टर के कमरे में छुरा दिखलाकर मार डालने की धमकी दी ? यदि हां, तो वह घटना क्या थी ?

---

† छापी नहीं गई।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। परन्तु यह घटना १४-२-६३ को हुई। एक भूतपूर्व विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय से निष्कासित किये गये हैं वे उक्त दिनांक को दो बार प्राक्टर से मिले। पहली बार उन्होंने निष्काशन आदेश वापस लेने की प्रार्थना की और यह कहे जाने पर कि इस प्रकार का प्रार्थना पत्र वह उपकुलपति को दें, वह वापस चले गये। दूसरी बार लगभग १ १/२ बजे दो पहर उन्होंने पुनः गुस्से में प्राक्टर के कमरे में प्रवेश किया और प्राक्टर के कहने पर कि वह कमरे के बाहर निकल जायें उन्होंने छुरा निकाल लिया। इस पर प्राक्टर के प्रधान लिपिक ने टेलीफोन उठाया तो तुरन्त ही वह विद्यार्थी बाहर निकल गया।

परधोली, जिला बरेली से सुरक्षा कोष में चन्दा वसूली के खिलाफ शिकायत

*१७—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या मुख्य मंत्री को कोई पत्र नन्हेंमल, पुत्र बांदूराम निवासी, ग्राम पधोली, जिला बरेली का मिला है जिसमें उस व्यक्ति ने जनवरी के अन्तिम सप्ताह में सरकारी कर्मचारियों द्वारा बन्दूक दिखा कर गाली व धमकी देकर उससे ५१ रु० सुरक्षा कोष में वसूल करके भी केवल ११ रु० की रसीद देने की शिकायत की है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां।

जांच अब भी जारी है।

अतरौलिया थानान्तर्गत गौरा ग्राम की एक लड़की के साथ कुकृत्य की शिकायत

*१८—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री ९ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमे का निर्णय माननीय न्यायाधीश द्वारा क्या हुआ और फैसले में किस का दोष प्रमाणित हुआ है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उक्त मुकदमा न्यायालय से रिहा हुआ। अभियुक्तों के रिहा कर दिये जाने के कारण प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

जौनपुर जिले में अपराध

*१९—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में जनवरी, १९६२ से अब तक कितने हत्या, आत्महत्या, चोरी, डकैती के मामले हुये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

पोलीटेक्निक, लखनऊ के छात्रों के लिए प्रतिबन्ध

*२०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय पोलीटेक्निक, लखनऊ में प्रवेश लेते समय छात्रों से यह शर्त लिखा ली जाती है कि यदि वह छात्र-स्वयं की इच्छा से अध्ययन बीच सत्र में समाप्त करना चाहेगा तो उस पर शिक्षा के संबंध में किया गया व्यय का भार छात्र को वहन करना होगा तथा सरकार उसे वसूल कर लेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

राजकीय पोलीटेक्निक, लखनऊ में प्रवेश लेते समय छात्रों से ऐसी शर्त १९६१–६२ तक ली गई, सन् १९६२–६३ से ऐसी शर्त का प्राविधान समाप्त कर दिया गया ।

*२१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

यदि हां, तो :

(अ) शैक्षणिक वर्ष १९५९–६० तथा १९६०–६१ में कितने छात्र बीच सत्र में छोड़े गये ?

(ब) उनमें से कितनों से व्यय वसूल कर लिया गया ?

(स) जिनसे नहीं वसूल किया गया उसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

(अ) शैक्षणिक वर्ष १९५९–६० तथा १९६०–६१ में बीच सत्र में छोड़े गये छात्रों की संख्या क्रमशः ७ और १३ है ।

(ब) किसी छात्र से व्यय वसूल नहीं किया गया ।

(स) शर्त का अभिप्राय केवल इतना ही था कि छात्र प्रवेश पाने से पहले यह दृढ़ निश्चय करके आयें कि उन्हें जहां तक हो सके बीच सत्र में स्वेच्छा से अध्ययन नहीं छोड़ना होगा। इसी लिये यह शर्त केवल एक सादे कागज पर ली जाती थी ।

*२२–२३—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

*२४—श्री जमादारसिंह, श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—

[हटा दिये गये ।]

अलीगंज में बिजली कारखाना के लिये भूमि की प्राप्ति

*२५—श्री लोकपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिला, अलीगंज कस्बा में बिजली संबंधी जो कारोबार बढ़ाये जाने को हैं, उसके लिये कृषकों की उपजाऊ भूमि ली जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ली जा रही है जब कि अलीगंज के चारों ओर और विशेष कर बी०डी० ओ० आफिस के समीप हजारों बीघा ऊसर भूमि पड़ी हुई है और कस्बों से वहां तक मौजूदा बिजली कार्यालय से जाने में जो खर्च पड़ेगा उसे देने के लिये उन खेतों के मालिकान सहर्ष तैयार हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, यह भूमि अलीगंज में वर्तमान टाउन सब-स्टेशन के निकट ३७.५ के०वी० सब स्टेशन तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिये ली जा रही है । क्योंकि प्राविधिक रूप से (टेक्निकली) यह भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये अति उपयुक्त है । इस सब-स्टेशन को ब्लाक डेवलपमेंट कालोनी के समीप हटा कर ले जाने में जो अतिरिक्त व्यय होगा उसको अदा करने के लिये खेतों के मालिकान से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गाजियाबाद में श्रीकृष्ण मेनन के विरोध में प्रदर्शन

*२६—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने समाचार-पत्रों में यह पढ़ा है या उनके पास कोई लिखित सूचना आयी है कि श्री कृष्ण मेनन जी ३० जनवरी, १९६३ को जब गाजियाबाद में रोटरी क्लब की मीटिंग में भाषण दे रहे थे उस समय कुछ लोगों ने उस स्थान पर हल्ला मचाया, शीशे तोड़ दिये और आग तक लगाने की कोशिश की और तकरीबन ५ घंटे उनको वहां से जाने नहीं दिया ? अगर हां, तो इस पर सरकार ने कोई कार्यवाही की ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां । सरकार को सूचना मिली थी कि ३० जनवरी, १९६३ को गाजियाबाद टाउन हाल में रोटरी क्लब द्वारा आयोजित एक सभा में श्री कृष्णमेनन भाषण देने के लिये आमंत्रित थे। इस के बाहर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया । इस प्रदर्शन एवं भीड़ द्वारा तोड़ फोड़ की सूचना मिलते ही पुलिस तथा अन्य अधिकारीगण मौके पर तुरन्त पहुंच गये और भीड़ को समझाकर तथा बल प्रयोग की धमकी देकर हटाया गया ।

६ व्यक्तियों को बाद में गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारायें १४७/४३७/४५२/४२७/३३२ के अन्तर्गत मामला न्यायालय में भेज दिया गया है ।

श्री कृष्णमेनन को पुलिस द्वारा सुरक्षित रूप से देहली पहुंचा दिया गया ।

ग्राम रामपुर घोघर का चौकीदार

*२७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि कोई चौकीदार ग्राम रामपुर घोघर, थाना ठाकुर द्वारा, जिला मुरादाबाद का बरख्वास्त किया गया था ? अगर हां, तो क्यों और दोबारा उसको क्यों रक्खा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ग्राम रामपुर घोघर का वर्तमान चौकीदार लगभग ८ साल पहले पिछले चौकीदार की मृत्यु के बाद नियुक्त हुआ था और तब से कार्य कर रहा है । उसको कभी बरख्वास्त नहीं किया गया । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

मुरादाबाद में कोयले की कमी की शिकायत

*२८—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या कोयले के अभाव के कारण मुरादाबाद में सैकड़ों बर्तन ढालने वाली भट्टियां दिन पर दिन बन्द होती जा रही हैं ? यदि हां, तो मुरादाबाद का निश्चित कोटा समय पर न मिलने का क्या कारण है ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखीमपुर में बिजली की अव्यवस्था, विद्युत् खण्ड, सीतापुर के गोदाम की सीमेंट

*२९—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखीमपुर-खीरी नगर में बहुधा बिजली फेल हो जाती है और नागरिकों को कभी-कभी आधा-आधा या पौन-पौन घंटे तक अंधेरे में बेचैनी हो जाती है? यदि हां, तो ऐसा क्यों एवं इसका कोई सुधार हो सकेगा या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां । पिछले महीनों में लखीमपुर-खीरी में लगभग २२ बार बिजली आधा घंटे से अधिक बन्द रही । यह या तो लाइन की देख-रेख के कार्य हेतु या लाइन में त्रुटि आ जाने के कारण बन्द रही । लाइन को ठीक करने के लिये लाइन का बन्द करना जरूरी था। अब इसमें अधिक सुधार करने का दिन प्रति दिन प्रयत्न किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को कठिनाई न उठानी पड़े ।

*३०—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या नगर लखीमपुर-खीरी के मोहल्ला गोटेइया बाग में एक हाइडल सब-स्टेशन के खोले जाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह योजना राज्य विद्युत परिषद् के विचाराधीन है ।

*३१—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि विद्युत खंड, सीतापुर डिवीजन के अधिशासी अभियंता, सीतापुर के गोदाम में उपेक्षा व लापरवाही के कारण कितनी बोरियां सीमेंट की सेट हो गई हैं ? वे किस अधिकारी विशेष की लापरवाही से हुयीं तथा अनुमानित उससे सार्वजनिक क्षति क्या हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

विद्युत खंड, सीतापुर के गोदाम में १,४६० सीमेंट की बोरियां सेट हो गई हैं जिनकी कीमत ६,६९० रु० है । इस मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

अल्म्युनियम फैक्टरी, पिपरी

*३२—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्म्यूनियम फैक्ट्री. पिपरी में उत्पादन कार्य कब से प्रारम्भ होने की संभावना है और उसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी ? क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त फैक्ट्री कितने रुपये की लागत से स्थापित हो रही है और क्या उसके संस्थापकों ने सरकार से उस संबंध में कर्जा लेने का प्रस्ताव रखा है ? यदि हां, तो कितने रुपये का प्रस्ताव किया है ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

इस फैक्ट्री में मई, १९६२ से उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है, इसकी उत्पादन क्षमता इस समय २०,००० मैट्रिक टन प्रति वर्ष है । परन्तु इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये भी लाइसेंस मिल चुका है और उसके बाद कुल उत्पादन ५०,००० टन प्रति वर्ष हो जायगा ।

फैक्ट्री की कुल अनुमानित लागत ४७ करोड़ रुपया होगी जिसमें लगभग २० करोड़ की लागत वर्तमान फैक्ट्री की है और लगभग २७ करोड़ रुपये की लागत फैक्ट्री के उत्पादन के प्रसार में लगेगी । इस कारखाने की स्थापना के संबंध में इसके संस्थापकों ने राज्य सरकार से किसी प्रकार का कर्जा नहीं मांगा है ।

*३३—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्म्यूनियम फैक्ट्री, पिपरी ने अब तक रिहन्द बिजली घर से कुल कितने किलोवाट, कितने रुपये की बिजली ली है और उस पर कितना रुपया बिजली का बकाया पड़ा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

अल्म्यूनियम फैक्ट्री, पिपरी ने जनवरी, १९६३ तक कुल २०,८५,१९,७८९ यूनिट बिजली ली है जो कि ४१,६४,९६७.६६ रुपये की होती है और उस पर कोई रुपया बकाया नहीं है ।

[४ अप्रैल, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

अछल्दा मेले में जुआरियों की गिरफ्तारी

*१—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेला अछल्दा (इटावा) में जो २७ दिसम्बर, १९६२ से ९ जनवरी, १९६३ तक हुआ था, डी-वाई० एस०पी०, इटावा ने आकर कोई जुआ पकड़ा था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां ।

*२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

यदि हां, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसमें कितने आदमी गिरफ्तार हुये और उसमें क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उसमें १० आदमियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनका धारा १३, गैम्बलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत चालान हुआ। इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह जुआ कब से हो रहा था। ब्लाक प्रमुख श्री जसवन्त सिंह ने इस जुये के होने की कोई सूचना थानाध्यक्ष, अछल्दा को नहीं दी थी।

*३—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार इस बात की जांच करने की कृपा करेगी कि जुआ के आयोजकों ने थानाध्यक्ष तथा मेला मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी? यदि हां, तो स्वीकृति देने का कारण क्या था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जुआ के आयोजकों को मेला मैजिस्ट्रेट ने नियमानुसार केवल गेम आफ स्किल (Game of Skill) की स्वीकृति दी थी।

इलाहाबाद के अतिरिक्त सेशन जज, श्री ए० सी० बंसल, का निर्णय

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद के श्री ए०सी० बन्सल, अतिरिक्त सेशन जज के इजलास में दो थानेदारों और कांस्टेबिल के विरुद्ध जो मुकदमा ३०२ का फारूक नाम के आदमी को मार डालने के विरुद्ध चल रहा था उसका फैसला जज महोदय ने २५-२-६३ में सबको निर्दोष पाकर छोड़ दिया? यदि हां, तो क्या सरकार उस मुकदमें में जज के फैसले के विरुद्ध अपील करने पर विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, निर्णय २७-२-६३ को दिया गया था। निर्णय की प्रतिलिपि की प्रतीक्षा की जा रही है उसके प्राप्त होने पर ही अपील के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

परगनाधीश, मड़ियाहूं के विरुद्ध जौनपुर वकील संघ का प्रस्ताव

*५—श्री ऊदल तथा श्री विजयपाल सिंह—

क्या सरकार को पता है कि जौनपुर के वकील संघ (बार एसोसियेशन) ने एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर एक हाकिम परगना के अशोभन शब्दों को न्यायालय में प्रयोग करने पर क्षोभ प्रकट किया है और उनकी अदालत का बहिष्कार पहली मार्च, १९६३ से कर दिया है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

बार ऐसोसियेशन, जौनपुर ने २८ फरवरी, १९६३ को हाकिम परगना मड़ियाहू के व्यवहार के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया था परन्तु उसमें उनकी अदालत का बहिष्कार करने का कोई जिक्र नहीं था। ५ मार्च, १९६३ को बार एसोसियेशन ने अपने उक्त प्रस्ताव को रद्द कर दिया।

*६-८—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

विजयानगरम भवन, वाराणसी में ब्याह के उपलक्ष्य पर कथित भेंट

*९—कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत २५ फरवरी, १९६३ को विजयानगरम भवन, वाराणसी में कुमारी काली कामाक्षी नामी लड़की और कुमार वीरेंद्र प्रताप सिंह नामी लड़के

की शादी के अवसर पर राज्यपाल महोदय, मंत्रिगणों और समासचिवों द्वारा कुछ भेंट सरकारी पैसे से सार्वजनिक तौर पर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रश्न में उल्लिखित शादी के अवसर पर न तो राज्यपाल ने, न किसी मंत्री ने, न उप मंत्री अथवा सभा सचिव ने सरकारी पैसे से कोई भेंट दी ।

*१०-१२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

*१३—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

[११ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मुरादाबाद जिले में सुरक्षा कोष

*१४—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले में किन-किन लोगों ने ५०० से अधिक और कितना-कितना रुपया एन०डी०एफ० में दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जिन लोगों ने मुरादाबाद में ५०० रु० से अधिक धन मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में दिया है उनके नाम की †सूची संलग्न है ।

एन०डी०एफ० में धन देने वालों के नामों की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

*१५—श्री रियासत हुसैन—

[७ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १०२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१६—श्री रियासत हुसैन—

[११ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१७—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री ब्रजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—

[११ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

केन क्शार संबंधी अपीलें

*१८—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बतलायेगी कि इस साल केन क्शार के सिलसिले में केन कमिश्नर क फैसले के खिलाफ कितनी अपीलें सरकार के पास आयीं ? उनमें से कितनी डिसाइड हो गयीं और कितनी बाकी हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१० मार्च, सन् १९६३ तक सरकार को क्शार की ११७ अपीलें प्राप्त हुई जिन में १०९ में फैसला हो चुका है और केवल आठ अपीलों पर निर्णय होना शेष है ।

*१९—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार बतायेगी कि जब कि एक सीजनल बिजनेस है, तो अपीलें डिसाइड होने में इतनी देर का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

क्शार की अपीलें प्राप्त होने पर चीनी आयुक्त से आख्या (Comments) मांगने होते हैं और उसके प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जाता है ।

*२०—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

[११ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

---

†छापी नहीं गयी।

डाइमन्ड पिपराइच शुगर फैक्टरी पर किसानों का बकाया

*२१—श्री बांकेलाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाइमण्ड पिपराइच शुगर फैक्ट्री गन्ना किसानों की गन्ने की कीमत नहीं दे रही है, इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वर्तमान सीजन में इस मिल पर गन्ने के मूल्य के रूप में २४.८२ लाख रु० वाजिब हुआ जिसमें से उक्त मिल ने १६.०६ लाख रु० १५-३-६३ तक भुगतान कर दिया है । गन्ना आयुक्त द्वारा शेष रकम की वसूली के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है ।

*२२—श्री बांकेलाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरदारनगर शुगर फैक्ट्री द्वारा पहले की भांति गन्ना किसानों को प्रेस मड नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को प्रेस मड दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सरदारनगर चीनी मिल ने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी गन्ना किसानों को प्रेस मड दिया है अतः इस प्रेस मड दिलाने की व्यवस्था कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*२३-२५—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—

[११ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

नवाबगंज ब्लाक प्रमुख, श्री झब्बूसिंह की हत्या

*२६—श्री सुरेंद्र विक्रमसिंह (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को यह पता है कि श्री झब्बूसिंह, ब्लाक प्रमुख, नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद की कुछ दिन पूर्व बन्दूक द्वारा हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, श्री झब्बू सिंह की हत्या बन्दूक द्वारा दिनांक २२-२-१९६३ को हुई थी । मरने के पूर्व मजिस्ट्रेट के सामने दिये गये उनके बयान के आधार पर एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और शेष दो अभियुक्त स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो गये हैं । पुलिस द्वारा जांच जारी है।

*२७—श्री सुरेंद्रविक्रम तथा श्री केशवसिंह—

क्या सरकार को यह पता है कि श्री झब्बू सिंह ने जिलाधीश, फर्रुखाबाद से अपनी सुरक्षा के लिये परिस्थितियों को अवगत करते हुये एक रिवाल्वर का लाइसेंस मांगा था जिसको जिलाधीश ने अस्वीकार कर दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, श्री झब्बू सिंह ने एक दरख्वास्त दी थी जो अस्वीकृत हो गई थी ।

छात्रों का अपहरण

*२८—श्री माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी) तथा श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार का ध्यान नेशनल हेराल्ड दिनांक ७ मार्च में छपी खबर की तरफ गया है जिसमें डाकुओं द्वारा ३ छात्रों के अपहरण की खबर छपी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां ।

*२९—श्री माधोनारायण मुद्गल तथा श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—
अपहरण की घटनाएं रोकने में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
इन घटनाओं को रोकने के लिये पुलिस दल काफी प्रयत्नशील है। मुख्य मुख्य स्थानों में पी० ए० सी० तथा सशस्त्र पुलिस की टुकड़ियां नियुक्त कर दी गई हैं और अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*३०—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—
[७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १०३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३१-३२—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—
[११वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३३—श्री गिरजा प्रसाद (जिला गोंडा)—
[३ अप्रैल, १९६३ को प्रश्न १०२] के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

बरखेड़ा थाने पर बलात्कार की रिपोर्ट

*३४—श्री मोहन लाल आचार्य (जिला पीलीभीत)—
क्या पुलिस मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना बरखेड़ा, ग्राम जोहरा कल्यानपुर, जिला पीलीभीत में फरवरी, १९६३ के अन्तिम सप्ताह में किसी महिला के साथ चौकीदार तथा अन्य कई व्यक्तियों ने बलात्कार किया ? यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
दिनांक २४-२-१९६३ को बरखेड़ा थाने पर एक चौकीदार तथा दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ग्राम ज्योरहा में एक महिला के साथ बलात्कार किये जाने की रिपोर्ट हुई थी।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा ३७६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया और चौकीदार को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया गया। इस मुकदमें में अभी जांच जारी है।

चकिया थाने में अपराध

*३५—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—
क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चकिया थाना, जिला वाराणसी में नवम्बर एवं दिसम्बर, १९६३ के अन्दर चोरी, नकबजनी की कितनी रिपोर्टें थाने में लिखाई गईं ?

*३६—क्या मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त रिपोर्टों में से कितनों की जांच की गई, कितने मामले कोर्ट में भेजे गये तथा कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र "क" में दी हुई है।
(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९५५ पर)

*३७—श्री रामलखन वकील—
क्या मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त अवधि के भीतर उक्त थाने के कनेरा गांव में से कितनी चोरी की रिपोर्टें थाने में लिखाई गई थीं और प्रत्येक में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
उक्त अवधि में ग्राम कनेरा से चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। नकबजनी की २ रिपोर्टें लिखाई गईं। इन दोनों मामलों का विवरण विवरण-पत्र "ख" में दिया हुआ है।
(देखिये नत्थी 'ङ" आगे पृष्ठ ९५६ पर)

खरगीपुर ग्राम से पुलिस के विरुद्ध पत्र

*३८—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़), श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १३ अक्तूबर, १९६२ का लिखित प्रार्थना-पत्र ग्राम खरगीपुर, थाना मधुवन, जिला आजमगढ़ के निवासियों का उन्हें और पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि अनुपस्थिति में पुलिस कर्मचारी घर के सामान, आभूषण, नकद रुपया, आदि १० अक्तूबर, १९६२ को उठा ले गये और मुकदमा चलाने, जेल भेजने आदि की धमकी देते गये? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस आशय का दिनांक १३-१०-६२ का प्रार्थना-पत्र, श्री झूरी यादव, निवासी ग्राम खरगीपुर द्वारा भेजा गया, प्राप्त हुआ था। उसकी जांच क्षेत्रीय निरीक्षक (Circle Inspector) श्री झूरी यादव के घर की तलाशी धारा ४५७/३२४ व धारा ३८० भा० दं० वि० के मामले में दिनांक ५-१०-६२ को हुई थी। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

*३९-४०—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

श्री एस० एम० अख्तर अवैतनिक लेफ्टिनेंट कर्नल का पत्र

*४१—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद) तथा श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री एस० एम० अख्तर, अवैतनिक लैफ्टिनेन्ट कर्नल ने मुख्य मन्त्री को कोई इस तरह का पत्र दिनांक २० नवम्बर, १९६२ को लिखा है जिसमें कि उन्होंने ३ अरब रुपये तथा कुछ सोना राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान देने के लिये लिखा है? यदि हां, तो क्या सरकार को वह रुपया प्राप्त हो गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां।

जी नहीं।

*४२—श्री धूमप्रसाद तथा श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या उक्त सज्जन ने कोई पत्र लिख कर यह भी बताया है कि वह अवध के नवाब वाजिद-अली शाह के उत्तराधिकारी हैं और सरकार के पास जमा उनकी पुरानी लगभग ७ सौ करोड़ रुपये की रकम उनको मिलनी चाहिये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं।

*४३—श्री उग्रसेन—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

कायमगंज में कटलरी का कारखाना

*४४—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज स्थान पर कटलरी के तथाकथित कारखाने में कोई उत्पादन होता है, अथवा जो भी सामान उसमें उत्पादन किया दिखाया जाता है वह बाजार से खरीद कर रख दिया जाता है?

श्री फूलसिंह—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—राजकीय कटलरी केन्द्र, कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में उत्पादित वस्तुओं के नाम से जिन सामानों का प्रदर्शन किया जाता है, वे इसी केन्द्र के ही बने होते हैं।

*४५—श्री दयाराम शाक्य—

क्या उद्योग मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कटलरी में कौन हेड मिस्त्री कार्य कर रहा है तथा उस को नियुक्ति के पूर्व कौन हेड मिस्त्री कार्य करता था और उसे हटाये जाने के क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह—

इस केन्द्र में कोई हेड मिस्त्री का पद नहीं हैं। किन्तु मिस्त्री का पद अवश्य है। इस पद पर अब तक केवल एक बार ही नियुक्ति हुई है और श्री सुल्तान अली खां जो इस प्रकार नियुक्त किये गए थे अब भी काम कर रहे हैं।

कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए उद्योगपतियों को सुझाव

*४६—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार उद्योगपतियों को इस बात के लिये मजबूर कर रही है कि वे जो जमीन बड़े कारखानों के लिये खरीदें उस में उस किसान को जिसको कि उस पर भूमिधरी या सीरदारी के अधिकार हों मुआवजे के साथ-साथ कुछ हिस्सा मुनाफे से भी हमेशा देते रहा करें या यह सिर्फ एक सुझाव है जो माननीय मुख्य मन्त्री ने उद्योगपतियों को दिया है ? यदि यह सिर्फ एक सुझाव नहीं है बल्कि सरकार इसको कानूनी शकल देना चाहती है, तो ऐसा कब तक हो सकेगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हाल ही में उद्योगपतियों की एक सभा सरकार ने बुलाई थी जिसमें प्रदेश के औद्योगीकरण की समस्याओं पर विचार-विनिमय हुआ। उस अवसर पर मुख्य मंत्री ने यह सुझाव रखा था कि जब उद्योग धंधों के लगाने के लिये भूमि अर्जित करना पड़े तो बाजार भाव से दाम देने के अतिरिक्त भूमिपति को १५ प्रतिशत धन और दिया जाय और इस १५ प्रतिशत धन के लिए भूमिपति को यह अधिकार देने का सुझाव रखा गया था कि इस धन को वह यदि चाहे तो नये लगाने वाले उद्योग में हिस्से (share) के रूप में ले ले, जिससे कि वह नए उद्योग में हिस्सेदार बन कर उसके लाभ में हिस्सा बंटा सके।

यह सुझाव सभा ने सर्व सम्मति से स्वीकार किया और तदनुसार सरकार से सिफारिश की है।

इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये क्या कानूनी तथा प्रशासकीय कार्यवाही की जाए इस पर जल्द ही विचार कर के निर्णय होगा।

गन्ना बिक्री केंद्र परधान

*४७—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) तथा श्री बंकटा सिंह (जिला खीरी)—

क्या गन्ना विकास मंत्री को इस बात की सूचना है कि गन्ना बिक्री केन्द्र परधान, लखीमपुर में तौल कांटे के इधर-उधर गन्ना भरी बैलगाड़ियों के कांटे तक पहुंचाने के लिये पक्के रास्ते तथा पक्का प्लेटफार्म न होने के कारण उस केन्द्र के किसानों को बरसात में गाड़ी-बैल टूटने-फूटने के कारण भारी क्षति उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या इसका कोई सुधार या रोकथाम होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

निर्दिष्ट केन्द्र तक पहुंचने के लिये कोई पक्का रास्ता नहीं बना है परन्तु किसी गन्ना भरी बैलगाड़ियों के टूटने-फूटने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। गन्ना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद तथा विनियमन) नियमावली, १९५४ के नियम ४० के अन्तर्गत सम्बन्धित मिल को मार्ग पक्का कराने के लिये आवश्यक हिदायत भेज दी है।

*४८—श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री को इस बात की भी जानकारी है कि कथित केन्द्र पर सम्बन्धित चीनी मिलों द्वारा शेड की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

गन्ना आयुक्त ने उक्त केन्द्र पर शेड की व्यवस्था के लिये भी सम्बन्धित चीनी मिल को उचित हिदायत भेज दी है।

बलिया जिले में बिजली

*४९—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत कितने टाउन एरिया तथा नोटिफाइड एरिया में अब तक बिजली पहुंच गई है और कितनी टाउन एरिया में अभी तक बिजली नहीं पहुंची ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

बलिया जिले में निम्नलिखित टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया का विद्युतीकरण किया जा चुका है :

(१)	बरा गांव	टाउन एरिया
(२)	बांसडीह	,, ,,
(३)	मनियर	,, ,,
(४)	रेवती	,, ,,
(५)	सहतावर	,, ,,
(६)	रसड़ा	नोटीफाइड एरिया

केवल सिकन्दरापुर टाउन एरिया में अभी बिजली नहीं पहुंची है।

*५०—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या सरकार सिकन्दरपुर टाउन एरिया, जिला बलिया की जनसंख्या को देखते हुये तथा छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को ध्यान में रखते हुये बिजली पहुंचाने पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सिकन्दरपुर टाउन एरिया का विद्युतीकरण विचाराधीन है।

*५१-५२—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

धामपुर शकर मिल

*५३—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि क्या यह सत्य है कि धामपुर शक्कर मिल, बरेली में ४ फरवरी, १९६३ को ५० हजार रुपयों की चोरी हुई है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं। ऐसी कोई चोरी नहीं हुई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*५४-५५—श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)—

[हटा दिये गये।]

जेठवार थाने में डकैती

*५६—श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले के थाना जेठवार के ग्राम खरदई में दिसम्बर, १९६२ में कोई डाका पड़ा था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रतापगढ़ जिले के पाला अेठवार के ग्राम बरवई में सितम्बर, १९६२ में कोई डाका नहीं पड़ा वरन् जनवरी, १९६३ में डकैती की एक घटना हुई थी।

*५७—श्री बाबूलाल—

क्या यह सत्य है कि उस रात्रि में उक्त थाने के एक दरोगा सथ पुलिस उसी ग्राम में थे तथा जब डाकू सामान लूट रहे थे उस समय भी वह दरोगा उसी ग्राम में थे फिर भी सहायता का कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया और डाकू माल लूट कर चले गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उस घटना के समय थाने के एक दरोगा और दो सिपाही उसी ग्राम में थे और वह वादी की मदद करने में असफल रहे और डाकू माल लूट कर चले गये।

*५८—श्री बाबूलाल—

क्या यह सत्य है जो कि रिपोर्ट पुलिस में लिखायी गयी है उसमें उक्त दारोगा पर भी सन्देह व्यक्त किया गया है तथा उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं। वादी ने अपनी लिखित रिपोर्ट में दारोगा या सिपाहियों पर डाका डालने के सम्बन्ध में कोई सन्देह व्यक्त नहीं किया। परन्तु बाद में उन्होंने सन्देह किया कि शायद यह डकैती दरोगा और सिपाहियों ने ही डलवाई है। इसकी तुरन्त जांच की गई और यह आक्षेप निराधार पाया गया।

*५९—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६०—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) तथा श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६१-६३—श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

श्री क्रुश्चेव के वक्तव्य पर कथित नोट

*६४—श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २० दिसम्बर, १९६२ को सूचना विभाग की ओर से रूस के तानाशाह श्री क्रुश्चेव के वक्तव्य पर कोई प्रेस नोट (Press Note) जारी किया गया है ? यदि हां, तो किस अफसर की आज्ञा से और क्यों ?

श्री बनारसीदास—

दिनांक २० दिसम्बर, १९६२ को श्री क्रुश्चेव के वक्तव्य पर कोई प्रेस नोट (Press Note) जारी नहीं किया गया था। अतः शेष भाग के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता।

चीन समर्थक कम्युनिस्टों की रिहाई के लिए सिफारिश

*६५—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि क्या यह सत्य है कि पिछले पक्ष में विधान सभा के कुछ प्रमुख सदस्यों ने सरकार द्वारा पकड़े गये चीन समर्थक कम्युनिस्टों को छोड़ने का आग्रह किया है ? यदि हां, तो किन-किन बन्दियों की तथा किन-किन सदस्यों ने संस्तुति की है, उनका नाम क्या है तथा वे बन्दी कब और किस अपराध में पकड़े गये थे—चीन-भारत विरोधी भाषण गलत अफवाह फैलाने या जासूसी आदि करने में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। फरवरी में विधान सभा के कुछ सदस्य डिफेन्स आफ़ इन्डिया रूल्स के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए व्यक्तियों के मामलों में मुझसे मिले थे और उन्होंने कुछ नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा करने का आग्रह किया था।

*६६-६७—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

लखनऊ, कानपुर की आटोमोबाइल कम्पनियों का सुरक्षा कोष में योग

*६८—राजा अवधेश प्रताप (जिला देवरिया), श्री कल्पनार्थसिंह, तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ और कानपुर की आटोमोबाइल कम्पनियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में कितना रुपया चन्दा दिया है और प्रत्येक का आंकड़ा क्या है तथा उनकी तारीखें क्या हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

*६९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[हटा दिया गया।]

*७१—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

[७वें शुक्रवार के प्रश्न १०४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

चीन समर्थक कम्युनिस्टों के साथ जेल में व्यवहार

*७२—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह बात सत्य है कि चीन समर्थक कम्युनिस्ट जो सरकारी जेलों में हैं उनके प्रति क्या व्यवहार किया जाये इस के बारे में केन्द्रीय सरकार की ओर से अपनी सरकार को कुछ निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कम्युनिस्टों के बारे में तो नहीं परन्तु आमतौर पर केन्द्रीय सरकार से कुछ सुझाव आए थे। इस सिलसिले में राज्य सरकार ने U. P. Security Prisoner's Rules, 1950 को कुछ मामूली संशोधनों के साथ लागू कर दिया है।

प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, उन्नाव की आडिट रिपोर्ट

*७३—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को पता है कि सन् १९५९ से १९६२ के दरमियान प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र (Training-*cum*-Production Centre) उन्नाव में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा हजारों रुपयों का गबन हुआ है?

श्री फूलसिंह—

जी नहीं।

*७४—श्री श्यामलाल—

सन् १९५९ से १९६२ तक की उक्त केन्द्र की आडिट रिपोर्ट क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री फूलसिंह—

उक्त केन्द्र की संबंधित आडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

*७५—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

शकर का मूल्य नियंत्रण विषयक सुझाव

*७६—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि क्या सरकार से केन्द्रीय सरकार ने शकर के मूल्य-नियंत्रित करने तथा उचित वितरण की व्यवस्था करने के हेतु एक केन्द्रीय मारकेटिंग बोर्ड की स्थापना के बारे में बातचीत की है ? यदि हां, तो पूर्ण योजना क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, अरौतिक रूप से की गई बातचीत (informal discussions) में उक्त बोर्ड बनाने का इरादा बताया गया था, किन्तु केन्द्रीय सरकार से इस विषय में अभी तक कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतारांकित प्रश्न

मुरादाबाद जिले में कोआपरेटिव सोसाइटीज को रिबेट

१—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री बतलायेंगे कि जिला मुरादाबाद में वित्तीय वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ में वीवर कोआपरेटिव सोसाइटीज और हैन्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटीज को कितना रुपया रिबेट का मिला और उसका वितरण अलग-अलग हर सोसाइटी को कितना-कितना हुआ ?

श्री फूलसिंह—

६१–६२ और ६२–६३ में क्रमशः १,५७,६८० रुपये ९१ नये पैसे तथा ८०,०८५ रुपये २३ नये पैसे रिबेट के रूप में दिये गये। उनका विवरण संलग्न सूची 'क' और 'ख' में दिया गया है।

२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[४ अप्रैल, १९६३ के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

३—श्री काशीनाथ मिश्र—

[हटा दिया गया।]

वाराणसी व भदोही में गुण चिन्हांकन

४—श्री रघुनाथसिंह—

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सुनहरे धागे तथा भदोही के ऊनी कालीन पर गुण चिन्हांकन करने वाले कितने विशेषज्ञ प्रदेश भर में नियुक्त हैं, उनके विभाग और कार्यालय एक हैं या अलग ?

---

†छापी नहीं गईं।

श्री फूलसिंह—

प्रथम भाग—कथित उद्योगों में प्रदेश भर में गुण चिन्हांकन करने वाले विशेषज्ञों का ब्योरा निम्न प्रकार से है :

उद्योग	संख्या
हथकरघा	२१
रेशमी वस्त्र	१
सुनहरे धागे	१
ऊनी कालीन भदोही	१

द्वितीय भाग—इनका विभाग एक है पर कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर हैं।

५—श्री रघुनाथसिंह—

वाराणसी की उपरोक्त गुण चिन्हांकित वस्तुओं के प्रचार और बिक्री के लिये अलग-अलग कितना ऋण तथा अनुदान १९६१-६२ और १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष में दिये गये?

श्री फूलसिंह—

इस योजना के अन्तर्गत ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। अनुदान का ब्योरा निम्न प्रकार से है :

	१९६१-६२	१९६२-६३
	रु०	रु०
१—रेशमी उद्योग, वाराणसी	४,७५०	४,७५०
२—कला वस्तु उद्योग, वाराणसी	४,७५०	२,०००
३—कालीन उद्योग, भदोही	४,७५०	२,०००

६—श्री रघुनाथसिंह—

इन वस्तुओं के उत्पादकों को प्राविधिक परामर्श देने और उनके बनाये माल की परीक्षा करने का कार्य किस प्रकार किया जाता है ?

श्री फूलसिंह—

प्रथम भाग—प्राविधिक परामर्श का कार्य निरीक्षक एवं विशेषज्ञ करते हैं।

द्वितीय भाग—कच्चे व तैयार माल का परीक्षण, परीक्षकों द्वारा निरीक्षण केन्द्रों में होता है, जो परीक्षण उपकरणों एवं यंत्रों से सज्जित होते हैं।

सहारनपुर जिले में 'लोकार्थ' के सम्पादक एवं अन्य व्यक्तियों की डी० आई० आर० में गिरफ्तारी

७—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिला सहारनपुर में लोकार्थ साप्ताहिक हिन्दी के खिलाफ और उसके एडीटर के खिलाफ कुछ चारजेज लगाकर डी० आई० आर० में गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या शिकायतें हैं और इस विषय में क्या हो रहा है ?

†छापी नहीं गई।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

लोकार्य साप्ताहिक पत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसके सम्पादक को धारा ४/६ एक्सप्लोसिव ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान इनके विरुद्ध डिफेन्स आफ इंडिया रूल ४१ का भी जुर्म पाया गया। अतएव इनके विरुद्ध नियम ४१ के अन्तर्गत भी चार्ज लगाया गया। मामले अदालत के विचाराधीन हैं।

८—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिला सहारनपुर में कुल कितने लोग डी० आई० आर० में गिरफ्तार किये गये और वह कौन-कौन लोग हैं और क्या पेशा करते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जिला सहारनपुर में सर्वश्री राज कुमार बोहरा वकील व शफीक अहमद, सम्पादक साप्ताहिक आजाद, को डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स ३० के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वश्री शोभनाथ, सम्पादक लोकार्य, व मनफूल साह, फकीर के विरुद्ध डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स ४१ के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया है।

९—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि कलक्टर, जिला सहारनपुर, ने कोई प्रेस कान्फरेंस माह जनवरी में बुलायी थी और उस में यह कहा था कि कोई प्रेस मैन या एडीटर गिरफ्तार नहीं किया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कलक्टर सहारनपुर ने जनवरी में कोई प्रेस कान्फ्रेन्स नहीं बुलाई थी। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, फतेहपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

१०—श्री रघुबीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, फतेहपुर, द्वारा गलत कार्यवाही करने के फलस्वरूप इसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा २१८/२१९/१६७ के अन्तर्गत मुकदमा दायर करने की आज्ञा प्राप्त करने हेतु श्री प्रहलाद सिंह, पुत्र तेजसिंह, निवासी करचलपुर, थाना जहांनाबाद, जिला फतेहपुर, ने उत्तर प्रदेश सरकार, चकबन्दी विभाग, एवं जिशाधीश, फतेहपुर, की सेवा में दिनांक २१ नवम्बर, १९६२ को १९७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या आदेश हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। १९ दिसम्बर, १९६२ को नियुक्ति (क) विभाग में यह प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ। उस पर विचार होने के पश्चात् वह खारिज कर दिया गया।

११—श्री रघुबीर सहाय कैथवार—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि श्री प्रहलाद सिंह के लगभग तीन माह के उक्त प्रार्थना-पत्रों पर अब तक उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना न देने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कार्यालय ज्ञाप संख्या ११५९५/२(क)—२५३-१९६२, दिनांक १६ जनवरी, १९६३ के द्वारा प्रार्थी को सूचना दी जा चुकी है।

मुरादाबाद जिले में कान्स्टेबिलों के तबादले की मन्सूखी

१२—श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री खेम चन्द—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६२ ई० में मुरादाबाद जिले में कितने कांस्टेबिलान और कितने हेड कांस्टेबिलान का एक थाने से दूसरे थाने को या एक चौंकी से दूसरी चौकी को तबादला कर के उसी वर्ष के अन्दर तबादला मन्सूख कर दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
आठ कांस्टेबिल ।

१३—श्री हलीमुद्दीन तथा श्री खेमचन्द—
क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इन तबादलों की मन्सूखी की वजह क्या है और इस पर टी० ए० वगैरह के सिलसिले में कुल कितना खर्च हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
यह तबादले कान्सटेबिलों की घरेलू तथा प्रशासन संबंधी कठिनाइयों के कारण मन्सूख किये गये थे और इस संबंध में टी० ए० पर कुछ भी नहीं खर्च किया गया है ।

मुजफ्फरनगर गन्ना समिति में स्पेशल ग्रेड सेक्रेटरी नियुक्त करने का विरोध

१४—श्री बालकराम वैश्य—
क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि०, लखनऊ, ने फरवरी, १९६२ में मुजफ्फरनगर गन्ना समिति में एक स्पेशल ग्रेड सेक्रेटरी की जगह बनायी थी जिस पर एक रिटायर्ड गन्ना विकास निरीक्षक को नियुक्त किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
जी हां । मुजफ्फरनगर गन्ना समिति में स्पेशल ग्रेड सेक्रेटरी की जगह पर सीजन १९६१–६२ के अन्त तक के लिये अस्थायी रूप से यह नियुक्ति की गई थी ।

१५—श्री बालकराम वैश्य—
क्या उत्तर प्रदेशीय गन्ना संघ एवं गन्ना समिति कर्मचारी यूनियन, लखनऊ ने जून, १९६२ में गन्ना आयुक्त को एक रिप्रेजेन्टेशन उक्त नियुक्ति के विरुद्ध भेजा था जिसकी प्रतिलिपियां मुख्य मंत्री, गन्ना विकास मंत्री और उप-मंत्री श्रम एवं आयुक्त, उत्तर प्रदेश, को भी प्रेषित की थीं, जिसमें ऐसी मांग भी की गयी थी कि रिटायर्ड गन्ना विकास निरीक्षक के लिये बनायी गयी स्पेशल ग्रेड सेक्रेटरी की जगह कायम रखी जाय और उस पद पर ज्येष्ठ प्रथम ग्रेड सेक्रेटरी को पदोन्नति देकर नियुक्त किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
जी हां ।

१६—श्री बालकराम वैश्य—
क्या उक्त मांग के विरुद्ध रिटायर्ड गन्ना विकास निरीक्षक के हटाये जाने के बाद उनकी जगह भी समाप्त कर दी गयी ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि०, लखनऊ, ने कितने ऐसे पदों का निर्माण किया जिन पर नियुक्ति व्यक्ति विशेष के हट जाने के बाद वे पद तुरन्त ही समाप्त कर दिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
स्पेशल ग्रेड सेक्रेटरी की जगह अस्थायी तौर पर सीजन १९६१–६२ के अन्त तक के लिये की गई थी । इसलिये वह समाप्त कर दी गई ।

पिछले पांच वर्षों में संघ द्वारा निम्नलिखित तीन ऐसे पदों का निर्माण किया गया था जो कि उन पर नियुक्त व्यक्तियों के हटने के बाद समाप्त कर दिये गये ।

(१) आफिस सुपरिन्टेंडेन्ट, उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी संघ कार्यालय, लि०, लखनऊ ।

(२) सहायक लेखाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी संघ कार्यालय, लखनऊ ।

(३) जरनलिस्ट तथा इन्चार्ज, मैगजीन सेक्शन, उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी संघ कार्यालय, लखनऊ ।

पोलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट

१७—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार पोलीटेक्निक संबंधी निम्नांकित बातें बताने की कृपा करेगी :

(अ) उत्तर प्रदेश में कुल कितने पोलीटेकनिक इन्स्टीट्यूट हैं ?

(ब) इस साल प्रथम कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं और उनमें कुल कितने हरिजन विद्यार्थी हैं ?

(स) क्या सभी हरिजन विद्यार्थियों को वजीफा मिलता है और फीस भी माफ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कुल २१ पोलीटेकनिक संस्थायें है जिनमें ६ राजकीय तथा शेष १५ राज्य सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त हैं ।

इस साल प्रथम वर्ष कक्षा में कुल २,५३६ विद्यार्थी हैं, और उनमें ११७ हरिजन हैं ।

सभी हरिजन विद्यार्थियों को वजीफा नहीं मिलता परन्तु फीस सबकी माफ है । सब हरिजन छात्रों को वजीफा न मिलने का कारण यह है कि पोलीटेक्निक के आय-व्ययक में इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी उन्हें योग्यता तथा निर्धनता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा वजीफा दिया जाता है । कुछ हरिजन विद्यार्थियों को हरिजन, कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा भी वजीफे दिये जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन*

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में राजस्व विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ५८४६/१—क—२७०—६१, दिनांक ३/७ जनवरी, १९६३ एवं संख्या यू० ओ-०३४०/१-क—४४३-डी-५९, दिनांक १२ फरवरी, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २७ मार्च, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २८ मार्च, १९६३ को वापस प्राप्त हुआ, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३० मार्च, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का ११वां अधिनियम बन गया ।

---

*छापे नहीं गये ।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री लखपतराम शर्मा (जिल झांसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना था कि मैंने प्रदेश में स्वर्णकारों की दशा जो दिनों दिन खराब होती जा रही है उसके संबंध में एक नियम ५२ दिया था....

श्री अध्यक्ष—

उसका कल जवाब आ जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, इसमें हमारा प्रश्न संख्या १७ आप देखें। यह प्रश्न मैंने १६-२-६३ को दिया था और सरकार को भेजने की तारीख ३-३-६३ इसमें लिखी हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें इतना विलम्ब क्यों होता है? और वह आज भी नहीं आ पाया।

श्री अध्यक्ष—

हमारे यहां आप आ जाते तो मैं बता देता। इस वक्त तो नहीं बता सकता हूं।

सरदार बलदेवसिंह, सदस्य, विधान सभा के प्रति पुलिस के व्यवहार के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कथित गलत सूचना दिये जाने के विषय में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय बलदेवसिंह और माननीय राजेन्द्रसिंह की एक विशेषाधिकार की सूचना आयी है, वह इस प्रकार है—"मान्यवर,कल जिस समय आदरणीय सदन में माननीय बलदेवसिंह पर पुलिस के अमानुषिक अत्याचार के विषय में विचार हो रहा था उस समय माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सरकार द्वारा दी गई सूचना के संबंध में एक तार पढ़कर सुनाया गया था जिसकी भाषा अंग्रेजी थी, उसका हिन्दी भाषा अनुवाद है कि 'वह (माननीय बलदेवसिंह जी) बेल पर छोड़ दिये गये।' परन्तु जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि माननीय बलदेवसिंह ने अपनी कोई जमानत नहीं कराई और न उन्होंने किसी ऐसे कागज पर कोई हस्ताक्षर ही किये जो कि मुचलके या जमानत से संबंधित हों। इस प्रकार सदन को गलत सूचना दी गई है जिससे कि आदरणीय सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना तथा आदरणीय सदन का अपमान हुआ है। अस्तु मैं आपके माध्यम से सरकार को गलत बयानी करने के दोष के कारण विशेषाधिकार-अवहेलना की नोटिस देता हूं।"

इसको भी वहीं, विशेषाधिकार समिति को, भेज देता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक माननीय हलीमुद्दीन राहत मौलाई का है और दूसरा माननीय श्यामलाल जी का है। इनका विषय बहुत दुखद है। कुछ साधुओं में आपस में मारपीट हुई है, लेकिन घटनाओं की तिथि बतलाई गयी है २, ३ मार्च तथा २६ फरवरी। २, ३ मार्च और २६ फरवरी के पूर्व से हमारा सारा सेशन बराबर हो रहा है। पुलिस अनुदान और प्रशासन के अनुदान सदन में प्रस्तुत हुए। तब इसका कोई उल्लेख आपने नहीं किया और न इस प्रस्ताव को दिया। स्पष्ट है कि यह प्रश्न अविलम्बनीयता की श्रेणी में नहीं आता है। तब भी मैं इसको माननीय मंत्री जी के पास भेजता हूं ताकि वे इसको देख लें। इसमें शिकायत यह है कि कुछ सवर्ण साधुओं और हरिजन साधुओं में झगड़ा हुआ। सवर्ण साधुओं ने उनके प्रोसेशन को रोका, जाने नहीं दिया। मंत्री जी इसको देख लें।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

भगवान रविदास जयन्ती का जुलूस निकल रहा था। तो इस पर आप वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

इस पर वक्तव्य नहीं हो सकता है। जिस रूप में आपने इसको दिया है, मैं उसको उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।

एक दूसरा श्री रामचरण शाह और श्री दयाराम शाक्य जी का है....

श्री राजेंद्रसिंह (जिला एटा)--

इनको जरा पढ़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको पढ़कर सुना देता, किन्तु जिस भाषा में जिन आरोपों के साथ आपने इसको अलंकृत किया है, उसको सुनाना, मैं समझता हूं, उचित नहीं होगा। यह हमारे अधिकारों के बाहर की बात है। आप कहते हैं कि कुछ ऐसी कार्यवाही हमारी सीमा पर हो रही है कम्युनिस्टों की तरफ से, जिससे कि शंका पैदा हो रही है। अगर शंका हो भी रही है, तो उस संबंध में यह नहीं कहा गया कि उससे ला एंड आर्डर म फर्क आ रहा है। सूचना का विषय सेंटर का है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास ३ सूचनायें नियम ५२ के अन्तर्गत आई हैं। एक माननीय शांतिचन्द्र शुक्ल की है, एक माननीय कैलाश सिंह की है और एक माननीय रक्षपालसिंह की है। कैलाश जी की सूचना को मैंने अस्वीकृत कर दिया है। यह बिलकुल अनिश्चित है। कानून के अन्तर्गत जो कार्यवाही हो रही है उसके संबंध में कोई शिकायत यहां पर नहीं की जा सकती। आपने कहा है कि कुछ लोगों से लगान वसूल किया जा रहा है। तो लगान तो वसूल होगा....

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

शिकायत यह है कि कोर्सिव मैथड अख्तियार किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

उसके सिलसिले में आपका कहना है कि कुछ ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जो कठोरता के द्योतक हैं, कठोरता या कठिनाई जो भी हो। अगर इसमें यह कहा जाता कि किसी कानून को भंग किया गया, तो शायद इसको मैं देखता। इसमें यह भी नहीं दिया है।

श्री कैलाश (जिला देवरिया)--

उनको जबरदस्ती मालगुजारी के लिये हवालात में रखा जाता है। उसमें हमने यह लिखा है कि वह अखबारों में निकल चुका है।

श्री अध्यक्ष--

यदि आपने उसमें लिखा है कि अखबारों में निकल चुका है, तो भी वह आधार नियम ५२ के बनने का नहीं हो सकता। आपने इसमें यह स्पष्ट नहीं लिखा है। आप ठीक तरह से सूचना नहीं देते हैं, तो मैं क्या करूं ?

माननीय रक्षपाल सिंह और माननीय शांति चन्द्र के दो आये हैं और इनको मैं माननीय मंत्रीजी के पास अवश्य उचित कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं यद्यपि इसमें मैं समझता हूं कि इस समय नियम ५२ के अन्तर्गत कोई बयान नहीं हो सकता।

[श्री अध्यक्ष]

माननीय शांतिचन्द्र शुक्ल जी ने कहा है कि श्रमिकों के सहयोग के ऊपर प्रदेश के पूर्वी जिलों की चीनी मिलों में उत्पादन काफी बढ़ा है । मिल मालिकों को काफी आय हुई है । श्रमिकों के इस सहयोग का फल आज यह मिल रहा है कि नवाबगंज, बलरामपुर, घुघली, आनन्दनगर, पिपराइच, भटनी, खलीलाबाद, आदि चीनी मिलों के प्रबन्धक श्रमायुक्त कानपुर से स्वीकृति ले कर ६ माह के लिये श्रमिकों को अनिवार्य छुट्टी देने जा रहे हैं। इसको मैं इम्पार्टेंट समझता हूं और इसको भेज रहा हूं सरकार के पास, ताकि फौरन इस पर वे कार्यवाही करें ।

एक रक्षपालसिंह जी का है कानपुर के बारे में। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले औद्योगिक नगर कानपुर में गत कुछ दिनों से गुन्डागर्दी तथा छात्राओं से छेड़छाड़ की बढ़ती हुई घटनाओं ने कानपुर की शान्ति व्यवस्था के सामने एक भीषण संकट उत्पन्न कर दिया है। फजलगंज चौराहे पर एक अध्यापक की सरेआम हत्या कर दी गयी है । नगर में गुन्डागर्दी और लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनायें हो रही हैं । उनको रोकने के लिये पुलिस असफल रही है । इसको भी मैं मंत्री जी के पास भेजता हूं ताकि शीघ्रातिशीघ्र वह इस पर ध्यान दें ।

लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए एक सदस्य के निर्वाचन संबंधी सूचना

श्री अध्यक्ष--

लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये एक सदस्य के निर्वाचन हेतु माननीय मेघनाथ सिंह शिशोदिया, मेरठ तथा देवेंद्र सिंह, नैनीताल के प्राप्त नामांकन पत्र सूक्ष्म परीक्षा उपरांत ठीक पाये गये हैं। अतः यदि एक अतिरिक्त नाम वापसी की अंतिम तिथि तथा समय, अर्थात् ४ अप्रैल को सायंकाल ५ बजे, तक वापस हो जाय तो अच्छा हो वरना कल एलेक्शन होगा । कल १२ बजे से ५ के बीच में एलेक्शन होगा यदि आवश्यकता हुई तो ।

संयुक्त समाजवादी दल के नये पदाधिकारियों के नामों की सूचना

श्री अध्यक्ष--

जो नये पदाधिकारी चुने गये हैं संयुक्त समाजवादी दल के, उनके नाम इस प्रकार हैं :--

माननीय बलवन्तसिंह	नेता
माननीय नरसिंहनारायण पांडेय	उपनेता
श्री होरीलाल यादव	मंत्री
श्री रियासत हुसैन	उपमंत्री
श्री रामसुन्दर पांडेय	मुख्य सचेतक
श्री सत्यनारायण पांडेय	सचेतक
श्री मैनेजरसिंह	कोषाध्यक्ष

कार्य-मंत्रणा समिति के मनोनीत सदस्य के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय नरसिंह नारायण पांडेय ने कार्यमंत्रणा समिति से अपना नाम विदड्रा कर लिया है और उनका त्यागपत्र मैंने स्वीकार कर लिया है । उस स्थान पर अब उन्होंने अपने मुख्य सचेतक माननीय रामसुन्दर पांडेय जी का नाम प्रस्तुत किया था, जो मैंने स्वीकार कर लिया है ।

एक सदस्य—
संख्या कितनी होगी ?

श्री अध्यक्ष—
कल बता दिया जायगा। इस समय वह मेरे पास नहीं है।

श्री हरिनन्दन शरण भटनागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में लेख्यों को न्यायालय में उपस्थित करने के मामले से संबंधित विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि करने हेतु संकल्प

श्री हीतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—
माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं—

"चूंकि श्री हरिनन्दन शरण भटनागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के व्यावहारिक वाद संख्या ४४२, १९६२ में वादी के आवेदन पर अतिरिक्त मुंसिफ, लखनऊ के न्यायालय द्वारा मांगे गये लेख्यों को न्यायालय में उपस्थित करने के मामले से संबंधित प्रश्न विशेषाधिकार समिति को ४ मार्च, १९६३ को निर्दिष्ट कर दिया गया था और चूंकि विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का कोई समय नियत नहीं किया गया था और इसलिये विशेषाधिकार समिति को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर प्रस्तुत कर देना था किन्तु समिति एक मास के भीतर इस प्रश्न पर विचार समाप्त न कर सकी। अतः उक्त प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने का समय १५ मई, १९६३ तक बढ़ा दिया जाये और यदि समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय का उपवेशन न हो रहा हो तो माननीय अध्यक्ष विशेषाधिकार समिति की सिफारिश के अनुसार कार्य करते हुये यथास्थिति उक्त न्यायालय द्वारा मांगे गये लेख्यों को न्यायालय में उपस्थित करने की अनुमति दें अथवा उनके संबंध में विशेषाधिकार की मांग करें।"

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—
श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस संकल्प का विरोध करता हूं और इसलिये करता हूं कि सदन तो १५ मई को बैठेगा नहीं, जो आपने समय दिया है, उस समय सदन की बैठक नहीं हो रही होगी। वह तो जुलाई, अगस्त में होगी। मेरा संशोधन यह है कि जब तक आगे सदन न बैठे, तब तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्रीमन्, मैं इसलिये ऐसा कहता हूं और बड़े दुख के साथ कहता हूं कि आप यह अधिकार ले रहे हैं कि कुछ हम लोगों की भावना ऐसी है कि जब से आप अध्यक्ष हुये हैं, तभी से हम आप में विश्वास तो रखना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं हो पाता है। कुछ बातें ऐसी बनती चली जा रही हैं और आपकी कुछ व्यवस्थाओं से हम नहीं चाहते हैं कि आपको यह अधिकार दें। हम यह चाहते हैं कि सदन जब तक बैठे तब तक के लिये इसमें केवल समय बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—
श्रीमन्, मैं भी इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं उस प्रस्ताव का विरोध नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अगर उसका विरोध करूं, तो उसके माने हैं कि उस विशेषाधिकार के प्रश्न का क्या हो। परन्तु मैं यह शिकायत जरूर करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

के प्रश्नों को जितना महत्व दिया जाना चाहिये, वह शायद हम नहीं दे पा रहे हैं। विशेषाधिकार के प्रश्नों को आपके नियमों में इस प्रकार की गुंजाइश है कि सबसे पहले उसको और दूसरे सारे कामों से प्राथमिकता आप देते हैं। प्राथमिकता देते हुए उसके कुछ अर्थ भी हैं, वह यह कि जल्दी से जल्दी उस पर कुछ निर्णय हो पाये। जो प्रश्न आपके सामने है, इस वक्त, उसमें भी विलम्ब कैसे हुआ और वह नहीं होना चाहिये था। जब आप नहीं थे, तो मैं कल कह रहा था कि एक प्रश्न बड़ा ही गंभीर और शर्मनाक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। वह माननीय बलदेव सिंह जी का प्रश्न ही नहीं है, बल्कि वह सारे सदन का और सारे सदन के सभी सदस्यों की मर्यादा का प्रश्न है। अगर हम इसी तरह से ढील देंगे, इन विशेषाधिकार के प्रश्नों पर तो मैं समझता हूं कि निर्णय होना बहुत मुश्किल हो जायगा। कल भी मैंने कहा था कि यह सदन ३ महीने के लिये उठ रहा है। उसके पहले ऐसी कौन-सी कार्यवाही हम कर सकेंगे कि माननीय बलदेव सिंह जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो माननीय सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है, उसकी पूर्ति कर सकें, उसका कोई इलाज कर सकें? इसलिये मैं इस अवसर पर केवल इस बात को कहना चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति को आप इस प्रकार से गठित करें और उसके काम में इतनी सुविधायें पहुंचाई जायें, जिससे वह समिति शीघ्र से शीघ्र अपना निर्णय कर सके। इस समय मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय बलदेव सिंह जी का जो मामला है उसके लिये मैं माननीय उपाध्यक्ष जो विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं, से जानना चाहता हूं कि वे इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

कल जो कार्यवाही हुई उस पर वैसे आपकी रूलिंग्ज के संबंध में विरोध करना हमारा काम नहीं है; उसके लिये समझाना या कोई दूसरा तरीका हो सकता है। लेकिन उपाध्यक्ष जी ने जो रूलिंग कल दी है उस संबंध में इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने विशेषाधिकार समिति के प्रश्न को ऐसा फैलाया कि सारे ही प्रश्न उसी में डूब गये। विशेषाधिकार का एक सीमित मामला है और उस मामले को बढ़ाया नहीं जा सकता। श्रीमन्, हमारे विशेषाधिकार वही हैं जो हाउस आफ कामंस के हैं और उसके लिये जितना विशेषाधिकार का प्रश्न था वह था लेकिन कोई विशेषाधिकार उससे आगे बढ़ता नहीं। कल जो निर्णय माननीय बलदेव सिंह जी के मामले में हुआ उसमें सारे मामले, ला ऐंड आर्डर के मामले को भी ले लिया गया कि वह वहां समझेंगे और वहां पर वे सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबिल्स को सजा देने के लिये भी कह सकेंगे। मैं समझता हूं कि उस मामले को आप ठीक से देख लें और इसीलिये मैं कहता हूं कि विशेषाधिकार के मामलों को बहुत समरिली नहीं लेना चाहिये बल्कि गम्भीरतापूर्वक सोच समझकर लिया जाय जिससे जल्दी में कोई निर्णय गलत न हो जावे।

श्री अध्यक्ष—

श्री गेंदासिंह जी का निवेदन इतना है कि जल्दी हो जावे।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

इस संबंध में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि इसमें जो यह देरी हुई है उसका कारण यह था कि समिति ने यह सोचा कि इसमें कानूनी मशविरा कुछ ऐडवोकेट जेनरल से ले लें। लिहाजा ऐडवोकेट जेनरल साहब को कंटैक्ट किया गया लेकिन वह बम्बई चले गये थे और वह उपलब्ध नहीं हुये। एक कानूनी अड़चन आ पड़ी थी तो उसको जानने के लिये यह किया गया था। अब हमने यह कर लिया है कि हम ऐडवोकेट को न बुलाकर यहीं एल०आर० से उनकी राय ले लेंगे और अपना काम चला लेंगे। इसलिये इसमें देर हुई, वरना यह मामला ऐसा नहीं था जिसमें देर होती।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गेंदासिंह चाहते हैं कि १५ मई से पहले हो जाय तो अच्छा है।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

अब दूसरे मामले के लिये जो वह कहते हैं उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वह किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किया जाय:—

"चूंकि श्री हरिनन्दन शरण भटनागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के व्यावहारिक वाद संख्या ४४२, १९६२ में वादी के आवेदन पर अतिरिक्त मुंसिफ, लखनऊ के न्यायालय द्वारा मांगे गये लेखों को न्यायालय में उपस्थित करने के मामले से संबंधित प्रश्न विशेषाधिकार समिति को ४ मार्च, १९६३ को निर्दिष्ट कर दिया गया था और चूंकि विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का कोई समय नियत नहीं किया गया था और इसलिये विशेषाधिकार समिति को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तगत अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर प्रस्तुत कर देना था किन्तु समिति एक मास के भीतर इस प्रश्न पर विचार समाप्त न कर सकी। अतः उक्त प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने का समय १५ मई, १९६३ तक बढ़ा दिया जाय और यदि समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय का उपवेशन न हो रहा हो तो माननीय अध्यक्ष विशेषाधिकार समिति की सिफारिश के अनुसार कार्य करते हुये यथास्थिति उक्त न्यायालय द्वारा मांगे गये लेखों को न्यायालय में उपस्थित करने की अनुमति दें अथवा उनके संबंध में विशेषाधिकार की मांग करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मेरा नियम ५२ वाला प्रस्ताव कब लिया जायगा, आज वह आया नहीं है?

श्री अध्यक्ष—

आज नहीं है तो कल आयेगा।

श्री एस० जी० वत्स० (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, कल यह हाउस लगेगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

कल सदन चलेगा, किन्तु यदि सदन अपना सारा कार्य आज समाप्त कर लेता है तो आज ही उठ जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, माननीय कमलासिंह और मुमताज मुहम्मद ने एक प्रस्ताव निलम्बित सदस्यों के निलम्बन के समाप्त करने के बारे में आपके पास भेजा था और आपने आश्वासन दिया था दो बजे उस पर निर्णय देने के लिये....

श्री अध्यक्ष—

मैंने आश्वासन कोई नहीं दिया था। मैंने कहा था कि आप लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कर लें और दो बजे यह पेश हो जायेगा, निर्णय देने के लिये मैंने नहीं कहा था।

†उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३—(क्रमागत)*

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, कल जब मैं बोल रहा था तो मैंने यह आशंका व्यक्त की थी कि माननीय मंत्री जी तो किसानों के नेता हैं, किसानों का हित चाहने वाले हैं, उनको जल्दी खुद इस बिल को पाइलट नहीं करना चाहिये था। संभवतः विरोध पक्ष की इस बात को मान कर माननीय उपमंत्री जी अनुपस्थित हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सदन में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, कृपया बातें न करें।

श्री रक्षपालसिंह—

मैं यह बता रहा था कि जो यह बिल पेश किया गया है उससे संबंधित जितने भी कागजात हैं वे सब हमको दिये जाने चाहिये थे, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। इस बिल में कुछ सेक्शन को सबसटीट्यूट करने की बात कही गयी है। जब तक हम लाइब्रेरी में न जायें, तब तक पता नहीं चल सकता कि कौन-कौन सी बातों को तब्दील किया जा रहा है। इसमें कई सेक्शन को डिलीट करने की बात है, पर उनका उल्लेख नहीं किया गया है। मेरी यह मांग है कि जब भी सरकार इस प्रकार के कोई संशोधन करे तो उसे पूरे-पूरे सेक्शन का हवाला देना चाहिये और वह हमें सप्लाई करने चाहिये जिससे कि हम उसको भलीभांति समझ सकें कि कौन-सा परिवर्तन होने वाला है, पहले क्या था और अब क्या किया जा रहा है। पहले सरकार यह करती रही है, किन्तु इस बार ऐसा नहीं किया गया है, इसको करना चाहिये था, मैं इसकी मांग करता हूं।

श्रीमन्, यह एक टैक्सेशन मैजर है। यह मैं पहले ही कह चुका हूं और आज भी कहना चाहता हूं कि सरकार यह नया टैक्स जो लगा रही है इसको लगाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि बहुत सा रुपया पुराने टैक्सों का बड़े-बड़े लोगों के पास सरकार का अभी भी बाकी है। इसकी चर्चा सदन में अनेकों बार हो चुकी है। बिक्रीकर सरकार ७ नये पैसे से १० नये पैसे करने जा रही है लेकिन बिक्रीकर का लाखों और करोड़ों रुपया लोगों पर बाकी है जिसको सरकार वसूल करने में असमर्थ रही है। इसके अलावा बहुत-सा टैक्स इवेजन भी होता है लेकिन उसके बारे में भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर पायी है। अगर ठीक प्रकार से असेसमेंट होता और जो टैक्स लगाये गये उनको ठीक प्रकार से वसूल किया जाता तो मैं समझता हूं सरकार को इन नये टैक्सों को लगाने की कोई आवश्यकता न होती। सरकार ने इस बिल के बारे में यह भी नहीं बताया कि कितना रुपया इससे वसूल होने वाला है? फिर भी जब तक पुराना रुपया वसूल न हो जाय और ठीक प्रकार से इवेजन को रोक न लिया जाय तब तक सरकार को नये टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्रीमन्, सरकार ने एक नयी परम्परा भी डाली है। कोर्ट फीस को भी टैक्स में शामिल कर लिया गया है। कोर्ट फीस से जो रुपया वसूल होता है उससे न तो हमें लड़ाई लड़नी है और न ही उससे योजना ही चलानी है, उससे तो न्याय देने का प्रबन्ध ही किया जाना चाहिये। होना तो यह चाहिये था कि मेरी सरकार न्याय निःशुल्क ही देती, जहां तक संभव हो सकता।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या कोई माननीय सदस्य "मेरी सरकार" शब्दों का प्रयोग कर सकता है?

---

†२८ मार्च, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।
*३ अप्रैल, १९६३ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष—

यह तो उनके सरकार के प्रति प्रेम पर निर्भर करता है ।

श्री रक्षपालसिंह—

"मेरी सरकार" शब्द गवर्नर महोदय प्रयोग करते हैं, इसलिये माननीय सदस्य को ऐतराज होगा । मैं "हमारी सरकार" शब्दों का प्रयोग करूंगा ।

सरकार ने यह अच्छा नहीं किया कि कोर्ट फीस को भी टैक्सों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया । न्याय सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है, वह यथासंभव निःशुल्क होना चाहिये । लेकिन कोर्ट फीस को टैक्सों की श्रेणी में रखना ठीक नहीं है।

इस विधेयक में कोर्टफीस, स्टाम्प ड्यूटी तथा बिक्री कर में संशोधन किया जा रहा है । कोर्ट फीस में सर्वसाधारण जो दरख्वास्त देती है उसके ऊपर पहले ८ आने था, फिर १ रुपया हुआ, फिर सवा और अब डेढ़ किया जा रहा है । डेढ़ दरख्वास्त पर और डेढ़ वकालतनामे पर, इसका सारा असर गरीब जनता पर ही पड़ेगा । किसी के घर चोरी हो गयी है, आग लग गयी है, कोई कार्यवाही नहीं करता और अगर वह कलेक्टर के यहां दरख्वास्त देता है तो उसको पहले ही ३ रुपया खर्च करने पड़ेंगे । इससे गरीब जनता को कष्ट होगा । एक बात के लिये माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने १ से ५० रुपये तक जो ५ रुपया एक फ्लैट रेट रखा था उसको वापस ले लिया है । यह एक गरीब जनता पर बड़े भारी पड़ने वाले बोझ से मंत्री जी ने उसको बचा दिया है, इसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । वास्तव में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में या अन्य दूसरे कोर्ट में फर्स्ट एप्लीकेशन पर जो आप २० आने के बजाय डेढ़ रुपये कोर्ट फीस करने जा रहे हैं, इस संशोधन को बिलकुल खत्म ही कर दें तो अच्छा रहेगा । जहां तक डिक्लेरेटरी सूट्स में २५ रुपये से ३० रुपये करने की बात है, उसके बारे में उधर के कुछ माननीय सदस्यों ने कल कहा कि मुकदमेबाजी तो बड़े-बड़े लोग ही करते हैं इसलिये उनको ही बढ़ा हुआ पैसा सरकार को देना पड़ेगा, इसलिये इसमें कोई परिवर्तन करने वाली बात नहीं है । परन्तु, श्रीमन्, इस संबंध में मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि गांव में जो जबरदस्त है, जो प्रभावशाली व बलशाली हैं उसको भी कभी मुकदमें में जाना नहीं पड़ता । साधारणतः जो १४५ के मुकदमे हैं, दूसरे के दरवाजे पर कुआं खोदने का मामला है, दूसरे के दरवाजे पर दीवार खड़ी करने या कोई कमरा बनाने का मामला है, ये सारे के सारे केस अदालतों में बलशाली व्यक्तियों को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती । जो गरीब हैं, निस्सहाय है, कमजोर हैं, उनको ही अदालतों की शरण में जाना पड़ता है और उन्हें ही डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि अमुक जमीन इस व्यक्ति की नहीं है । ऐसे व्यक्तियों पर २५ रुपये से ३० रुपये बढ़ाने का जो विधान किया गया है, यह ठीक नहीं है और इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिये ।

इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और वेग मेजर्स मैं समझता हूं कि कोर्ट फीस ऐक्ट के खंड २२ के अन्तर्गत आया है जो बहुत ही भ्रमपूर्ण भी है । सरकार उस पर क्लेरिफिकेशन तो करेगी लेकिन मेरे खयाल से केवल क्लेरिफिकेशन से ही काम नहीं चलने वाला है क्योंकि अदालतें जो इंटरप्रिटेशन करती हैं वे इस पर नहीं करतीं कि हमारी मंशा क्या है, बल्कि वे तो जो कानून में लिखा हुआ है उसी के आधार पर इंटरप्रिटेशन करती हैं ।

इसके बाद जो (घ) है, उसमें अनुच्छेद संख्या २२ में खंड (ए) और (बी) के स्थान पर जो सब्स्टीट्यूट रखा गया है वह इस प्रकार है :

"(a) As a President, Vice-President or Adhyaksha, Upadhyaksha, Nagar Pramukh or Up-Nagar Pramukh of a Municipal Board, Zila Parishad or Nagar Mahapalika or any other local body except those mentioned in clause (*c*)".

श्रीमन्, जब से यहां पंचायती राज की व्यवस्था कायम हुई है तब से आप देखें कि जिला परिषद्, क्षेत्र समिति और गांव सभा, ये तीनों पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत लोकल

[श्री रक्षपालसिंह]

बाडीज की श्रेणी में आ गयी हैं। मुझे कल ही श्री हरिचरण जी एम०एल०सी० ने अपने जिले का एक केस बतलाया जहां एक गांव सभा के प्रधान के खिलाफ पेटीशन दायर हुआ है, इसी सेक्शन को दिखला कर आब्जेक्शन दाखिल किया गया है कि २० आने से अधिक कोर्ट फीस पर्याप्त नहीं हैं और इसी धारा के अन्तर्गत २०० रुपये कोर्ट फीस ली जानी चाहिये। जो २०० रुपये लोकल बाडीज (Local bodies) के मुकदमों में कोर्ट फीस लगाने की बात है, इस संबंध में मंत्री महोदय के एक्सप्लेन कर देने मात्र से ही काम नहीं चलेगा। हाई कोर्ट के अन्दर भी लोकल बाडीज में गांव सभा का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र समिति को भी लोकल बाडीज के अन्तर्गत माना गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, इस वक्त मिनिस्टर-इन-चार्ज सदन के अन्दर नहीं हैं, यह मैं आपके नोटिस में ला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं देख रहा हूं कि इस वक्त मिनिस्टर-इन-चार्ज नहीं हैं और न उनके कोई सभा सचिव ही दिख रहे हैं।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय वित्त मंत्री इस समय कौंसिल में गये हुए हैं। उनकी तरफ से मैं यहां सुन रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में मैं निवेदन कर दूं। मैं समझता हूं कि जब कोई बिल पेश हो तो या तो मिनिस्टर-इन-चार्ज हों, या कोई कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर हो जो रिस्पांसिबिलिटी ले सके, उनको यहां उपस्थित रहना चाहिये। यह बहुत ही अनुचित है कि मिनिस्टर-इन-चार्ज भी न हों और कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी न हो, इसका ध्यान रखना चाहिय।

श्री रक्षपालसिंह—

मैं कह रहा था कि गांव सभा और क्षेत्र समिति भी—दोनों लोकल बाडीज में आती हैं। इसलिये गांव सभा की पेटीशन के संबंध में भी २०० रुपये कोर्ट फीस मांगी जायगी। और इसी प्रकार क्षेत्र समितियों के प्रमुखों व उप-प्रमुखों के पेटीशन के संबंध में भी ऐसी ही फीस मांगी जावेगी। मैं किसी और का क्या कहूं, हमें स्वयं कानपुर का अनुभव है कि वहां हमने टीशन प्रमुख का दाखिल किया था तो वहां २० आने का कहीं उल्लेख नहीं है, वहां १५० रुपया फीस देनी पड़ी। जैसा इसमें है वह साफ नहीं है, जब तक स्पष्ट व्यवस्था इस संबंध में ऐक्ट में न होगी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया के सिलसिले में कोई सेक्शन न होगा कि गांव सभा के प्रधान और क्षेत्र समिति के प्रमुख उससे बरी न होंगे तब तक उनसे भी २०० रुपया और सदस्यों से १५० रुपया लिया जाता रहेगा जसा कि इसके ए० बी० में दिया हुआ है और यहां की बात किसी के कुछ काम नहीं आयेगी। इसलिये यह आपत्तिजनक बात है। वैसे जो संशोधन आये हैं उन पर मंत्री जी विचार करेंगे और देखेंगे लेकिन इस चीज की यहां व्यवस्था होना बहुत जरूरी है।

इसके उपरान्त जो दूसरा संशोधन इसमें स्टाम्प ऐक्ट के बारे में है उससे गरीब साधारण जनता प्रभावित नहीं होगी, इसलिये मैं इसके संबंध में कुछ नहीं कहूंगा।

इसके अलावा एक बिक्री कर का संशोधन भी इसमें है, वह एक छोटा-सा संशोधन है जिसके द्वारा ७ पैसे की जगह १० पैसे किये जा रहे हैं और उसमें यह भी कहा गया है कि जो बिक्री लाभ की गरज से न भी होगी उस पर भी वह कर लगेगा। यह व्यवस्था इसमें की गई है

और सरकार जिन चीजों पर बढ़ाना चाहेगी उन पर नोटिफाई कर के बढ़ा देगी और जिन पर बढ़ाया जायगा उनके विषय में ७ से १० पैसे बिक्री-कर हो जाने के विषय में कहना उचित न होगा। लेकिन मुझे यह जो बढ़ाने वाली भावना है उसका विरोध करना है। सब से अधिक विरोध की बात तो यह है कि सरकार की जो यह प्रतिगामीपन की नीति है वह अनुचित है। सन् ४८ में बिक्री-कर का मूल ऐक्ट पास हुआ था और इसके द्वारा वह कहते हैं कि उसी समय से इसको संशोधित समझा जायगा। अब सन् ६३ है और ४८ से संशोधित समझा जायगा, यह सरकार के प्रतिगामीपन का परिचायक है। जबसे यह पास हो और जबसे इसका प्रकाशन आप करें तब से ही आप इसको लागू करें। इस सरकार की गलत भावना की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो आप को बराबर देते रहे हैं समय पर उनसे तो आप इस तरह से वसूल करना चाहते हैं ७ की जगह १० पैसे करके, लेकिन जो इवेड करते हैं और कर निर्धारण अधिकारियों को घूस देकर और मिलाकर बच जाते हैं उनसे आप वसूल नहीं कर सकते। जिन पर बकाया है वह बचे रहते हैं। अनेक स्थानों पर यह होता है कि जो डबल खाते रखते हैं उनपर बिक्री कर के असेसिंग अथारिटीज कम असेस करते हैं और जो बेचारे गरीब छोटे दूकानदार हैं और जो दो खाते नहीं रख सकते वह फंस जाते हैं। जो फर्जी बिक्री दिखलाते हैं वह बच जाते हैं और उनको आप नहीं पकड़ पाते हैं। जिनकी बड़ी हैसियत है वह मजा करते हैं और जिनकी कोई हैसियत नहीं है वह फंस जाते हैं और अधिक बिक्रीकर देते हैं।

हमारे यहां खागा टाउन एरिया के ७-८ दूकानदार ऐसे हैं कि जिनकी हैसियत न ऐसी थी और न अभी भी ऐसी है कि जिनके ऊपर इतना बिक्री-कर लग सकता है, लेकिन वह उन पर लगाया गया है। इसके विषय में सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

अन्त में केवल एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह जितने प्रकार के कर सरकार बढ़ा रही है—कोर्ट फीस बढ़ाकर, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा कर या बिक्री कर को बढ़ा कर, इसका सारे का सारा बोझ साधारण गरीब किसानों पर ही जाकर पड़ता है। अगर ७ पैसे की जगह पर १० पैसा बिक्री कर होता है तो अन्त में जो गरीब किसान उपभोक्ता है उसी से दूकानदार उस कर को वसूल करते हैं और वह बहुमत किसान वर्ग पर ही जाकर पड़ता है। इस तरह से आपदकालीन स्थिति के नाम पर गरीबों पर कर बढ़ाया जाता है लेकिन सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि अगर इन करों से कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपया अधिक जमा भी हो जायगा तो कोई इससे ही लड़ाई जीत ली जायगी और सारी तैयारी हो जायगी और इसीस सारा हमारा काम चल जायगा ? वैसे तो डेफिसिट का बजट सरप्लस में सदा हो जाता है। तो कुछ लाख रुपये की जो बात है उसके लिये मजर्स लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। साधारण व्यक्ति जो आग लगने पर कलेक्टर के यहां जाता है और गांव में जा कर बतायेगा कि सरकार के यहां फरियाद करने पर उसको डेढ़ रुपया देना पड़ा, तो इसका प्रभाव जनता के मनोबल पर अच्छा नहीं पड़ेगा। अतः ४ आना बढ़ा कर सरकार अच्छा वातावरण नहीं पैदा कर रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये और जो मेजर्स सरकार ने लिये हैं ४ आने बढ़ाने और वकालत नामा के संबंध में, उनको सरकार वापस ले ले तो अच्छा है।

इस आपत्तिकालीन समय में किसान को ज्यादा परेशान न किया जाय, जो सब प्रकार से टैक्स देता है, जिसने चंदे में सबसे ज्यादा रुपया दिया, जिसके बच्चे लड़ने जाते हैं, जिसकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं, कल ही ओला पड़ गया, काफी नुकसान उनका इस तरह हो जाता है, छूट के भी सरकार के नियम ऐसे हैं जिससे उसको वास्तव में छूट नहीं मिल पाती, क्योंकि अधिकारी जानबूझ कर अगर ८ आने का नुकसान हुआ है तो ६ आना ही दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनको सहायता नहीं मिल पाती। अतः सर्वसाधारण किसान को प्रभावित करने वाले मेजर्स को जब कि प्रदेश और देश में लोगों का मनोबल मजबूत करना है, उसको कायम रखना है, नहीं लाना चाहिये। इन शब्दों के साथ में जनमत के लिये घुमाये जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

निलम्बित सदस्यों का निलम्बन समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, २१, २२ मार्च को सदन में ऐसी घटना हुई, मैं तो था नहीं क्योंकि बीमार था, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि आपके खिलाफ कोई डिसरेस्पेक्ट हो, और अगर आपको ऐसा एहसास है तो मैं दुख प्रकट करता हूं और मैं प्रस्ताव करता हूं कि ६ साथियों का निलम्बन वापस ले लिया जाय ।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, माननीय बलवानसिंह जी ने जो प्रस्ताव किया है उसे स्वीकार कर लिया जाय और जो घटना उस रोज हुई उसके लिये उन्होंने दुख प्रकट किया और हम सभी को उसका दुख है। और भी विरोधी दल के नेताओं ने उस दिन की घटना को अपनी प्रतिष्ठा और गौरव के प्रतिकूल समझा। भविष्य में ऐसी घटनायें न हों, यही विश्वास और इसी आशा के साथ जो प्रस्ताव किया है उसे स्वीकार किया जाय और उनका निलम्बन समाप्त किया जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

जिस दिन निलम्बन हुआ है सभी लोग यू० एस० पी० के सदस्य थे। जिन ६ साथियों के लिये माननीय सदस्य ने कहा है उसमें मैं संशोधन करना चाहता हूं कि समस्त निलम्बित सदस्यों का निलम्बन वापस कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं जब इस आदरणीय सदन की सभी पार्टियां इस बात का अनुभव करती हैं कि जो बातें उस दिन हुईं, वे हमारी शोभा बढ़ाने वाली नहीं थीं, तो फिर किसी को ऐक्सक्लूड करना इस प्रस्ताव से उचित न होगा। तो मैं सदन के सामने जो प्रस्ताव रखने जा रहा हूं वह यह है कि "सभी निलम्बित सदस्य जिनका निलम्बन अभी समाप्त नहीं हुआ है उसको आज से समाप्त किया जाय"।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव के विरोध में आवाज उठाने के लिये खड़ा हुआ हूं। जितनी घटनायें यहां हुई हैं और जब-जब लम्बे अर्से के लिये माननीय सदस्य अलग किये गये हैं, बार-बार उदारतापूर्वक इस सदन ने उनको फिर जल्दी बुलाया। किन्तु उसका कोई असर उन पर नहीं हुआ है, फिर भी आप ऐसा ही करते हैं कि उस लम्बे अर्से को छोटा करते हैं। तो मैं जरूर व्यक्तिगत रूप से इस प्रस्ताव का विरोध करूंगा। जब निश्चित समय के लिये उन्हें सदन की सेवा से निलम्बित किया गया था, तो हमें उस निर्णय पर कायम रहना चाहिये और बार-बार उदारता दिखायेंगे तो उसका नतीजा हम देख चुके हैं और इसका परिणाम फिर वही होगा।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी माफी मांगने के लिये तैयार नहीं है, हमारे नेता ने कहा है कि इस बात के लिये माफी मांगने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

श्रीमन्, सोशलिस्ट सदस्यों को छोड़कर बाकी का निलम्बन समाप्त कर दें।

श्री अध्यक्ष—

सोशलिस्ट पार्टी में जो इस समय सदस्य हैं उनको छोड़ कर जो इस समय यू० एस० पी० में सदस्य हैं, जिनका निलम्बन समाप्त नहीं हुआ, उनका निलम्बन समाप्त किया जाय।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी के वह सदस्य जो यहां नहीं ह हो सकता हैं कि इस बीच में उन्होंने अपनी राय बदली हो और वह आने के बाद शायद इस बात का इजहार करें कि जो घटनायें यहां हुई हैं.....

श्री अध्यक्ष—

जो सोशलिस्ट पार्टी का ऐटीट्यूड है मैं जानता हूं। मैं जो प्रस्ताव आया है वह रखता हूं, उसके बाद अगर उनकी तरफ से प्रस्ताव आ जायगा तो उसको रख दूंगा। इस समय यही है कि यू० एस० पी० के जो सदस्य इस समय सदन की सेवा से निलम्बित हैं और जिनका निलम्बन समाप्त नहीं हुआ है वह समाप्त किया जाय।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, माननीय बलवानसिंह जी ने बड़ी उदारता के साथ एक प्रस्ताव पेश किया और उसी उदारता के साथ माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने उसको स्वीकार किया। अब उस प्रस्ताव को पूरे रूप में लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का सवाल है शायद किसी सदस्य की भावना कुछ हो सकती है, लेकिन सदन की एक सामूहिक भावना है, सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है और उसकी अपनी मर्यादा है। तो उसकी भावना का तकाजा है कि जो प्रस्ताव जिस रूप में पेश किया गया है और माननीय मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया है उसी रूप में यह प्रस्ताव सदन के सामने आना चाहिये और वह स्वीकार करना चाहिये। इसमें आप हमारी सहायता करें, आप सक्षम हैं, आप हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की भावना हो सकती, है, लेकिन उससे प्रेरित होकर आप अपने निश्चय से न डिगें, यही मेरा निवेदन है।

श्री बलवानसिंह—

श्रीमन्, मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने मेरे प्रस्ताव को माना, लेकिन मेरा खयाल है कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कोई लिखित नहीं आया है और अगर उनको इतना एहसास है, क्योंकि मेरा खयाल है डेमोक्रेसी चल नहीं सकती, जिस पार्टी को चुनाव में विश्वास होगा रेस्पेक्ट हमको चेयर के लिये करनी है और बाहर के आदमियों से भी है, अतः मेरा पूरा प्रस्ताव वह सब का सब यू० एस० पी० का माना जाय क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी का कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संयुक्त समाजवादी दल के जो सदस्य इस समय सदन की सेवा से निलम्बित हैं उनका निलम्बन आज से समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद कौन से सदस्य ऐसे हैं जिनका निलम्बन समाप्त हो जाता है?

श्री अध्यक्ष—

जिन्होंने आज तक मुझे लिख कर दे दिया है कि वे संयुक्त समाजवादी दल में हैं, उन सबको मैं मान लूंगा और इस समय जो हमारी लिस्ट में संयुक्त समाजवादी दल में हैं उन सबका निलम्बन समाप्त होता है।

उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३—(क्रमागत)

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह बिल कुछ कर बढ़ाने के लिये इस सदन के सामने पेश हुआ है उसके उद्देश्यों को अगर हम देखें तो हमको यह पता चलता है...

(इस समय १२ बज कर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवान सहाय]

"For the successful implementation of the various developmental activities associated with the Third Five-Year Plan, as also for meeting the huge Expenditure necessitated by the present Emergency, the State Government are compelled to raise additional resources."

यह जो कर सरकार लाई है वह दो कामों के लिये लाई है। एक तो थर्ड फाइव ईयर प्लान की पूर्ति के लिये और दूसरे इस समय देश के ऊपर जो हमला हुआ है और उससे जो भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है उस स्थिति का कामयाबी के साथ मुकाबला करने के लिये। तो उसमें सफल होने के लिये यह जो उद्देश्य है वह सराहनीय है और इन दोनों कामों के लिये मैं समझता हूं कि सरकार को इसके लिये जो रुपये की आवश्यकता है वह अवश्य सही और जायज है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस रुपये का देना मैं समझता हूं कि हमारा परम कर्त्तव्य होना चाहिये।

अब सवाल यह है कि आखिर यह थर्ड फाइव ईयर प्लान और यह एमर्जेंसी किस लिये है। यह एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है। मैं चाहता हूं कि इस देश के अन्दर जम्हूरियत कायम रहे और समाज का ढांचा इस आधार पर हो कि वह डेमोक्रेटिक हो, हमारे सोचने और समझने के जो भी तरीके हों वह डेमोक्रेटिक सिस्टम पर हों। तो जब हम इस मामले पर जाते हैं तो मैं समझता हूं कि जम्हूरियत मेरे लिये एक बहुत अहम चीज है। अगर इस मुल्क से जम्हूरियत खत्म हो गयी तो कोई मंशा नहीं जिन्दगी का। अब सवाल यह है कि जम्हूरियत कैसे चले। जम्हूरियत के लिये जरूरी है कि ऐसा लेजिस्लेचर हो जो आजादी से काम कर सके, जो बिना भय के और बिना दबे हुए इस देश के अन्दर शासन प्रणाली चला सके। इस ओर जब में देखता हूं तो मुझे निराशा होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी के राज्य को कायम करने के लिये लेजिस्लेचर के लिये इज्जत होना चाहिये। उसके लिये सम्मान की भावना जनता में, सरकार में, लेजिस्लेटर्स में और नौकरशाही में होना चाहिये। लेकिन जब इस तरफ मैं देखता हूं तो मुझे निराशा होती है। जम्हूरियत का सम्मान न सरकार में है, न आप में है, न जनता में है, न नौकरशाही में है। न आप में है जब यह हालत है तो आखिर क्यों है, कैसे है? इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। हम में बहुत से मेम्बर ऐसे हैं जो नये हैं। कायदे कानून को नहीं जानते। बहुत से कायदे कानून भी ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी को इस स्टेट में कामय रखने के लिये साथ नहीं देते हैं।

और उन इश्यूज को जब हम इवेड करते हैं तो असली इश्यूज छिप जाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि जो गलत कायदे और कानून हैं उनको कायदे के हिसाब से कभी हम ठीक नहीं कर पाते। सदन के अन्दर जो साल भर के अन्दर रवैया रहा है वह मैं साफ कहना चाहता हूं इस सदन की मर्यादा को बढ़ाने वाला नहीं है और उससे मैं एक मजबूर नतीजे पर पहुंचता हूं और वह यह कि हमारा सम्मान जनता में गिरा, सरकार में गिरा, नौकरशाही में गिरा, हमारे अपने बीच में गिरा और इसकी जिम्मेदारी हम अपनी मानते हैं। लेकिन क्या वह जिम्मेदारी हमारी अकेली है? इसके जिम्मेदार, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी हैं, सरकार भी है, नौकरशाही भी है। मिसाल के तौर पर मैं यह कहूंगा कि हाउस की कमेटीज है। हमने इस बात की आपको ताकत दी कि उन कमेटियों का निर्माण आप करें और वह इसलिये करें कि उनमें सही आदमी आ सकें। सरकार का कोई डर न हो। आपका फैसला सरकार के भय से न हो। मिसाल के तौर पर मैं विशेषाधिकार कमेटी को लेता हूं। उसमें दो माननीय सदस्य थे औरों के अलावा, एक माननीय राधेश्याम जी और दूसरे माननीय नेकरामजी। इनको उस कमेटी से हटाया गया। हमारे दिल में यह भावना होती है कि ये दोनों मेम्बर सरकार के लिये इन्कन्वीनियेन्ट हैं, वह नहीं चाहती थी इन मेम्बर्स को इसलिये इनको उस कमेटी से हटाया गया। आखिर क्या इनकी योग्यता में कमी थी, इनकी ईमानदारी में कमी थी, इनके इस मुल्क

की खिदमत करने के जज्बात में कमी थी, क्या बात थी जिसकी वजह से ये उसमें से हटाये गये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन आपकी मजबूरी है। बहुत बड़ी मजबूरी है और मुझे आपके साथ हमदर्दी है। आप जब चुनाव लड़ने के लिये जाते हैं तो वही बैलों की जोड़ी के लिये वोट मांगते हैं। आप सरकार के काले कारनामों का बखान करते हैं और वोट मांगते हैं। इसमें आपका कसूर नहीं है। कसूर है इस सरकार का। इसने ऐसी प्रणाली डाली है जो दुनिया के अन्दर अजीबो गरीब है। हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं। आपकी इज्जत इस सदन की इज्जत है और उसमें सरकार भी शामिल है और अगर आपकी इज्जत नहीं है तो इस सदन की इज्जत नहीं है। आपके फैसलों में और आपके सेक्रेटेरिएट की निष्पक्षता में हमें विश्वास हो। लेकिन हमें अफसोस है कि इनमें हमें निराशा होती है।

श्री उपाध्यक्ष—

बिल पर इतनी लम्बी-चौड़ी डेमोक्रेसी की बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री भगवान सहाय—

यह बुनियादी सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

बुनियादी तो है लेकिन ठीक समय पर होना चाहिये।

श्री भगवान सहाय—

इस प्रदेश की तरक्की के लिये अगर आपको डेढ़ करोड़ रुपये की जरूरत है तो जरूर लीजिये और वह आपको मिलना चाहिये लेकिन सवाल उठता है बुनियादी उसूलों का कि यह टैक्स आपने किस काम के लिये लिया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे देश का निर्माण करने के लिये है। अगर हमारे यहां से डेमोक्रेसी चली गयी तो फिर उस प्लान के क्या माने रह जायेंगे। फिर तो हमारी हालत वही हो जाती है जो जू के अन्दर अच्छे पले हुये जानवरों की है जिनको वक्त पर अच्छा खाना मिल जाता है लेकिन जिन्दगी रहने के काबिल नहीं रहती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं और मैं प्रार्थना करूंगा कि यह बात कड़ुवी भले ही हो, लेकिन आप सुनें और मुझे आप इजाजत दें कि मैं कुछ कह सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस होता है कि हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं और करते हैं और इसलिये नहीं कि हम आपके साथ फेवर करते हैं लेकिन आपकी इज्जत करने से जिन चीजों को अच्छा, खूबसूरत और रहने के काबिल बनाना है, उनको हासिल कर सकें। आपकी मजबूरी है जो मैंने कही और मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस बेसिक सवाल को सोचे, अपने कलेजे को टटोले कि आया उसने जो सिस्टम बना रखा है कि स्पीकर अपनी पार्टी का आदमी हो उससे मुल्क के लेजिस्लेचर में श्रद्धा पैदा करता है या शुबहा पैदा करता है। यह बुनियादी सवाल है और मैं अपील करूंगा.....

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

श्रीमन्, कोरम पूरा करा दें तो अच्छा है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री भगवानसहाय—

उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि बहुत मर्तबा सवाल आते हैं और वे रिजेक्ट होते हैं इसलिये कि वे सरकार को इनकन्वीनियेंट होते हैं और आपको मजबूर होना पड़ता है। हम आप के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, इसमें हमारी भलाई है, देश की भलाई है और सदन की भलाई है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि भगवान के लिये, देश के लिये, देश की जनता के लिये, जमहूरियत के लिये और लेजिस्लेचर की मर्यादा के लिये वे गौर करें और इस बुनियादी प्रश्न पर कि स्पीकर पार्टी का आदमी न हो, सोचें और फैसला करें। मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि तमाम अपोजीशन पार्टीज आपका समर्थन करेंगी।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय भगवानसहाय जी, आपने कह लिया ।

श्री भगवानसहाय---

मैंने कह दिया वह तो ठीक है लेकिन मैं क्या कहने जा रहा हूं यह आपको कैसे मालूम हुआ । अगर सरकार को इनकंवीनियेंट मालूम हो तो मैं बैठ जाऊं ।

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये रेलीवेंसी का भी खयाल रखना चाहिये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं यह पूछ रहा था कि क्या कोई प्रस्ताव पेश है हाउस के सामने कि स्पीकर पार्टी का आदमी न हुआ करे ? मैं समझता हूं कि बिल पर बात हो रही थी ।

श्री उपाध्यक्ष---

यही बात है । आप बिल पर ही बोलें ।

श्री भगवानसहाय---

मुझे ताज्जुब हुआ कि वित्त मंत्री जी मेरी बात समझ नहीं पाये । मैं समझता हूं कि कमी मेरी है । सवाल बुनियादी है । माननीय मन्त्री जी शायद मशगूल थे किसी और काम में । अगर उन्होंने सुना होता तो शायद आपत्ति न उठाते ।

श्री उपाध्यक्ष---

बिल पर आ जाइये ।

श्री भगवानसहाय---

सवाल यह है कि किस काम के लिए रुपया चाहिए ? रुपया इसलिए चाहते हैं कि इस देश के अन्दर उन चीजों को जिनको हम जिन्दगी से अच्छा समझते हैं, जिन पर हम फंशन करते हैं, उनके लिए रुपया चाहते हैं । तो हमें देखना है कि उन चीजों पर किस तरह से रुपया खर्च कर रहे हैं । यह मैं अभी तक प्रयत्न करता रहा । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी कुछ टिप्पणी कर ली, कुछ आप की भी खिदमत की, अब सरकार की भी बारी है । हम डेमोक्रेसी को कायम रखना चाहते हैं । उसकी उन्नति के लिये यह सरकार क्या कर रही है ? डेमोक्रेसी की उन्नति के लिये या प्लानिंग के लिय कोई स्कीम हो उसका इम्प्लीमेन्टेशन कैसे होगा ? इम्प्लीमेंटेशन होगा नौकरशाही के द्वारा ।

श्री राजेन्द्रसिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप और वित्त मंत्री चाहते हैं कि माननीय सदस्य बिल पर बोलें और माननीय सदस्य बिल से बाहर रहते हैं । यह क्या बात है ?

श्री भगवानसहाय---

यह आप की समझ का फर्क है ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय भगवानसहाय, आप जरा बिल पर आ जाइये ।

श्री भगवानसहाय---

तो आप ऐसा करें कि एक फरमान जारी कर दें । जो फरमान में लिखा होगा उसकी पाबन्दी करूंगा । मैं ईमानदारी से महसूस कर रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वह आवश्यक है ।

श्री उपाध्यक्ष---

लेकिन यह अकेजन तो नहीं है, बिल पर बोलिए ।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो माननीय सदस्य को बोलने दीजिये, बार-बार टोकने से बाधा पड़ती है या आप मना कर दीजिये तो हम लोग चले जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह चाहते हैं कि बिल के अलावा चारों तरफ की बात कही जाय? उन्होंने कहा, मैंने रोका नहीं। काफी टाइम लिया, १०, १२ मिनट उन्होंने यह बात कर ली। अब बिल के प्राविजन्स पर आ जायं।

श्री भगवान सहाय—

अगर बिल के प्राविजन्स यह हैं कि पास या फेल तो पास। अगर इसके मानी यह हैं कि इसके ऊपर देखा जाय कि इसके ऊपर हमको जो रोशनी मिलती है, वह कहा जाय तो मेहरबानी करके इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष—

बिल के सम्बन्ध में आप बोलिए।

श्री भगवान सहाय—

तो मैं यह कह रहा था कि जिन ऊंची चीजों के लिये हम यह रुपया चाहते हैं उसमें सरकार बहुत बड़ी मुजरिम है। हमको इस बात का भरोसा नहीं होता कि अगर हम इस रुपये को सरकार को दे दें तो डेमोक्रेसी की हिफ़ाजत हो सकेगी या नहीं। यह जो इम्प्लीमेंटेशन होगा थर्ड फाइव इयर प्लान का या इमर्जेंसी का वह नौकरशाही द्वारा होगा। यह नौकरशाही कौन सी है? यह अंग्रेजों से विरासत में मिली है। अंग्रेज ने इस नौकरशाही को एक्स्प्लायटेशन करने के लिए इम्पीरियलिज्म को कायम रखने के लिये बनाया था। डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों को लागू करने के लिये नहीं बनाया था। वह नौकरशाही आपको विरासत में मिली। जब इस नौकरशाही की यह जहनियत नहीं है कि वह इन बातों को समझ सके तो यह आखिर कैसे पूरा करेगी। यह कैसे विश्वास होगा कि यह डेढ़ करोड़ रुपया सही खर्च होगा, डेमोक्रेसी के लिए खर्च होगा। अगर सरकार डेमोक्रेटिक प्रिंसिपिल्स को और वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहती है, तो उसकी स्थापना इस नौकरशाही से जो इसके लिए बिलकुल अयोग्य है कैसी होगी? जो वर्गहीन समाज की बात नहीं समझते, जो सिर्फ इम्पीरियलिस्टिक प्रिंसिपिल्स को समझते हैं, मैक्सिमम एक्स्प्लायटेशन की बात समझते हैं, जिनकी सारी ट्रेनिंग इसी पर आधारित है, इससे कैसे काम हो सकेगा? नौकर शाही के अन्दर हर वर्ग, आई०सी०एस०, आई०ए०एस,० हर वर्ग अपने हित को प्राथमिकता देता है। उसके अन्दर जनता को सहूलियत मिले यह धारणा नहीं है। जितने पुराने रूल्स, रेगुलेशंस, ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप हैं सारा का सारा वर्गहीन समाज के विरुद्ध, इम्पीरियलिस्टिक प्रिंसिपिल्स पर पला हुआ है।, इस सरकार ने कभी यह देखने की कोशिश नहीं की जिन कर्मचारियों के जरिये वह अपनी प्लानिंग कार्यान्वित करने जा रहे हैं वह जहनी तरीके से विश्वास करते हैं या नहीं। अगर जहनी तरीके से वह विश्वास नहीं करते तो हमको कैसे यकीन हो कि जो रुपया आप ले रहे हैं वह उन कामों में खर्च होगा जिनकी आपने घोषणा की है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। एक बहुत बड़े आई० सी० एस० का मामला है। वह मामला पुराना भी है और नया भी है। पुराना इसलिए है कि जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूं वह पुरानी है लेकिन नया इसलिए है कि अभी गोलमाल करके उस को सही किया गया है। एक डाइरेक्टर साहब आई० सी० एस० थे.....

श्री उपाध्यक्ष—

.....डाइरेक्टर साहब का और इस बिल का क्या ताल्लुक है?

श्री भगवानसहाय—

बहुत बड़ा ताल्लुक है। मगर मंत्री जी फुल खर्च करें तो हमको एतराज नहीं है। मैं बदकिस्मती से आप को समझा नहीं पाता। मैं यह कह रहा था कि वह आई० सी० एस० आफिसर साहब बहुत पावरफुल एक फैक्टरी के डाइरेक्टर थे। उनको ऐग्रीकल्चरल कान्फ्रेंस में जेनेवा भेजा गया। नौकरशाही ऐसी हैं कि हर काम करने के लायक है। इंजीनियरिंग के लिए भी एक्सपर्ट्स हैं, मशीनरी के लिए भी एक्सपर्ट्स हैं, अगर मशीन खरीदनी है तो आई० सी० एस०, उसके लिए मेकेनिकल इंजीनियर नहीं भेजा जायगा, कोई कमेटी नहीं बनायी जाती। यह अफसर गये, १५ हजार रुपया अलाउंस का लिया। (व्यवधान) आप नाम चाहते हों तो नाम बता सकता हूं। मुझको नाम मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय भगवानसहाय जी, मेरे ख्याल से यह रेलीवेंट नहीं है। आप जरा रेलीवेंट हो जायं और बिल के ऊपर बोलें। (व्यवधान) इस तरह से तो सारी दुनिया एक है, लेकिन जो यहां प्राविजन है रेलीवेंसी का उसके अन्दर यह नहीं आता। आप बिल पर बोलिए।

श्री भगवान सहाय—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप मेरी बात नहीं समझ पाते। बहरहाल गलती मेरी ही है कि मैं आप को नहीं समझा पाता। मैं क्या तरकीब करूं कि आपको इसकी रेलीवेंसी समझा सकूं।

श्री उपाध्यक्ष—

एक ही तरकीब है कि आप कृपा कर के बिल पर बोलिए।

श्री भगवानसहाय—

नौकरशाही की एफिशियेंसी के ऊपर मैं बोल रहा हूं। मेरा सैद्धान्तिक विरोध इस बात पर है कि जो सरकार रुपया लेगी और जो वह वसूल करने जा रही है इस प्रदेश की गरीब जनता के खून और पसीने से, वह जनता इस काबिल नहीं है कि इन टैक्सेज को दे सके। लेकिन थर्ड फाइव ईयर प्लान और इमर्जेंसी यह दोनों जरूरी चीजें हैं और अगर यह नहीं पूरी होती हैं तो जनता भी नहीं रहती है या रहती है तो बिलकुल जू की चिड़ियों की तरह रहेगी कि अच्छा खाना मिल गया, अच्छा रहने को स्थान मिल गया, लेकिन इन्सान इन्सान की तरह नहीं रहेगा। इसलिये यह आवश्यक है कि नौकरशाही का जो हिस्सा है उसकी बात मैं आप के द्वारा सदन के सामने पेश करूंगा। यह मेरी बदकिस्मती है कि आप और मैं एक तरह से नहीं देख पाते इस सवाल को। इसलिये मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि आप थोड़ा खामोश हो कर मेरी बातों को सुनें.....

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, आप बिल के बारे में जितना कहना चाहते हैं, कहें। लेकिन इस समय आप बिलकुल इरेलिवेंट बोल रहे हैं।

श्री भगवान सहाय—

रेलिवेंट तो बड़ा व्यापक टर्म है। आप किसी चीज को रेलिवेंट समझते हैं, हम किसी चीज को समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो मेरे समझने की बात है, आप के समझने की बात नहीं है।

श्री भगवानसहाय—

तो मैं यह कह रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात को सुनें, आप एक विचारधारा बना कर न बैठें। मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को सुनेंगे तो आप के सामने और कोई चारा नहीं होगा सिवाय इस नतीजे पर आने के कि जो मैं कह रहा हूं वह रेलिवेंट है

और वह यह है कि जो डेढ़ करोड़ रुपया सरकार मांग रही है उसका मैं विरोधी नहीं हूं। लेकिन सवाल यह है कि वह रुपया खर्च होगा जिन आदमियों के मार्फत क्या वह इस लायक हैं कि उनके मार्फत खर्च हो सके?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप दस दफा कह चुके हैं। बार-बार कहने से .....

श्री भगवान सहाय—

अगर मैं दस दफा कह चुका तो आप कम से कम पन्द्रह मर्तबा मुझे टोक चुके। मेरी मजबूरी यह हैं कि मेरे अपनी बात कहने और आप के टोकने के ऊपर एक बहस हो रही है और आप मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अगर आप की इजाजत हो तो मैं अपनी बात पेश करूं वरना कहिए तो बैठ जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आप से कहता हूं कि बिल के बारे में जितना बोलना चाहें बोलिए।

श्री भगवान सहाय—

उपाध्यक्ष महोदय, जितनी शिक्षा मैंने पायी है और जितना मैं सोच समझ पाया हूं उसी के अनुसार बिल पर ही बोल रहा हूं। मेरी बदकिस्मती यह है कि मेरे नजरिये और आप के नजरिये में अन्तर है। यह मेरी बदकिस्मती है .....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय भगवान सहाय, आप काफी काबिल हैं, सब इस बात को समझते हैं लेकिन मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि बिल के सम्बन्ध में आप कुछ बोलिए, और उसकी बातें बताइए तो कुछ गवर्नमेन्ट को भी मालूम हो कि क्या आप के सजेशंस हैं, क्या और चीजें हैं, उससे कुछ फायदा होगा और जो आप डेमोक्रेसी की बात कहते हैं और इस सदन की मर्यादा की बात कहते हैं, उसको भी ध्यान में रख कर आप उसके सम्बन्ध में ही बोलिए।

श्री भगवान सहाय—

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप यहां पर इस बात को लायेंगे तो मैं समझता हूं कि मेरी जमीन काफी मजबूत है और जो मैं कह रहा हूं वह रेलिवेंट है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जिद करके इर्रेलिवेंट को रेलिवेंट बनाना चाहते हैं.....

श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप बताइए यह रेलिवेंट है या इर्रेलिवेंट ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय भगवान सहाय जी, आप बिल के बारे में जो कहना चाहें कहिए। यह आपने अब काफी कह लिया।

श्री भगवान सहाय—

अगर आप आदेश दें तो मैं बैठ जाऊंगा। उसकी अवहेलना नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप बोल रहे हैं, यह मेरे खयाल से बिलकुल इर्रेलिवेंट है। यह बात न कहिए और दूसरी बात कहिए। (व्यवधान)

श्री भगवान सहाय—

मैं यह कह रहा था कि यह जो १।। करोड़ रुपया इस बिल के द्वारा लिया जायगा उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस मशीनरी के द्वारा किया जायगा वह न इसके लिये ट्रेन्ड है, न इसके योग्य है और न उसकी कोई ट्रेडीशन है। इसलिये उसकी सारी योग्यता, सारी ट्रेनिंग और सारी

[श्री भगवान सहाय]

ट्रेडीशन इसके विपरीत है। यह देख कर मुझको बड़ा ताज्जुब होता है। सरकार ने जब यह घोषणा की कि हम इस प्रान्त के अन्दर डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल के द्वारा एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो उनको इस बात को देखना चाहिये था कि जिस मशीनरी के द्वारा वह काम लेना चाहते हैं वह इसके योग्य है या नहीं। यह हो सकता था कि इस मशीनरी को ट्रेन्ड करके उससे काम लेते, लेकिन इस तरफ कोई प्रयत्न न किया। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह नौकरशाही कितनी हावी है इस सरकार के ऊपर। इसी सरकार के एक बहुत बड़े ताकतवर आई० सी० एस० अफसर ने १५ हजार रुपया ट्रेवलिंग के लिये खर्चा एडवान्स लिया और वह जेनेवा गये। उन्होंने बदकिस्मती से यूनिवर्सिटी के अन्दर आर्ट्स साइड के सब्जेक्ट पढ़े थे लेकिन फिर भी सरकार ने उनको इस योग्य समझा कि वे वहां जाकर मशीनरी की परचेज कर सकें और सरकार ने उनको इस योग्य समझा कि वह मशीनरी के विभिन्न सिस्टम के मास्टर हैं और उनको वहां भेजा। आखिर वह जेनेवा गये और जेनेवा के आस-पास घूमकर वापस चले आये। वह अमेरिका नहीं गये। जिस मशीनरी के लिये उनको भेजा गया था वह काम नहीं हुआ और उन्होंने वापस आकर ७।। हजार रुपया वापस कर दिया। उन्होंने साढ़े सात हजार रुपया वहां घूमने फिरने में खर्च कर डाला। उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन साढ़े सात हजार रुपया इस सरकार का खर्च कर डाला। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसी मशीनरी से यह डेढ़ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। उस मशीनरी की मार्फत अगर यह रुपया खर्च किया जायगा तो प्रदेश की जनता गाढ़ी पसीने की कमाई देने के लिये तैयार नहीं हो सकती है। सरकार के भत्ते और डी० ए० के कुछ कानून और कायदे बने हैं। उन कायदों के मुताबिक वह रुपया खर्च किया जा सकता है, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया है। यह मामला करीब ४ वर्ष तक पड़ा रहा। इसके बाद उसको जस्टिफाइ किया जा रहा है। आज जब यह किस्सा इस सदन के अन्दर उठाया गया तो मुझे पता चला कि पूरी नौकरशाही इस बात की कोशिश में है कि यह मामला खत्म कर दिया जाय। मैं आप के द्वारा इस सदन से यह कहना चाहता हूं कि नौकरशाही आज इतनी ताकतवर है कि वह इस मामले को खत्म करना चाहती है। माननीय वित्त मंत्री जी बड़े इमानदार आदमी हैं और सच्चे आदमी हैं और मुल्क की खिदमत करने का जज्बा उनमें किसी से कम नहीं है, लेकिन मैं यह चेतावनी के रूप में उनसे कहता हूं कि वह इसको रोकने में असमर्थ हैं कि एक बड़े अफसर के सामने जनता को कानून के अनुसार न्याय दे सकें।

इसी तरीके से और भी किस्से हैं। एक और आई० सी० एस० बाहर भेजे गये सेक्रेटरियट की ट्रेनिंग देने के लिये और वहां से लौटने के बाद उनका तबादला गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को कर दिया गया। तो इस गाढ़ी कमाई के पैसे को यह सरकार उस मशीनरी से खर्च कराना चाहती है। इसीलिये यह १।। करोड़ रुपया सरकार जनता से मांग रही है। तो वह जो अफसर थे उनको जर्मनी और इंगलैन्ड ट्रेनिंग के लिये भेजा गया। ३०–४० हजार रुपया उनके लिये खर्च किया गया। जब वह वहां से ट्रेनिंग लेकर आये तो उनका तबादला गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के होम डिपार्टमेन्ट को कर दिया गया। वहां पर उनकी पोस्टिंग हो गई। डिफेन्स डिपार्टमेन्ट में उनकी पोस्टिंग हो गयी। तो कब तक? वित्त मंत्री जी आप से हाथ जोड़ कर मैं प्रार्थना करता हूं कि इस तरह से उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के इस रुपये से खिलवाड़ न कीजिये, हमारे पैसे से खिलवाड़ न कीजिये। अगर आप अपने अफसरों को फेवर करना चाहते हैं, अगर उनमें से कुछ अफसर आपके बहुत लाड़ले हैं और उनको आप नहीं छोड़ सकते और जो आपके उसूल से भी बढ़ कर हैं तो हम चन्दा कर के उन के लिये रुपया ला देंगे, अपनी जायदाद बेच कर रुपया ला देंगे, लेकिन जनता के रुपये को इस तरह से बर्बाद न कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष —

अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कमलासिंह यादव के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री भगवान सहाय—

अधिष्ठाता महोदय मैं यह कह रहा था कि जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है . . .

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमान्, माननीय न्याय मंत्री जी का वक्तव्य दो बजे होने वाला था तो . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का भाषण समाप्त हो जाय जो कि जारी है उसके बाद वह होगा ।

श्री भगवान सहाय—

श्रीमान् इस प्रस्तुत विधेयक पर मैं बोलते हुए यह कह रहा था कि यह जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है ,यह ब्रिटिश शासकों की इम्पीरियलिस्ट्स ट्रेडीशन्स में पली हुई है । इसको उनसे दीक्षा मिली है । इसका सारा तजुर्बा एक्सप्लायटेशन पर और साम्राज्यवाद के शोषण पर ही आधारित है । समाजवाद की स्थापना करने वाले समाज के लिये जो योजनायें बनेंगी उनको न तो यह समझ ही सकते हैं और न इम्पलीमेन्ट कर सकते है । मैंने आपके सामने दृष्टान्त दिये थे । मैंने यह कहा था कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बाहर अफसरों को भेजती है कुछ खास काम के सीखने के लिये, कुछ खास किस्म की ट्रेनिंग हासिल करने के लिये परन्तु उनका कोई भी लाभ जनता को नहीं पहुचता है । मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक साहब आई० ए० एस० के थे जिनको कि सेक्रेटेरियट को प्लानिंग सीखने के लिये इस प्रदेशीय सरकार ने विलायत भेजा था । वह जनता के पैसे से ही ट्रेनिंग हासिल करने के लिये गए, उसके बाद उनको गवर्नमेन्ट आफ इंडिया में भेज दिया गया और आज वह हिमाचल प्रदेश में काम कर रहेहैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों हो रहा है और उसके साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है ? जनता को इससे कोई लाभ नहीं होता है । जब हम टैक्सेशन पर विचार करते हैं तो उन जरूरी पहलुओं पर हमें जरूर ध्यान देना होगा , क्योंकि इसके साथ थर्ड फाइव ईयर प्लान के इम्पलीमेन्टेशन का प्रश्न जुड़ा हुआ है । जहां तक इमर्जेन्सी का मुकाबला करने का सवाल है मैं समझता हूं कि इधर के बैठने वाले इसमें पीछे नहीं हैं । हम उसका इस प्रकार से मुकाबला करना चाहते हैं कि इमर्जेन्सी की शक्ल यहां पर न रहे । हमारी तरफ कोई आंख उठाकर न देख सके । हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये जनतांत्रिक प्रणाली को कायम रखना चाहते हैं और उसको सुदृढ़ बनाना चाहते हैं ताकि थर्ड फाइव ईयर प्लान को सफल बनाया जा सके । अगर हमारा कहीं पर विरोध है तो वह यही हम समझते हैं कि सरकारी मशीनरी द्वारा यह काम नहीं हो सकेगा । सरकार की यह घोषित नीति है कि इस राज्य के अन्दर वर्गविहीन समाज की स्थापना करेंगे । लेकिन यह नौकरशाही आपके रूल्स रेग्युलेशन्स, लाज जो कि ब्रिटेन से हमने इनहेरिट किये हैं, क्या वे आपको इस मार्ग पर चलने में कुछ सहायता देंगे या नहीं ? सारे के सारे आपके रूल्स रेग्युलेशन्स और लाज आपके इस आधार पर बनाये गए हैं कि उनसे वेस्टेड इन्टेरेस्ट्स को केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि अपनी जगह पर मजबूत करने का दृष्टिकोण है । उससे सोशलिज्म दूर हटता है । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । वर्ग विहीन समाज इस देश और प्रदेश में ही हो । आज इस बात में जनता का विरोध हो सकता है । लेकिन जहां तक कांग्रेसी हुकूमत का प्रश्न है उनके दिल में इस बात का विरोध नहीं है । उनकी यह घोषित नीति है कि वह समाजवाद की स्थापना इस देश में और इन राज्यों में करें । मैं जानना चाहूंगा कि आजादी मिले हुये और इनको ताकत में आये हुये १५ साल हो गये और इस जमाने में जो कानून समाजवाद को कायम करते और पनपाते उनको, उन रूल्स और रेग्युलेशन्स को क्यों नहीं चेंज किया ? एक बड़े मजाक की बात है और दिल में शुबहा पैदा करने वाली बात है कि जो आप बात कहते हैं उसमें सचाई है या नहीं । मैं कहता हूं कि उसमें सच्चाई तो है लेकिन आप अपने अफसरान से इतना दबे हुये हैं और उनका रोब आप

[श्री भगवान सहाय]

पर इतना गालिब है कि आप उनकी बताई हुई बात से ऊपर नहीं उठ पाते। जितना पानी वे पिलाते हैं उतना आप पी लेते हैं, उसका नतीजा यह है।

अधिष्ठाता महोदय, मिसाल के तौर पर मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान स्टील में जो नुकसान हुआ है उसके कुछ आंकड़े आज के अखबार में छपे हुये हैं। हिन्दुस्तान स्टील की तीन मिलों रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में २४ करोड़ का नुकसान हुआ है। यह सही है कि उसका हमारे राज्य से सीधा सम्बन्ध नहीं है लेकिन मैं एक दृष्टान्त के तरीके से बताना चाहता हूं कि यह ब्रिटिश ट्रेडीशंस में पली हुई ब्यूरोक्रेसी के कारण आप अपने तरीकों को इम्प्लीमेन्ट नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से यह है। १६ करोड़ रुपये का जो काम हुआ है उसमें लास हुआ है और २४ करोड़ का डेप्रीसियेशन वैल्यू में निकला। इस तरह से ४० करोड़ का सीधा लास एक साल में हुआ और ८७ करोड़ का लास मैटीरियल की शक्ल में है। इन मिलों को हमारे मंत्री जी थोड़े ही चलाते हैं, हमारी नौकरशाही चलाती है। लेकिन आप इसके लिये किसी आफिसर को पनिश करेंगे? मैं पेशनगोई करता हूं कि आप नहीं करेंगे क्योंकि आप कर नहीं सकते क्योंकि सारे रूल्स और रेग्युलेशंस इस तरह से बना रखे हैं जिनके कारण काम करनेवालों को प्रोटेक्शन मिलता है। अगर कोई प्रगतिशील बात हो, जनता के हित का सवाल आये और सोशलिज्म को आगे बढ़ाने की बात आये तो आपके सारे कानून हेल्पलेस हैं लेकिन आपकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैशीनरी कुछ करे उसके लिये आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप उस मशीनरी को बदल नहीं सकते। इन बातों को देखते हुये मेरी समझ में नहीं आता कि आप इन करों द्वारा उगाहे हुये रुपये से अपने घोषित लक्ष्यों को कैसे पूरा करेंगे और इमर्जेन्सी को मीट करेंगे।

अब इस बातको छोड़कर मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट को पेश करते हुये यह कहा था कि २० करोड़ की कमी करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी की सरकार ने हम लोगों को इस बात के लिये बुलाया कि इमर्जेंसी को मीट करने के लिये हम सब मिलकर उनका सहयोग करें। नये टैक्सेज को रेज करके इमर्जेन्सी को मीट करने के लिये और थर्ड फाइव ईयर प्लान को कामयाब बनाने के लिये क्या किया जा सकता है उसके लिये हमें बुलाया गया। उस वक्त भी यह सवाल उठाया गया कि आप खर्चे में कमी कीजिये। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जहां खर्च का सवाल आता है वहां सरकार हमारा सहयोग नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि हमारा सहयोग उनके साथ टैक्सेज के उगाहने में हो और उस वक्त मैं भी उनमें से एक था जिन्होंने टैक्सेज से अपनी सहमति प्रकट की थी, लेकिन आज मुझे उसका विरोध करने के लिये मजबूर होना पड़ा है, इसलिये कि आज यह सरकार इमर्जेन्सी का फायदा उठाकर अपने को मजबूत करना चाहती है, इमर्जेन्सी के साथ खिलवाड़ कर रही है। सेल टैक्स बढ़ाया गया, हाउस टैक्स बढ़ा, सेल टैक्स बढ़ा, कोर्ट फीस बढ़ी, तथा और भी तरह-तरह के जो टैक्स बढ़े, मैं पूछता हूं कि उसका असर किस पर पड़ेगा? उसका असर तो गरीब पर ही पड़ेगा। जब इस तरह के टैक्स लगाये जाते हैं तो हमें यह देखना होगा कि यह इसका सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं। जब तक हमको यह इतमिनान नहीं हो जाता कि आप जिन उद्देश्यों के लिये यह टैक्स लगा रहे हैं उनकी पूर्ति भी करेंगे या नहीं, तब तक हम इससे सहमति कैसे कर सकते हैं?

श्रीमन्, आज इमर्जेन्सी है, इतनी बड़ी ताकत हमारी सरहद के अन्दर घुस आयी, सैकड़ों जवान मारे गये, आज भी बहुत बड़ी तादाद में हमारी सरहदों के ऊपर दुश्मन मोर्चा लगाये बैठे हैं.....

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे इस तरह की बातें न कहें, अपने को सीमित रखें, इस बिल तक।

श्री भगवान सहाय—

क्या आज सरकार के कारनामों को देख कर यह बात महसूस होती है कि आज इमर्जेन्सी है ? आज नौकरशाही को बड़ा बलवान किया जा रहा है, उसके हकूक को बढ़ाया जा रहा है, कम नहीं किया जा रहा है। पिछली बार यह कहा गया कि हमको किसी ने बताया नहीं कि कमी कैसे करें। मैंने उस वक्त भी बताया था और आज फिर कह रहा हूं कि कमी कहां की जा सकती है। आप अपने सेक्रेटरियों को जो एलाउन्स देते हैं जरा इसके इतिहास को देखें। यह अंग्रेजों के समय दिया जाता था। पहले यह था कि वे लोग अपने बच्चों को विलायत वगैरह पढ़ने के लिये भेजते थे। जिलों में रहने पर उन्हें जिलों में दौरा करने की आजादी थी, इधर उधर जाया करते थे, शिकार आदि की भी सुविधा थी, मन चाहा दौरा करते थे, इस वजह से कोई यहां काम करने को तैयार नहीं होता था। इस कारण अंग्रेजों ने उनके लिये कुछ एलाउन्स रख दिया ताकि लोग यहां पर काम करने को तैयार हो जायं और उनको एलाउन्स दिया जाने लगा। किन्तु आज वह परिस्थिति नहीं है। आज कोई आफिसर ऐसा नहीं होगा जो लखनऊ में रहकर काम न करना चाहता हो क्योंकि यहां सभी सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा आफिसर्स आपके सम्पर्क में रहते हैं। वे जानते हैं कि आपके सम्पर्क में रहने से ही उनको फायदा हो सकता है। यही इसका इतिहास है पिछले १५ साल का। आप उनसे पूछें कि आज कितने आफिसर्स यहां रहना चाहते हैं। आज कोई शाहजहांपुर में या बस्ती में नहीं रहना चाहेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना भाषण कुछ समय के लिये स्थगित कर दें, इस बीच पहले माननीय बलदेवसिंह जी वाले मामले पर जो स्टेटमेंट होने वाला था वह हो जाने दें, उसके बाद फिर वे बोलते रहें।

श्री अधिष्ठाता—

जिस वक्त यह भाषण खत्म करेंगे, तभी लिया जायेगा।

श्री भगवान सहाय—

जब राजा साहब कहते हैं तो मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री भगवान सहाय—

सेक्रेटेरियेट अलाउंस और स्पेशल अलाउन्स खत्म होना चाहिये।

कांग्रेस के इजलासों से आप बराबर इस बात को साल ब साल कहते चले आये हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडीशरी को अलग करेंगे और आपने बच्चों की तरह बहकाने के लिये कर दिया है, लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रखा कलेक्टर के ही अधीन है और वही उसके कैरेक्टर रोल में एन्ट्री करता है, यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को होना चाहिये।

माननीय मंत्रीजी बुरा न मानें क्योंकि यह चीज उनके मंत्रिमंडल को बुरा लगती है ; मंत्रिमंडल को धोखा करने की मांग सदन में की गई लेकिन उस पर भी सरकार का रवैया बच्चों का सा है कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं माननीय बनारसीदास जी से कहूंगा कि जरा अपने कलेजे पर हाथ रख कर टटोलें कि कितने उनके साथी पूरे ८ घंटे काम करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय भगवान सहायजी भगवान को सृष्टि में सबके विषय में कह गये सिवाय इस बिल के। बिल पर भी दो शब्द कह देते।

श्री भगवान सहाय—

इसके उत्तर में केवल इतना ही कहूंगा कि जब बिल पेश था तो इसे पायलट करने वाला ही कोई नहीं था। इस प्रश्न को, अधिष्ठाता महोदय, आपने इस कुर्सी से उठाया और कोरम भी नहीं था। यह सरकार की दिलचस्पी है। इमर्जेन्सी में हम डेढ़ करोड़ क्या डेढ़ सौ करोड़

[श्री भगवानसहाय]

रुपया देने के लिये तैयार हैं परन्तु उसका सदुपयोग भी होना चाहिये। आपने सिवलि डिफेंस का अफसर एक बुड्ढे आदमी को बना दिया है जो दौरा भी नहीं कर सकता। हमारा ७०० मील का बार्डर है। क्या आपका पिट्ठू कोई जवान नहीं था? अगर आप फेवर ही करना चाहते हैं तो जवान को कीजिये ताकि काम भी तो होता रहे।

मैं माननीय बनारसीदास जी और वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ न करें। हम इमर्जेन्सी के कारण टैक्स के फेवर में थे लेकिन हमें भरोसा नहीं रहा है कि आप उस पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे, इसलिये मजबूर होकर विरोध करना पड़ता है। आपका थर्ड फाइव ईयर प्लान है और इमर्जेन्सी भी है। आप हम सबका सहयोग लीजिये और काम कीजिये।

तुलसीपुर स्टेशन पर सरदार बलदेवसिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर न्याय मंत्री का वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन का प्रस्ताव रिजैक्ट हो चुका है। आज मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे। उस पर प्रश्न नहीं होंगे और न बहस होगी। क्लैरिफिकेशन आप मांग सकेंगे।

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

अधिष्ठाता महोदय, कल जैसा कहा गया था कि स्टेटमेंट दे दिया जायगा, उस सिलसिले में जो इत्तिलात सरकार को मौसूल हुई हैं वह मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं।

पहली अप्रैल, सन् १९६३, को लगभग पौने बारह बजे दोपहर पुलिस अधीक्षक, गोंडा को सूचना मिली कि तुलसीपुर स्टेशन पर जनता और पुलिस के बीच कुछ घटना हो गई है। तुरन्त ही उन्होंने डी० एस० पी० को जो देवीपाटन मेले में ड्यूटी पर थे वहां भेज दिया। लगभग १२ बजकर २० मिनट पर वह भी वहां आ गये, और देखा कि गाड़ी वहां खड़ी हुई थी। लोगों ने वहां श्री बलदेवसिंह के साथ हुये अपमानजनक व्यवहार के विषय में शिकायत की। श्री बलदेवसिंह उस समय फर्स्ट क्लास के एक डिब्बे में हथकड़ी पहने हुये बैठे थे। डी० एस० पी० उनसे बात कर रहे थे। श्री बलदेवसिंह ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि जी० आर०पी० स्टाफ द्वारा उनको बिना किसी कारण पीटा गया है और उनको हथकड़ी पहनाई गई है। उन्होंने किसी सिपाही का नाम नहीं लिया, और केवल भदेश्वरसिंह का मारने वालों में नाम लिया। जी० आर० पी० स्टाफ से पूछने पर पुलिस अधीक्षक को ज्ञात हुआ कि राधा मोहन और लक्ष्मी नारायण सिपाहियों ने श्री बलदेवसिंह को बिना टिकट सफर करने तथा जी० आर० पी० के सिपाहियों को मारने के कारण हथकड़ी पहना दी थी। पुलिस अधीक्षक ने तुरन्त ही उन्हें बुलाया और श्री बलदेवसिंह ने उन्हें पहचान लिया। श्री बलदेवसिंह ने यह भी बताया कि यह आरोप गलत है और कुछ जी० आर० पी० के सिपाहियों ने उनके झोले से लकड़ी चुराई थी। जब उन्होंने इस बात के लिये मना किया तो उनको स्टेशन पर मारा पीटा गया और तंग किया गया। उन्होंने इसकी लिखित सूचना डी० एस० पी० को दे दी है। डी० एस० पी० ने श्री बलदेवसिंह से हथकड़ी खोलने की प्रार्थना की परन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि वह हथकड़ी असेम्बली तक ले जावेंगे। परिस्थितियों को देखते हुये यह ज्ञात हुआ कि एस० आई०, रामपालसिंह, लक्ष्मीनारायण तथा राधामोहन, जी० आर० पी० सिपाही और जिला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस के सिपाही भदेश्वरसिंह ने अनियमितताये तथा ज्यादतियां की हैं। पुलिस अधीक्षक ने तुरन्त ही उनको निलम्बित करने के लिये आदेश दे दिये और यह भी आश्वासन दिया कि इसकी पूरी जांच की जायगी और दोषी व्यक्तियों को उचित दंड दिया जायगा। इसके पश्चात् भीड़ शांत हो गई और श्री बलदेवसिंह भी डिब्बे से बाहर आ गये, और हथकड़ी उतरवाने पर सहमत हो गये। इसके पश्चात् गाड़ी तुलसीपुर स्टेशन से लगभग १ घंटा ४५ मिनट लेट छूटी। सिपाहियों की रिपोर्ट तथा श्री बलदेवसिंह द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के दोनों मामलों को सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया गया है, और उनकी जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि किसके आदेश से श्री बलदेवसिंह को हथकड़ी डाली गयी ?

श्री अधिष्ठाता—

यह तो क्वेश्चन हो गया, क्लेरीफिकेशन कीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा—

रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि हथकड़ी किसके आदेश से डाली गयी हैं, यह बता दिया जाय।

श्री सैयद अली जहीर—

इससे पता लगता है कि वहां ३ सिपाही थे जिनको सस्पेंड किया गया है। उन्हीं से झगड़ा हुआ, उन्हों ने हथकड़ी डाली होगी ? इसके मुताल्लिक जब पूरी तहकीकात हो जाय तभी पता चल सकेगा कि किसके आदेश से डाली गयी।

श्री अधिष्ठाता—

यह मामला विचाराधीन है प्रिविलेज कमेटी के। आप कम से कम सवालात करें ताकि उस मामले पर कोई असर न पड़े।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन सिपाहियों ने इसलिये पकड़ा कि बलदेवसिंह जी बिना टिकट सफर कर रहे थे। इससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उन्होंने स्वयं ही पकड़ा या किसी टिकट चेकर के कहने से पकड़ा ?

श्री सैयद अली जहीर—

इसकी तफसीलात तो पूरी तरह से अभी आयी नहीं है। उनके खिलाफ तो दो आरोप बताये जाते हैं। एक तो यह कि वे बिना टिकट सफर कर रहे थे और दूसरा यह कि जब उनसे कहा गया तो सिपाहियों को मारपीट की गयी। यह सही है या गलत है इसको मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है उसी को दुहरा रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी के पास जो जानकारी हो उसी को कहें और ज्यादा कहने की कोशिश न करें। अगर खींचतान की जायगी तो मुश्किल हो जायगी, छानबीन में दिक्कत होगी। इस मामले में उतना ही जवाब दें जितने की आवश्यकता है।

श्री सैयद अली जहीर—

मैंने उतना ही कहा है जितना कि रिपोर्ट में कहा गया है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि सिपाहियों को माननीय सदस्य ने मारा तो क्या सिपाहियों का कोई डाक्टरी मुआयना हुआ ? उनके कहां-कहां चोट आयी ? यह भी कहा गया कि

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

उनको बिना टिकट होने से पकड़ा गया, तो क्या उन्हीं के पास टिकट नहीं था या और लोग भी उनके साथ थे जिनके पास टिकट नहीं था, या उन्हीं को केवल सिंगिल आउट किया गया ?

श्री सैयद अलीजहीर—

मैंने कहा कि एक रिपोर्ट माननीय बलदेवसिंह जी ने लिखायी और एक रिपोर्ट पुलिस के सिपाहियों ने लिखायी । दोनों रिपोर्ट की जांच सी० आई० डी० के हवाले कर दी गयी है । जब पूरी तहकीकात हो जायगी तभी मालूम हो सकेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने यह पूछा था कि सिपाहियों के बदन पर कोई चोट थी या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—

इसकी मुझे इत्तला नहीं है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

जब उन्होंने रिपोर्ट लिखायी थी तो उसमें यह अवश्य लिखाया होगा कि हमारे यहां चोट लगी है या मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ होगा ?

श्री सैयद अलीजहीर—

मारपीट की रिपोर्ट बतायी जाती है । हाथ से मारा जाता है, झापड़ मारा जाता है, घूंसा मारा जाता है तो उसका कोई निशान नहीं पड़ता लेकिन अगर डंडा मारा जाता है तो उसकी चोट लगती है ।

श्री अधिष्ठाता—

रिपोर्ट में जिक्र है कि पुलिस वालों को भी चोट लगी, तो वह कहां लगी ?

श्री सैयद अली जहीर—

इस वक्त यह इत्तला नहीं है ।

सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस वक्त मुझसे और सिपाहियों से मारपीट हुई थी, तो क्या मैं अकेला था या मेरे साथ और भी थे ? उन्होंने रिपोर्ट में क्या दर्ज कराया है ?

श्री अधिष्ठाता—

यह क्लेरिफिकेशन नहीं है ।

सरदार बलदेव सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिपाहियों ने जो रिपोर्ट मेरे खिलाफ लिखायी है उसमें अकेला मेरा नाम दर्ज है या मेरे किसी और साथी का भी नाम दर्ज है ?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

माननीय मंत्री जी रिपोर्ट पढ़ देंगे तो जानकारी हो जायगी ।

श्री अधिष्ठाता—

आप डिक्टेट न कीजिये ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

हिन्दी में रिपोर्ट है—मुकदमा नं० २८, धारा ३७९, १४७, ३२३, ३४२, थाना जी० आर० पी०, गोंडा, एफ० आई० आर० ४१, थाना तुलसीपुर, जिला गोंडा .....

श्री अधिष्ठाता—

अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसका क्लेरिफिकेशन फिर होगा, इस बात को याद रखें । इसलिये जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसी का जवाब दें ।

श्री सैयद अली जहीर—

मैं समझता हूं कि श्री बलदेवसिंह की रिपोर्ट है हिन्दी में, लेकिन दूसरी रिपोर्ट शायद यहां नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सूचना मंत्री जी अभी पढ़ रहे थे ।

श्री सैयद अली जहीर—

वह श्री बलदेवसिंह जी की रिपोर्ट थी ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर आप की जानकारी में हो तो बतला दें कि वहां अकेले श्री बलदेवसिंह ही थे या और लोग भी इनके साथ रहे ?

श्री सैयद अली जहीर—

इसकी इत्तला इस वक्त मेरे पास नहीं है कि रिपोर्ट में क्या लिखा है ?

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि फर्स्ट क्लास के डिब्बे में हथकड़ी लगे हुए श्री बलदेवसिंह पाये गये । तो क्या जब वहां पर हथकड़ी हटाने के लिये डी० वाई० एस० पी० साहब पहुंचे, तो क्या माननीय सदस्य ने इस बात की भी शिकायत की कि उनके बदन पर चोट है और उन्होंने मांग की कि फर्स्ट एड करा दी जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है ?

श्री अधिष्ठाता—

यह तो क्लेरीफिकेशन की बात नहीं है, जहां तक प्रिविलेज का सम्बन्ध है, मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको आप सीमित ही रखें ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्लेरिफिकेशन इस माने में है कि जिस समय माननीय सदस्य हथकड़ी लगे हुए डिब्बे में पाये गये जिसकी स्टेटमेंट में चर्चा है, मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय डी० वाई० एस० पी० हथकड़ी छुड़ाने के लिये वहां गये और जिनकी आज्ञा से हथकड़ी खोली गयी, क्या माननीय सदस्य ने उनसे इस बात की भी शिकायत की थी कि उनके बदन पर चोट है और उसका डाक्टरी मुआयना करवा दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—

मामूली चोट थी और मुआयना बलरामपुर में मेडिकल आफिसर ने किया ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिये कि जो हथकड़ी खोली गयी वह किसके आर्डर से खोली गयी और क्या उसके लिये कोई जमानत ली गयी या नहीं और पहले किसकी रिपोर्ट थी, उनकी या इनकी ?

श्री अधिष्ठाता—

इतनी ज्यादा डिटेल में पूछेंगे तो यह क्लेरिफिकेशन नहीं होगा ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो हथकड़ी लगे हुए फर्स्ट क्लास डिब्बे में पाये गये और उनकी हथकड़ी जो खोली गयी तो छोड़ने के पहले उनकी कोई जमानत ली गई या नहीं, असलियत क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—

जब डी० आई० एस० पी० ने उनकी हथकड़ी खोलने के लिये कहा तो पहले माननीय सदस्य ने उसे खोलवाने से इंकार किया, लेकिन बाद में जब किसी तरह से राजी हो गये तो हथकड़ी खोल दी गयी । वहां न कोई जमानत का सवाल था और न कोई और बात थी ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, हथकड़ी तो आफेंस के ऊपर ही लगती है और जब हथकड़ी लग गयी और आफेंस कोई था नहीं, तो किस अधिकारी के हुक्म से हथकड़ी खोली गयी, इसका क्लेरिफिकेशन करा दें ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई क्लैरिफिकेशन की बात नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जैसा कहा गया कि जिस समय वे वहां आये तो माननीय सदस्य डिब्बे में मौजूद थे, तो इस स्टोरी की शुरूआत कहां से हुई ? सिपाहियों को यह कैसे पता लगा कि माननीय सदस्य श्री बलदेवसिंह डिब्बे में बिना टिकट बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में ? चैकिंग का तरीका क्या है और कैसे सिपाही वहां पहुंचे, इस पर मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या जब सिपाही वहां पहुंचे तो पहले पहल माननीय सदस्य ने उनको मारना ही शुरू किया ? कैसे यह घटना हुई, उस वक्त वह वहां अकेले थे या और भी पैसेंजर्स उनके साथ थे ? क्या पोजीशन थी यह साफ नहीं हुआ । कहा गया कि वह बिना टिकट थे । तो मैं जानना चाहूंगा कि बताया जाय कि इस स्टोरी की शुरुआत कहां से हुई .....

श्री अधिष्ठाता—

तो क्या आप चाहते हैं कि प्रिविलेज कमेटी का सारा काम हम यहीं समाप्त कर दें ? यह कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है । जो पूरी स्टोरी है वह तो विशेषाधिकार समिति के सामने आयेगी, बाकी अगर कोई एम्बिगुइटी हो तो आप इसको साफ कर सकते हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं तो यही जानना चाहता हूं कि वह किस पोजीशन में थे और कैसे मारना शुरू किया, लाठी से मारा, भाले से मारा या डंडे से मारा, क्या पोजीशन थी ?

श्री अधिष्ठाता—

यह फैक्ट्स की बातें हैं, यह एवीडेंस की चीज हो सकती है, इन बातों को आप यहां न पूछें ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमान्, मंत्री जी ने अभी कहा कि उनके पास जी० आर० पी० ने जो रिपोर्ट लिखाई है वह नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य की रिपोर्ट है .....

(बहुत से सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री गंगासिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है कि इतने लोग एक साथ कैसे खड़े हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग स्वयं बैठ जायं बड़ी मेहरबानी होगी ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

यह जो रिपोर्ट मंत्री जी ने मंगाई है और सदन में पढ़ी है, उसमें कहा गया है कि दोनों तरफ से रिपोर्ट लिखाई गई है, लेकिन इसका क्या कारण है कि एक तरफ की रिपोर्ट तो आ गई और दूसरी जो कांस्टेबिल्स से सम्बन्धित है, जी० आर० पी० और थाना बलरामपुर और तुलसीपुर

का जिसमें जिक्र है वह रिपोर्ट किस की थी ? माननीय सदस्य की थी या जी० आर० पी० के लोगों की थी ?

श्री सैयद अली जहीर—

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग जरा सब्र करें, इंक्वायरी हो जायगी तो सब बातें सामने आ जायंगी ।

श्री अधिष्ठाता—

उनका यह कहना है कि आपने स्टेटमेंट में कहा है कि दोनों ओर से रिपोर्टें हुईं और उनमें से एक की तो आप के पास आ गई, लेकिन दूसरी रिपोर्ट क्या हुई यह वह जानना चाहते हैं ।

श्री सैयद अली जहीर—

इसमें जिस रिपोर्ट का हवाला था वह तो वही रिपोर्ट थी जो बलदेवसिंह जी की थी, वह आ गई । और बाकी सब बातों के बारे में क्या कहना है, यह तो खुली हुई बात है कि वहां के एस० पी० और डी० वाई० एस० पी० यह समझते हैं कि माननीय बलदेवसिंह जी के साथ ज्यादती हुई है और इसीलिये उन्होंने संबंधित लोगों को फौरन् सस्पेंड किया है और वह इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच के बाद जो नतीजा होगा वह प्रिविलेज कमेटी के सामने जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कल्पनाथसिंह जी का यह कहना है कि पुलिस रिपोर्ट जब हुई तो उसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई और वह फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट होगी जिस पर गिरफ्तारी हुई, तो वह जानना चाहते हैं कि पहली रिपोर्ट क्या हुई और वह क्या थी ?

श्री सैयद अली जहीर—

वह इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मैं व्यवस्था चाहता हूं । जिस प्रकार से वक्तव्य मंत्री जी दे रहे हैं वह बहुत ही असन्तोष जनक वक्तव्य है । कल आप ने देखा होगा कि जब सदन ने निर्णय किया था और रावत जी ने दरख्वास्त की थी, माननीय गेंदासिंह जी ने 'सजेस्ट किया था कि डी० एम० को यहां बुलायें और यह गंभीर वाकया है और इसका असर पूरे सूबे पर पड़ेगा । तो हम चाहते थे फर्स्ट हैंन्ड इनफारमेशन डी० एम० पूरी देता ताकि सदन जो कल उठ रहा है उसको संतोष होता । इस प्रकार का दुर्व्यवहार माननीय सदस्य के साथ होता है उसका प्रभाव जनता पर पड़ने वाला है, और जब आज रिपोर्ट मंगायी गयी तो पहली रिपोर्ट, जिस पर वाकया शुरू होता है, वह नहीं है, और स्वयं मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं हमको संतोष नहीं है, कर्मचारी सस्पेंड कर दिये गये हैं, आप कनविन्स्ड हैं कि अधिकारियों ने गलती की, लेकिन माननीय सदस्य पर निराधार आरोप लगाया बिना टिकट चल रहे हैं यह बहुत बड़ा अपमान है । अतः मेरी प्रार्थना है कि इसको आप आज स्थगित करें । या तो मंत्री जी खुद जिम्मेदारी लें और वहां जा कर जांच करें, वरना सदन के समय को बढ़ायें, लेकिन सदन को उठने से पहले संतोष होना चाहिये इस केस की गंभीरता को देखते हुए ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी बाकी कागजात आप कल दे सकेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—

मेरे पास तो जो स्टेटमेंट वहां के डी० एम० का आया है वह मैंने पढ़ दिया, उसी में जो बातें हैं वह मैंने पढ़ दीं तथा उनके साथ जो २, १ कागजात हैं वह मेरे पास हैं । अब इसके अलावा और जो कुछ है, जैसा कहा गया वह लोग सस्पेंड हैं, इंक्वायरी हो रही है, सी० आई० डी०

[श्री सैयद अली जहीर]

अफसर मुकर्रर हैं । इंक्वायरी के बाद मामला साफ होगा । यह तो हमारे यहां का कांस्टीट्यूशन नहीं है कि अगर किसी आदमी ने गलती भी की तो बिना किसी ट्रायल के उसको गोली से उड़ा दें । गुस्सा करने से कोई नतीजा नहीं निकलता है । जो सूरतेहाल है उसको समझ लेना चाहिये कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है और जो वाकयात हुए हैं उनके ऊपर इंक्वायरी हो लेगी तथा सवाल उठेगा सजा का, जो अदालत तय करे ।

श्री अधिष्ठाता—

दो वर्जन हैं । एक प्रासीक्यूशन का है जिसमें बलदेव सिंह जी अरेस्ट किये गये, और माननीय बलदेव सिंह जी का एक वर्जन है जो उस समय उन्होंने ऐक्यूज्ड की हैसियत से दिया है । तो अगर कोई आदमी आफेंस करता है तो उसके खिलाफ एक रिपोर्ट होती है । माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि वह कौन सी रिपोर्ट है जिसके आधार पर माननीय बलदेव सिंह की गिरफ्तारी हुई ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

वह रिपोर्ट बनायी जा रही है, तैयार नहीं हुई है ।

श्री सैयद अलीजहीर—

यह गलतफहमी है कि रिपोर्ट पर अरेस्ट किये गये । अरेस्ट इसलिये किये गये कि उनके खिलाफ चार्ज है कि बिना टिकट ट्रेबिल कर रहे थे ।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

मैं पूछना चाहता हूं कि किसकी इन्फार्मेशन पर बगैर टिकट अरेस्ट हुए और जब अरेस्ट हुए तो क्या मैजिस्ट्रेट चल रहा था उस गाड़ी में जिसने उन्हें अरेस्ट करने की इजाजत दी ?

श्री अधिष्ठाता—

यह रेलिवेंट नहीं है ।

मंत्री जी सवाल यह है कि माननीय बलदेव सिंह गिरफ्तार हुए चाहे पहले रिपोर्ट हुई हो, चाहे बाद में हुई हो लेकिन रिपोर्ट कोई है पुलिस की तरफ से जिसके अन्दर वह गिरफ्तार किये गये, चाहे पहले लाज की गयी या बाद में । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वह कौन सी रिपोर्ट है और क्या रिपोर्ट है जिसके मातहत वह गिरफ्तार किये गये उसे वह सदन के सामने रखें ।

श्री सैयद अली जहीर—

मैं अपने बयान को फिर से पढ़ कर सुना दूं । माननीय सदस्य शायद भूल गये ।

श्री अधिष्ठाता—

बयान से कोई मतलब नहीं है । वह सिर्फ रिपोर्ट चाहते हैं जिस पर वह पकड़े गये हैं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

३३२ और १११ को पढ़ कर सुनाया गया । अगर रिपोर्ट नहीं दी तो फिर सेक्शन कैसे दर्ज हो गये ? सेल्फ कांट्रेडिक्टरी बात हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें ज्यादा क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है । कल उस रिपोर्ट को मंगा कर सदन के सामने माननीय मंत्री रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—
दोनों ओर से रिपोर्ट्स लिखायी गयीं। दोबारा माननीय मंत्री जी कहते हैं कि दूसरी रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी क्यों कि डब्ल्यू० टी० में पकड़े गये। इससे सदन में गलत बयानी होती है। मैं विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—
मैंने पहले ही बता दिया कि माननीय मंत्री जी वह रिपोर्ट मंगवा दें जिस आधार पर बलदेवसिंह जी पकड़े गये। जब रिपोर्ट आयेगी तो क्लेरिफिकेशन मांगा जा सकता है। इसके बाद अब कोई क्लेरिफिकेशन नहीं होगा।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—
यह जो घटना घटी है इससे सारे माननीय सदयों की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। आप माननीय मंत्री जी से कहें कि वे घटना स्थल पर जा कर स्वयं छानबीन करें और अपनी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

श्री अधिष्ठाता—
क्या आप माननीय मंत्री जी को इंक्वायरी आफिसर बनाना चाहते हैं ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
वह जा कर वहां देखें और अपनी रिपोर्ट दें।

श्री अधिष्ठाता—
यह मिनिस्टर की जिम्मदारी नहीं है कि घटना स्थल पर जायं। पहला काम यह है कि मैजिस्ट्रेट या पुलिस इंक्वायरी करे और अगर आप इंक्वायरी से सैटिस्फाइड न हों तो फिर दूसरा रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट है उसे पहले माननीय मंत्री जी कल पेश करें तो आप क्लेरिफिकेशन पूछ सकते हैं।

श्री चैतन्यराजसिंह—
तीन कांस्टेबिल और एक सब-इंसपेक्टर सस्पेंड कर दिये गये, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या महज सस्पेंड किये गये हैं या जैसा मंत्री जी ने कहा कि किसी पर एसाल्ट करने पर कांस्टीटयूशन में यह अधिकार नहीं है कि उसे गोली से उड़ा दिया जाय तो पुलिस आफिसर्स को उस एसाल्ट की वजह सें क्या जेल भी भेजा गया है या महज सस्पेंड कर दिया गया है ?

श्री अधिष्ठाता—
टेलीग्राम डी० एम० का आया है। उनके बारे में माननीय मंत्री जी यह बता दें कि उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—
सस्पेंड इसलिये किया गया कि बलदेव सिंह जी की शिकायत थी उनके खिलाफ।

श्री अधिष्ठाता—
उसमें लिखा है "फार कमिटिंग इरेंगुलैरिटीज"। इसलिये मैं चाहता था कि आप उन्हीं शब्दों में कहते। आप तो बहुत दूर जा रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—
जो बदउनवानी की है इसी की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है, यही मेरे कहने की मंशा थी।

श्री चैतन्यराजसिंह—
मैं जानता हूं कि सस्पेंड किये गये हैं .....

श्री अधिष्ठाता—

आप जरा बैठें । आप को फिर मौका मिलेगा ।

श्री रंजनार्यसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया था कि सरदार बलदेव सिंह जी कहीं सफर कर रहे थे ट्रेन पर । तो वह कहां से कहां जा रहे थे इस प्रकार की कोई बात इसमें नहीं आयी । वे सिर्फ उसी स्टेशन पर कम्पार्टमेंट में बैठ हुये थे या कहीं जा रहे थे ?

श्री अधिष्ठाता—

यह प्रिविलेज के अन्दर आता है, यह क्लेरिफिकेशन नहीं है ।

श्री रघुनार्यसिंह (जिला वाराणसी)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब दोनों ओर की रिपोर्ट नहीं आयी हैं तो न केवल मंत्री जी ने यह कहा कि दोनों ओर से मारपीट हुई, बल्कि यह पूछे जाने पर कि क्या सिपाहियों को चोट आयी तो उन्होंने यह भी सफाई दी कि क्या चोट लाठी और तलवार की ही होती है, क्या थप्पड़ और घूंसे की नहीं होती ? तो यह सफाई का मौका कैसे मिला जब कि रिपोर्ट ही नहीं थी ? इसमें क्या लीपापोती की भावना नहीं मालूम पड़ती ?

श्री अधिष्ठाता—

यह क्लेरिफिकेशन नहीं है ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

मैं यह जानना चाहता था कि जो सस्पेंड हुआ है उसमें कांस्टेबुल के अलावा एस० आई० भी सस्पेंड हुये हैं या केवल कांस्टेबिल्स ही सस्पेंड हुए हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

एक रामपाल सिंह एस० आई० हैं और लक्ष्मीनारायण और राधामोहन कांस्टेबिल्स हैं ।

सरदार बलदेवसिंह—

मैं कल तुलसीपुर गया था । वह एस० आई०, तुलसीपुर में ही मौजूद हैं । उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर होना चाहिये जो अभी तक नहीं किया गया । वह केस बना रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

यह क्लेरिफिकेशन नहीं है ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इनको सस्पेंड कर के इनके खिलाफ किसी जुर्म का मुकदमा कायम किया गया है या डिपार्टमेंटल सस्पेंड किया है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप जरा बैठ जाइये । मैं आप लोगों को जो डी० एम० का तार आया है उसको पढ़ कर सुना दूं शायद ऐम्बिगुइटी कुछ क्लियर हो जाय । वह तार इस प्रकार है :—

"An incident took place between G. R. P. Staff and Sri Baldeo Singh M. L. A., at Tulsipur Railway Station on April 1, 1963 noon. G. R. P, reported a case under section 112 Railway Act/332 I.P.C., against Sri Baldeo Singh for ticketless travelling and assault on G.R.P. constable. G.R.P. arrested Baldeo Singh and handcuffed him. He was released on bail shortly there after at Tulsipur station itself. Train was detained at Tulsipur station for about an hour and 45 minutes. Sri Baldeo Singh lodged a report under section 147/323/342/379 I.P.C., against G.R.P. staff alleging theft of wood from his jhola near Tulsipur Railway Station, wrongful confinement and beating. Enquires being made by Section Officer, S. O., G. R. P.,

Gorakhpur and Deputy Superintendent Police, Gonda. One Sub-Inspector and three constables placed under suspension for alleged irregularities and excesses. Detailed report follows."

अब एक चीज यह है कि जिससे आपको मालूम होगा कि....

श्री कल्पनाथसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, देखिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने साफ लिखा है कि माननीय बलदेवसिंह जी के विरुद्ध एक रिपोर्ट लिखी गई और मंत्री जी कहते हैं कि कोई रिपोर्ट नहीं है, तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने असत्य का सहारा लिया है।

श्री अधिष्ठाता—

अभी मैं समझता हूं कि इस सवाल को न उठाइये। इसीलिये मैंने मंत्री जी से कहा है कि कल वह उस रिपोर्ट को सदन में पेश करें। अभी यह वक्त इसके लिये नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि यह बयान हाउस के सामने हुआ और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो रिपोर्ट आपने पढ़ी, वह दूसरी तरह की है। इससे हाउस की कंटेम्प्ट होती है, इसलिये सवाल पर तुरन्त विचार होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी बात सुन लीजिये। जब तक रिपोर्ट न आ जाय तब तक कोई बात नहीं कही जा सकती है। अभी मैंने रिपोर्ट मांगी है। जब वह आ जायगी तो कोई भी सवाल उठ सकेगा।

श्री भानुप्रतापसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, आपने जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का टेलीग्राम पढ़ा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि माननीय बलदेवसिंह जी बेल पर छोड़े गये, परन्तु न्याय मंत्री जी का कहना है कि यों ही छोड़ दिये गये और यदि छोड़ दिये गये तो मैं जानना चाहता हूं कि जो वक्तव्य उन्होंने दिया है वह सत्य है अथवा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सत्य है ?

श्री अधिष्ठाता—

देखिये यही एक चीज है जिसके ऊपर उनका केस आधारित है। अगर इन चीजों को ओपिन कर देंगे तो उस पर असर पड़ेगा और माननीय बलदेवसिंह जी ने कहा है कि वे बिना बेल के छोड़े गये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैं इस आर्डर को पढ़े देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

इसकी आवश्यकता नहीं है। उनका कहना यह है कि बिना बेल के छोड़े गये और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कहना है कि बेल पर छोड़े गये। तो यह ठीक है कि यह प्रिविलेज कमेटी का प्रश्न है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

अधिष्ठाता महोदय, एक आध मर्तबा इधर भी देख लिया करें। इस तरह से बटवारा न करें। हम लोग भी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। आपने कल्पनाथ सिंह जी को ५ बार मौका दिया और मेरा एक सवाल भी एलाऊ नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

रीजनेबिल सवाल को मैं एलाऊ कर सकता हूं और आपके अनरीजनेबिल सवाल को मैंने एलाऊ नहीं किया।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—
अधिष्ठाता महोदय.....

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—
श्रीमन्, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का आर्डर पढ़ा है.....

श्री श्यामलाल—
श्रीमन्, आप हमसे कह रहे हैं या नरसिंह नारायण जी से कह रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—
मैं माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी से कह रहा हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
अभी जो आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का तार पढ़ा है और उसके बाद आर्डर रिलीज का है जो डी० वाई० एस० पी० ने दिया है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—
उसको यहां पढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर प्रिविलेज कमेटी को देना चाहते हैं तो उसको सबमिट कर दीजियेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
मैं कह रहा हूं कि गलतबयानी सदन में जानबूझ कर कर रहे हैं। या तो आप खुद कागनीजेंस लीजिये या लेटर पढ़ने दीजिये। मैं विशेषाधिकार की नोटिस देना चाहता हूं, फैक्ट के खिलाफ वह इस सदन में गलत बयानी कर रहे हैं। डी० वाई० एस० पी० का आर्डर है, जिसको मैं पढ़े दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—
आपने जो नोटिस दिया है वह ठीक है। लेकिन पढ़ें नहीं।

श्री श्यामलाल—
अधिष्ठाता महोदय, माननीय बलदेवसिंह जो के शरीर पर गहरी चोटें लगी हैं। यह फल सिद्ध हो चुका है वह सदन में दिखलाने के लिये तैयार थे। सरकार ने कहा कि जी० आर० पी० के दो तीन कांस्टेबिलों को चोटें आयीं, वे जाहिर नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी किस ऐक्ट के अन्तर्गत, एक व्यक्ति, वह तो माननीय सदन के सदस्य हैं, कोई भी साधारण व्यक्ति हो, अगर वह किसी दूसरे को थोड़ा सा छू दे तो घूंसा से, थप्पड़ से बेंत से उसको मारे और इतने गहरे घाव लग जायं, यह किस ऐक्ट के अन्तर्गत ताकत दी गयी है ? अगर यह बात कानून के खिलाफ है तो दोनों कान्स्टेबिलों को सस्पेंड करना ही काफी नहीं है। उनको डिस्मिस करना चाहिये और जेल भेजना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—
जो चीजें आपने कहीं वह तो प्रिविलेज कमेटी को सौंप दी गई हैं। आप चाहते हैं कि वह काम मंत्री जी को सौंप दिया जाय, तो प्रिविलेज कमेटी से विदड्रा करने की कोशिश कीजिये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—
एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—
व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है। आप क्लेरिफिकेशन कर सकेंगे।

श्री झारखंडे राय—
मान्यवर, एक बात साफ नहीं हो पायी। अभी जो बयान मंत्री जी ने दिया है और जो तार आपने पढ़ा, उस से एक बात की सफाई नहीं हो पाती। आमतौर पर जो लोग बिला टिकट चलते हैं उनको गिरफ्तार कोई रेलवे का अधिकारी करता है—टी० टी०, एस० एम०, ए०एस०

एम० यह पुलिस को हैंडओवर करते हैं। फिर पुलिस जो चाहे करती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि किस रेलवे अधिकारी ने गिरफ्तार किया और उसने पुलिस को हैंडओवर किया ? रिपोर्ट जबानी हो या लिखित लेकिन अगर जबानी है तो किस आदमी ने किया इसकी कोई सफाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण किया जाय।

श्री सैयद अलीजहीर—

ऐसा मालूम होता है कि टी० टी० तुलसीपति थे। उन्होंने रिपोर्ट की।

श्री अधिष्ठाता—

टी० टी० ने रिपोर्ट की ?

श्री सैयद अलीजहीर—

जी हां।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय बलदेवसिंह जी ने उसी दिन रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी की बुकिंग करवायी थी, १०–११ बजे के लगभग, और रुपया भी एडवान्स जमा कर दिया था। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी करेंगे कि वास्तव में वह बुकिंग करवाने और लकड़ी के काम के लिये उस समय उपस्थित थे ?

श्री अधिष्ठाता—

यह क्लैरिफिकेशन नहीं है। कोई ऐम्बिग्युटी हो उसके बारे में क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं।

श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी टी० टी० ने रिपोर्ट की थी। रेलवे नियम के अनुसार उस टी० टी० को, मेमो देना चाहिये स्टेशन मास्टर को, वह मेमो दी गयी या नहीं ?

श्री सैयद अलीजहीर—

जहां तक रिपोर्ट मेरे पास है उस से यह पता चलता है—

With regard to offence under section112 Railway Act there is no memo from Railway and S. I. T. T. E. submits that he asked Sri Tulsi Pati, T.T.E., about this. Shri Tulsi Pati, T.T.E., could not be available despite all efforts. A memo has been issued to Railway authorities to spare him immediately so that his statement may be recorded.

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

अधिष्ठाता महोदय, इस घटना की जांच दो तरीकों से हो रही है। एक तो सी० आई० डी० कर रही है। दूसरे प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया गया है। क्या यह क्लैरिफिकेशन, जिसका लम्बा तांता फैलाने की आपने इजाजत दी है, इसका केस पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

जब प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द कर दिया गया है तो जो गवर्नमेंट की नालेज में आ गया हो, सरकार को चाहिये कि प्रिविलेज कमेटी की नालेज में ले आये। जहां तक सी०आई० डी० का सम्बन्ध है प्रिविलेज कमेटी चाहेगी तो सी० आई० डी० से जांच करवायेगी, नहीं तो स्टाप कर देगी।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

मेरा प्रश्न जो था, उसका इस उत्तर से मुझे समाधान नहीं हुआ। मेरी प्रार्थना है कि उसका उत्तर दोबारा दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

आपके डिक्टेशन पर नहीं कर सकता ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

जब आप कह चुके हैं कि पूरे तरीके पर तैयार हो कर कल आयें, तो अब इस वक्त कुछ न करवाया जाय । जब कल तैयार हो कर आयें तो सारी चीजें पूछ ली जायं ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर सदन की राय न हो तो इस पर कोई विवाद न हो । (कुछ रुक कर) अच्छा माननीय लखपतराम शर्मा, माननीय भानुप्रताप सिंह और माननीय गेंदा सिंह एक-एक प्रश्न कर लें ।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी करना चाहता था कि रेलवे के कानून के मुताबिक अगर किसी आदमी को बिना टिकट गिरफ्तार किया जाता है तो उस आदमी को जमानत पर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उस आदमी के पास जो सामान होता है उसको नीलाम कर दिया जाता है या मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मैजिस्ट्रेट उसको दण्डित करता है इसमें एक खास चीज यह भी है कि माननीय सदस्य ने यह भी शिकायत उसी समय की कि उनके शरीर पर काफी चोटें हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट में क्यों इस चीज को छिपाया गया, क्यों नहीं यह बताया गया ? जिस वक्त यह रिपोर्ट उनके सामने आयी कि काफी उनके शरीर पर चोटें हैं और बिना टिकट वह हैं तो उनको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं पेश किया गया ?

श्री अधिष्ठाता—

देखिये यह क्लैरिफिकेशन का सवाल नहीं है ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

श्रीमन्, दो स्टेटमेंट पढ़े गये । एक माननीय मंत्री जी ने पढ़ा और एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पढ़ी गयी । इन दोनों में अन्तर है थोड़ा बेल के बिषय में । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो रिपोर्ट पढ़ी है वह किस आधार पर पढ़ी है, वह भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है या किसी और अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई है और उन दोनों में क्यों अन्तर है ?

श्री सैयद अली जहीर—

मेरे खयाल से तो कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है । जो उसमें है वही मैंने पढ़ा । जो मेरे पास इत्तला आयी वही मैंने पढ़ा ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

एक में कहा गया है कि बेल पर छोड़ दिये गये और दूसरे में कहा गया है कि डी० एस० पी० ने कहा हथकड़ी हटाओ, तो दोनों में अन्तर है ।

श्री सैयद अलीजहीर—

जहां तक बेल का जिक्र है आप के पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने क्या लिख कर भेजा है, वह मुझे नहीं मालूम । हाउस के सामने जो मैंने पढ़ा है उसमें बेल का कहीं जिक्र नहीं है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) —

मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि प्रिविलेज कमेटी को जो आपने मामला सुपुर्द किया है, उसके टर्म्स आफ रिफरेन्स क्या हैं ? क्या वह मामले सारे आते हैं उसमें जो पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया ? यदि वह टर्म्स आफ रिफरेन्स आप पढ़ देंगे तो सफाई हो जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा खयाल है कि वह प्रोसिडिंग्स कल खत्म हो गई । मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि प्रोसीडिंग आप पढ़ लें, उस से सारी बात मालूम हो जायेगी ।

श्री गेंदासिंह—

मैं समझता हूं कि प्रोसीडिंग्स से टर्म्स आफ रेफरेन्स नहीं मालूम होगा । प्रोसीडिंग्स में जो कुछ भी लिखा गया हो, लेकिन जिस वक्त विशेषाधिकार समिति को माननीय अध्यक्ष ने या माननीय सचिव ने भेजा होगा उस वक्त निश्चित टर्म्स आफ रिफरेन्स लिख कर दिये होंगे । तो वह टर्म्स आफ रिफरेंस क्या है यह बता दें ?

श्री अधिष्ठाता—

आपके कहने से ऐसा मालूम होता है कि आपने देखा है, अगर देखा है तो आप बता दीजिये कि उसमें क्या लिखा है, तब उसके बाद हम सोच सकते हैं ?

श्री गेंदासिंह—

मैं आप से निवेदन करूं कि देखा तो मैंने नहीं है, लेकिन एक कामनसेन्स काम करता है और कुछ नियमों की थोड़ी सी जानकारी काम करती है कि टर्म्स आफ रिफरेन्स में कभी भी यह नहीं हो सकता जो पुलिस ने दुर्व्यवहार किया । तो वह भी उसके टर्म्स आफ रिफरेन्स में है क्या ? इसका कुछ कन्फ्यूजन यहां हो रहा है । टर्म्स आफ रिफरेन्स ऐसा भी हुआ है क्या कि जो कुछ भी वहां हुआ है, उस सारे मामले के ऊपर वह विचार करे, क्योंकि प्रिविलेज कमेटी को सीमित अधिकार हैं और उस सीमित अधिकार में वह काम करेगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन उस कन्फ्यूजन को दूर कर ले और इसके अलावा एक चीज और देख ले कि प्रिविलेज कमेटी कितनी दूर तक किस जगह तक जा सकती है । अगर यह हो जायगा तो मेरा ऐसा खयाल है कि उस पर विचार करने में जो आज कन्फ्यूजन हो रहा है वह दूर हो जायगा । मैं समझता हूं कि काफी देर हो चुकी है और अब तक वह टर्म्स आफ रेफरेन्स प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा चुका होगा । तो क्या चिट्ठी गयी है माननीय अध्यक्ष की तरफ से या सचिव की तरफ से उसको आप पढ़वा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

जो माननीय गेंदासिंह जी कह रहे हैं देखा नहीं है तो मैं तो ऐसे पुराने जानकार जो कि प्रिविलेज कमेटी में रह भी चुके हैं ऐसे सदस्य से प्रार्थना करूगा कि वह उसको देखें और जहां तक प्रिविलेज कमेटी में भेजने का सवाल है टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या, सारी कार्यवाही ही वहां भेज दी जायगी । तो बेहतर तो यह होगा कि आप उन प्रोसीडिंग्स को अध्यक्ष के कमरे में जाकर देख लें और उसके बाद अगर कोई बात और रह गई हो जो न रेफर की गई हो, तो उसे नोटिस में ला दें उस पर मुनासिब कार्यवाही की जायगी ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले तो यह चाहता हूं कि आप के सामने इस सब बात की सफाई कर दूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं तो यह समझता हूं कि सफाई की जरूरत नहीं है । क्लेरिफिकेशन के लिये मौका दिया गया है, क्लेरिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो पूछ सकते हैं ।

श्री जे० पी० मिश्र—

आप मुझे अपनी बात कह लेने दें । मैं बहुत देर से अपना दिल सम्भाले बैठा हूं कृपया आप मेरी बात सुन लें । वह यह है कि शायद माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके दिमाग में यह बात जगह कर गई है कि उतने ही उधर के माननीय सदस्यों को इसकी तकलीफ है और बाकी

[श्री जे० पी० मिश्र]

को नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्यों और सरकार को इस बात का खेद है। न्याय मंत्री जी ने कल जिस समय यह प्रश्न यहां पर उपस्थित किया तो उन्होंने बड़ी गम्भीरता के साथ उस बात को कहा है। मैं आपको पूर्णरूप से विश्वास दिलाता हूं कि सरकार भी इस मामले में किसी तरह से उलझ पड़ने के लिये तैयार नहीं है। जो वाकया है उसकी जांच होगी और निश्चय रूप से कांस्टेबिल या सब इंस्पेक्टर को डिफेन्ड करने के लिये सरकार का कोई मंशा नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस केस को इस तरह से क्वेश्चन करके बिगाड़ने की चेष्टा न करें। इस तरह से क्वेश्चन करा कर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के दिमाग में यह केस बिगाड़ा जा रहा है। इस तरह के प्रश्न पुट अप करने से कोई नतीजा नहीं होगा। हमारी पूरी हमदर्दी है। माननीय सदस्य के साथ मारपीट हुई है। उनका अपमान हुआ है। जिस किस्म की रिपोर्ट आई है....

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि अभी मैंने शुरू में यह डिक्लेयर किया था कि इस पर विवाद नहीं होगा। माननीय मंत्री जी जो डिक्लेरेशन देंगे या सरकार की तरफ से जो बयान आयेगा उस काम को आप कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ कुछ स्पष्टीकरण का सवाल था। अगर आप भी इस तरह से पूछना चाहते हैं तो अपोजीशन में आयें, तो वह रोल पूरा किया जाय। आप यदि खड़े हुये हैं तो आपके लिये क्या यह जस्टिफाइड है कि आप क्लेरिफिकेशन करें? आप जो जानना चाहते हों वह पूंछ सकते हैं।

श्री जे० पी० मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी यह बात स्पष्ट करेंगे कि सी० आई० डी० के जरिये से जो तहकीकात कराने की बात कही गयी है, उसमें किसी सीनियरमोस्ट सी० आई० डी० अफसर को डिप्यूट किया गया है या छोटे-मोटे कर्मचारी को डिप्यूट किया गया है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अधिष्ठाता—

अगर आप ऐसा बढ़िया सवाल पहले पूछते तो हम आपको पहले ही एलाउ कर देते।

श्री सैयद अली जहीर—

बहरहाल इस स्टेज पर मैं यह नहीं जानता कि कौन अफसर मुकर्रर किया गया है, फिर भी यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का ताल्लुक है मैं यह समझता हूं कि यह एक नामुनासिब कार्यवाही हुई है, गलत बात हुई है। उसके लिये कानून के अन्दर जो काम फौरन करना था वह तो कर दिया गया है और उसके बाद अब इंक्वायरी हो रही है और जिसकी उसमें गलती पाई जायेगी उसके लिये जो मुनासिब सजा होगी वह उसको दी जायेगी। यह मैं पहले कह चुका हूं और अब फिर दोहराता हूं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुये वहां पर जो सी० आई० डी० के अधिकारी मुकर्रर होंगे जांच करने के लिये वह सीनियर अफसर होंगे और कोई मामूली अधिकारी नहीं होगा, जिससे इस मामले की वास्तविकता में पहुंचा जा सके ?

श्री सैयद अली जहीर—

बहरहाल मैं इसके मुताबिक कोई आश्वाशन नहीं दे सकता। यह जाहिर है कि इसकी इंक्वायरी होगी और सही होगी और उसके हर पहलू पर गौर किया जायगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

वह कौन अधिकारी है जिनको मुकर्रर किया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—
मैं इतना ही कह सकता हूं कि सही तरीके से जांच होगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
जो माननीय गेंदा सिंह जी ने प्रश्न उपस्थित किया है वह एक मूल प्रश्न है और उसके बारे में आपकी व्यवस्था होनी चाहिये । मैं आपका ध्यान नियम ६९ की तरफ दिलाना चाहता हूं जब कोई मामला विशेषाधिकार समिति को अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करते हैं, तो श्री न्, उस मामले को निर्दिष्ट करते समय वे निश्चित आदेश देते हैं कि अमुक-अमुक मामलों पर यह विशेषाधिकार समिति अपनी जांच करेगी और इन-इन के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी । इसके सम्बन्ध में नियम ६९ पढ़ देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—
उसे मैं पढ़ लूंगा । आप जो कहना चाहते हैं वह कहें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
उसमें है जब अध्यक्ष नियम ६७ के प्रथम भाग में उक्त रीति से अतिरिक्त व्याख्या मांग लेने के बाद, शिकायत को उपर्युक्त नियम के पश्चाद्वर्ती भाग के अन्तर्गत नियमानुकूल ठहरायें तो वे उस विषय को जांच अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकेंगे या यदि उनकी यह राय हो कि विषय ऐसा है, जो सदन द्वारा निस्तीर्ण किया जा सकता है तो वे शिकायत करने वाले सदस्य से यह प्रस्ताव करने के लिये कह सकेंगे कि विषय पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाय । श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि अध्यक्ष महोदय के जो आदेश हों अगर आप उन्हें पढ़कर सुना दें तो उससे बड़ी सफाई हो जायगी कि क्या-क्या मामले जांचने के लिये भेज दिये गये हैं या अन्य किसी प्रकार के निर्देश हैं । अधिष्ठाता महोदय, जो प्रश्न माननीय गेंदा सिंह जी ने किया है उस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं और इस पर आप अपनी निश्चित व्यवस्था दें । इस में दो सवाल हैं—एक तो विशेषाधिकार समिति के क्या फंक्शन्स हैं.....

श्री अधिष्ठाता—
आप बैठ जायं । क्या आप इस पर विवाद कर रहे हैं ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
श्रीमन्, मैं अपनी सफाई दे रहा हूं ताकि इस पर आप अपनी व्यवस्था दे सकें ।

श्री जे० पी० मिश्र—
क्या यह स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है ?

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—
मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर पर बोल रहा हूं । वह बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री जे० पी० मिश्र—
माननीय पांडेय जी स्पष्टीकरण मांग रहे हैं ? मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री अधिष्ठाता—
माननीय मिश्र जी, आपको जरा गंभीर होना चाहिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर आपके सामने रख रहा हूं ।

श्री बैजनाथसिंह बैस—

मेरे एक प्रश्न पर आपने कहा था कि इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता और अब वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं इस पर मुझे बड़ा दुख है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा प्वांइंट आफ आर्डर नियमों के सम्बन्ध में है । मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी निश्चित व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी गेंदासिंह जी ने यही प्रश्न उठाया था और उनसे मैंने कहा था कि वे प्रोसीडिंग्स देख लें । समिति के लिये टर्म्स आफ रिफरेन्स प्रोसीडिंग्स से ही भेजे जायेंगे । अगर उसमें आपको कोई बात न मिले तो आप उसे नोटिस में ले आवें । आपके लिये भी मैं यही कहूंगा कि आप प्रोसीडिंग्स देख लें और उसके बाद फिर बोलें । इन बातों में सदन का समय नष्ट करना उचित न होगा ।

अब यह प्रश्न समाप्त होता है और अब विधेयक पर वाद-विवाद शुरू होगा ।

श्री कल्पनाथसिंह—

एक निवेदन था अधिष्ठाता महोदय । जब यह सवाल आया पुनः स्टेटमेंट के लिये तो उसके पहले गेंदासिंह जी ने यह प्वाइंट उठाया था कि आपकी तरफ से यह क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिये कि इसके टर्म्स आफ रिफ्रेन्स क्या हैं कि जो प्रिविलेज समिति को भेजे गये हैं, ताकि उस सवाल पर स्टेटमेंट दिलाने में और माननीय सदस्यों से क्लैरिफिकेशन कराने में आपको कुछ सुविधा हो जाय । इसलिये पुनः मेरा आप से निवेदन है कि आप इस प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दें ।

(इस समय कुछ प्रेस प्रतिनिधि न्याय मंत्री के पास वक्तव्य की प्रतियां लेने के लिये गये ।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, यह शोभा नहीं देता । (व्यवधान) अगर ऐसी बात है तो क्या सदन स्थगित कर दिया जाय थोड़ी देर के लिये ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

यह तो आपका कन्टेम्ट है । इस तरह वह दौड़ कर दे रहे हैं ....

श्री अधिष्ठाता—

मैं संवाददाताओं से भी प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा आप लोगों को भी इस मामले में गम्भीर होना चाहिये ।

उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३—(क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—

अब विवाद शुरू होता है विधेयक पर । माननीय मिश्र जी, आप बोलना चाहेंगे ?

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

अगर आप आज्ञा देंगे तो । कितना टाइम देंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

इसमें टाइम का सवाल नहीं है ।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं ५, ७ मिनट लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

मेहरबानी आपकी ।

श्री जे० पी० मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, जब आप मेरी तरफ देखेंगे तभी मैं बोलूंगा, श्रीमन् ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या जरूरी है कि मैं आपकी तरफ देखूं ?

श्री जे० पी० मिश्र—

आपको सम्बोधित करके ही मुझे कहना है । मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, थोड़े में ही खत्म कर दूंगा ।

श्रीमन्, कल से जिस किस्म का वाद-विवाद चल रहा है, उसको हम तमाम सदस्यों को सुनने का अवसर मिला । मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, वरन् थोड़ा बहुत आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के सदस्यों का आखिर लक्ष्य क्या है ? आज दो महीने से यह बजट सेशन चल रहा है और मुझे सख्त अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय विरोधी दल के नेताओं और सदस्यों ने सरकार के सामने कोई इस किस्म के ठोस सुझाव नहीं पेश किये कि जिससे यह सरकार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का संचालन कर सकती और .....

श्री अधिष्ठाता—

आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप कुछ सुझाव दें ।

श्री जे० पी० मिश्र—

अगर आप समय देंगे तो मैं वह सब कहूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और उसकी जनसंख्या १९३० को देखते हुये १९६२ की मर्दुमशुमारी के अनुसार आप देखें कि उसमें कितना बड़ा अन्तर हुआ है । हमारे प्रदेश की कितनी जटिल समस्यायें हैं । यह और प्रदेशों के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ भी है । हमको इस बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये इस को सेल्फ सफिशिएन्ट बनाना है । मैं समझता हूं कि सारा सदन इस भावना से सहमत है कि इस को हमको आगे ले चलना है । इस तेजी से आगे ले चलना है कि इस प्रदेश का एक भी बच्चा भूखा न रह सके । यह पवित्र भावना इस सरकार के सामने है । सबसे पहला सवाल तो हमारे सामने यह है कि इस प्रदेश को भुखमरी से बचाने के लिये गरीबी से बचाने के लिये, बेकारी से बचाने के लिये, अशिक्षा को दूर करने के लिये, क्या-क्या साधन सम्भव है ? यदि आप ऐसा कहें कि हम ऐसा नहीं चाहते, तो यह आपकी गलतफहमी ही होगी । कांग्रेस पार्टी को टैक्सेशन के विषय में मजबूर हो कर उस मार्ग को अपनाना पड़ता है । हम इस तरीके से चलते हैं, इस प्रकार से विचार करते हैं, क्योंकि हम यह समझते हैं कि प्रदेश को आगे प्रगति के मार्ग पर ले चलने की हमारी पार्टी की जिम्मेदारी है । इस लिये इस प्रदेश में सरकार को चलाने के लिये हमको गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ता है कि सरकार ने जो यह लक्ष्य रखा है और जो वह कर लगा रही है, उस नीति के सम्बन्ध में हम अपनी क्या आवाज उठायें । किस प्रकार की सरकार को सलाह दें और किस किस्म की बहस में हिस्सा लें, ताकि सरकार को कुछ सहायता मिले ।

मैं इस सम्बन्ध में एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं और वह यह कि आपकी तरफ से यह कहा जाता है कि चीनी हमलावर है, कभी आप कहते हैं कि इमरजेन्सी की स्थिति है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह आपका 'आप से' से क्या मतलब है ?

श्री जे० पी० मिश्र—

"आप से" से मेरा मतलब जो सामने बैठे हैं, उनसे है । 'आप से' का मतलब मेरा आप से नहीं है । आपको तो मैं अधिष्ठाता महोदय ही कहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आपने मुझसे सामने देखने को कहा था इसलिये मैंने कहा ।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि आज इमरजेन्सी है या नहीं है, इस प्रश्न पर काफी इस देश और प्रदेश में वाद-विवाद हो चुका है और जिसको जनता ने माना है कि इमरजेन्सी है । अच्छा, इमरजेंसी है, प्रान्तीय रक्षा दल का संगठन, होमगार्ड्स का संगठन, पुलिस का संगठन, सड़कों और पुलों का बनाना, फौजी सिपाहियों के लिये दवादारू का प्रबन्ध । अब इसके लिये धन लेने से क्या कांग्रेस पार्टी ताकतवर बनेगी ? बाबू भगवान सहाय ने चार्ज लगाया कि कांग्रेस अपने पार्टी हित के लिये इमरजेंसी का प्रयोग कर रही है । तो क्या पार्टी के लिये हमने क्लोरोफार्म ले लिया है, बैंडेज अपने गले बंधाया है, या आपरेशन में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अपना गला काटने के लिये ही हमने अपना लिया है ? क्या फायदा हमको इमारजेंसी से होगा और सरकार और यह पार्टी कैसे इमरजेंसी से फायदा उठायेगी ? फिर कहते हैं कि चीन को हिन्दुस्तान की सर-जमीन से निकालो। इसमें दो राय नहीं है। मानवीय विरोधी दल के सदस्यों की भी, कांग्रेस पार्टी की भी, सरकार की भी, प्रदेश की भी, प्रदेश की जनता की भी और देश की जनता की यही भावना भी है । मैं नहीं समझ पाता कि क्या इस माइक्रोफोन से हम चीनी आक्रमण को हिमालय के उस पार फेंक सकेंगे, हिन्दुस्तान की सरजमीन के बाहर कर सकेंगे ? कैसे होगा ? बड़ा गम्भीर प्रश्न है विरोध करने के लिये तो अगर आप इजाजत दें तो मैं साढ़े १० बजे से लेकर दूसरे दिन के साढ़े १० बजे तक विरोध, विरोध, विरोध की बातें कहता रहूं, लेकिन सुझाव का प्रश्न है । सरकार इन परिस्थितियों में क्या करें ? क्या होना चाहिये ? माननीय वित्त मंत्री महोदय का अखबार में एक कार्टून छपा था और जब मेरी आंखों के सामने सुबह वह कार्टून आया तो मैं आपको क्या बताऊं मुझे वित्त मंत्री जी पर कितना तरस आया। वित्त मंत्री जी एक रस्सी के ऊपर कदम-कदम चले जा रहे थे । दूसरी जगह एक कार्टून में लिखा था नो टैक्स, नो लोन्स, नो एकोनामी । माननीय वित्तमंत्री दिल्ली में गये तब, जब यहां कहा तब, चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि अब हमारी टैक्सेशन की कैपेसिटी करीब-करीब अन्त तक पहुंच चुकी है । तो माननीय वित्त मंत्री या माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार क्या खुश है कि किसी पर एक पैसा भी टैक्स लगाया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

तो मिश्र जी, क्या आपका कहना यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी इसके खिलाफ हैं ?

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं आपको साफ साफ बता दूं । माननीय वित्त मंत्री जी इसके कतई माफिक हैं, लेकिन अपनी मजबूरियां हैं । ईमानदारी की बात है । कांग्रेस के एक प्रतिष्ठित नेता होने के नाते, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कर्णधार के नाते उन्होंने एक सलाह दी । वित्त मंत्री वे यहां हैं, बाहर भी हैं, लेकिन एक आर्गनाइज्ड संस्था के कर्णधार के नाते वे कोई मशविरा दें और वह सलाह खिलाफ है या मुआफिक टैक्सेशन के यह प्रश्न नहीं है, प्रश्न केवल यह है कि हमारी सरकार के सामने इस किस्म की मजबूरियां हैं कि इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये, इस प्रदेश से बेकारी, भुखमरी और बेरोजगारी तथा अशिक्षा को दूर करने के लिये, इमरजेंसी की तैयारियों के लिये ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं कि एक एक पाई संचय करके, थोड़ा-थोड़ा लेकर बड़ा धन संचय करके, इस प्रदेश के चारों तरफ खर्च करना और इमरजेंसी को मीट करना, यही मकसद है । कोई बड़ी खुशी नहीं है हमें या सरकार को । आप यह समझें कि आप ही जनता के हितू हैं, ऐसा नहीं है । सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी कांग्रेस का आब्जेक्टिव है, हमारा लक्ष्य है समाजवाद की स्थापना करना, लेकिन हम उस तरह के समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें देश में शान्ति स्थापित रहे । हमारा लक्ष्य ईमानदारी से सोशलिज्म की तरफ बढ़ना है । मैं एक कांग्रेस मैन के नाते, आपके माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सोशलिज्म की स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना होगा ।

मैं एक मोटी-सी मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मानलीजिये कि आपने टैक्सों को बढ़ा कर कामन मैन की अंतिम सीमा पर कर दिया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि फिर उसके बाद कौन-सा रास्ता होगा? आखिर ३--४--५ साल बाद आपको सोचना पड़ेगा कि उसके लिये और दूसरा रास्ता क्या है। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाय। कुछ समय के बाद आपके सामने कोई दूसरा आल्टरनेटिव नहीं होगा सिवाय इसके कि आप पब्लिक सेक्टर की तरफ बढ़ें क्योंकि आपको साधन जुटाने होंगे। चीन से लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, पाकिस्तान का रुख भी अपने देश के प्रति अच्छा नहीं है, ऐसी सूरत में आपको गम्भीरता के साथ विचार करना होगा कि हमारी आमदनी के श्रोत क्या हैं, कितने हैं, और किस प्रकार आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इस समाजवादी सरकार को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस तरफ सोचना पड़ेगा, बगैर इसके तेजी से समाजवाद की स्थापना हो ही नहीं सकती, यह मेरा अपना निजी विचार है और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनको सोचना पड़ेगा कि आगे ३--४ वर्षों के लिये हमारे पास आय के क्या श्रोत होंगे।

माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें। आपने हर विधेयक का विरोध किया, आपने हर ग्रान्ट का विरोध किया और कल तक यह सदन चलेगा, आप बराबर विरोध करेंगे, मगर आपके सुझाव क्या हैं? अगर सब टैक्स खत्म कर दिये जायं, सर्विसेज को खत्म कर दिया जाय क्योंकि उसके भी आप विरोधी हैं, तो यह प्रदेश कैसे चलेगा, अशिक्षा कैसे दूर होगी, बेकारी कैसे दूर होगी, सड़कें कैसे बनेंगी, इमरजेन्सी को कैसे मोट किया जायेगा, प्रदेश की और जरूरतों को कैसे पूरा किया जायेगा? कहां से, कौन-सी जमुना की धारा है जहां से वह द्रव्य आयेगा जिससे प्रदेश का कल्याण होगा? भले ही आप विरोध करके अपने क्षेत्र में यह वाहवाही लूट लें कि हमने डट कर विरोध किया, मगर यह आपका रचनात्मक विरोध नहीं कहलायेगा, विध्वन्सात्मक विरोध होगा, जो देश के लिये घातक होगा। एक कल्याणकारी राज्य के लिए विध्वन्सात्मक नीति बड़ी घातक होती है, यह मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना और निवेदन करूंगा कि जिस तरह से इस प्रदेश की सरकार ने कार्य-क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से गरीब जनता का और किसानों का हित किया है और रोज-ब-रोज कर रही है, उसको जनता जानती है। सरकार ने जो पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं के कदम उठाये हैं वह तभी पूरे हो सकते हैं जबकि सरकार के पास उसके लिए पैसा हो। यह तो आप कह सकते हैं कि कामन मैन का पैसा कामन मैन पर खर्च हो, एक-एक पाई की एकानामी की जाय और यह चीज कांग्रेस पार्टी भी चाहती है और यह सरकार भी इसका प्रयत्न करती है कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जनता के हित में ही व्यय हो। क्या आप यह सोचते हैं कि आप ही जनता के ठेकेदार हैं और यह प्रदेशीय सरकार और कांग्रेस पार्टी उसकी विरोधी है? कांग्रेस पार्टी और उसकी यह सरकार ज्यादा तेजी से कामन मैन की बात सोचती है, उसकी भलाई करती है, क्योंकि हम उनसे पैसा लेते हैं और उन पर खर्च करते हैं। आप तो केवल आलोचना करते हैं और विध्वन्सात्मक आलोचना करते हैं। उसका परिणाम क्या होगा इससे आप को कोई मतलब नहीं है। कैबीनेट लम्बी चौड़ी है, खर्चा ज्यादा है, नौकरशाही बेकार है, इसको बरखास्त कर देना चाहिये यह २०६ करोड़ रुपया आपके सुपुर्द नहीं किया जा सकता।

श्री अधिष्ठाता--

७ मिनट हो गये हैं और मैं देख रहा हूं कि आप के वे ७ मिनट कब होते हैं।

श्री जे० पी० मिश्र--

आधा मिनट और लूंगा। मैं आपके द्वारा माननीय विरोधी दल के नेताओं से और माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि यहां तो जो भाषा आपने प्रयोग की, वह तो आपका प्रिविलेज ही था, लेकिन जब आप सदन के बाहर कदम रखें तो जनता के सामने केवल रचनात्मक

[श्री जे० पी० मिश्र]

बातें ही रखें। जनता को किसी भी प्रकार से भ्रम में डालने की कोशिश न करें क्योंकि उससे प्रदेश का अहित होगा। यह शिकायत मेरी जरूर रही कि विरोधी दल की ओर से कोई रचनात्मक सुझाव नहीं आये। अगर आगे भी इसी प्रकर से रहा तो आप में से बहुतों को सन् १९६७ में बहुत अफसोस होगा। जनता आपसे पूछेगी कि आपने यहां आकर क्या किया। आप वहां गये थे तो क्या-क्या कर आये। तब उनको पता चलेगा कि वे कुछ कमा कर नहीं लाये बल्कि गवां कर आये।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय सदस्य ने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया तथा सत्ताधारी दल की बड़ी खूबसूरती से वकालत की। मैं समझता हूं उसके लिये उनको धन्यवाद देना चाहिये, लेकिन आज के जमाने में किसी पार्टी की तरफ से वकालत करने का उसी को अधिकार है, और खासकर के सत्ताधारी दल के लिये, जो सही आलोचना करे। अगर आपने गलत काम करने की नीति को नहीं बदला तो मुल्क गड्ढे में चला जायगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार जहां सही करे उसके लिये तो वह धन्यवाद के लायक है, लेकिन जहां सरकार गलती करे वहां कदम-कदम पर उसकी आलोचना करने से ही देश की रक्षा होगी, देश मजबूत होगा और इस तरह से हमारा देश बचाया जा सकता है।

अभी हमारे माननीय सदस्य ने किसानों की दशा के बारे में कहा। यह सही है कि किसानों की दशा के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा यह हो सकता है कि उतनी जानकारी उनको न हो जो कि झोपड़ी में रहने वाले किसानों की दशा है। इसकी जानकारी तो उन्हीं को हो सकती है जिनका राजनीतिक जीवन किसानों की झोपड़ियों में और मजदूरों की बस्तियों में बीता हो। मुझे दुख है कि माननीय सदस्य बोलने के बाद हाउस के बाहर चले गये। अगर वे यहां रहते तो ज्यादा अच्छा होता। वे इस बात को भूल गये कि इसी सत्ताधारी दल की सरकार ने किसानों से वादा किया था कि ४० साल तक किसानों पर किसी प्रकार का कोई लगान बढ़ाया नहीं जायगा। इसी सरकार ने किसानों से बड़े-बड़े वादे किये थे, किसानों की बड़ी-बड़ी तस्वीरें प्रान्त भर में छपवाकर बटवायी थीं जिसमें किसान के सिर पर मुकुट लगा हुआ दिखलाया गया था, लेकिन यह सरकार अपने उस वादे से हट गयी और अपने वादे से हटने में उसे एक क्षण भी नहीं लगा। किसान के सिर से मुकुट को उसने उतार कर रख दिया और उसके ऊपर अन्य-अन्य लगान सरकार ने बढ़ा दिये। प्रदेश की सिंचाई योजना पर करीब एक अरब रुपया सरकार ने व्यय किया। एक तरफ तो इतनी भारी व्यय और दूसरी ओर गरीब किसानों पर सिंचाई दर करीब ७—८ गुनी और दस गुनी तक बढ़ा दी गयी। आज किसान टैक्स के बोझ से दबा हुआ है। जिससे उसका जिन्दा रहना भी मुश्किल है।

जहां तक राष्ट्रीय संकट की बात है, हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि चीन सिर्फ बातों से नहीं जायगा। मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि चीन आसानी से यहां से नहीं जायगा, यह सही है। राष्ट्रीय संकट है, इसको भी मैं महसूस करता हूं, लेकिन मैं माननीय सदस्य से और उनके सत्ताधारी दल से पूछना चाहता हूं कि क्या वे भी इस बात को महसूस करते हैं कि आज राष्ट्रीय संकट है और चीन हिन्दुस्तान की पवित्र भूमि से और हिमालय से इस तरह से नहीं भाग सकेगा? अभी चन्द दिनों की ताजी कहानी है कि दारुलशफा के मैदान में नाच व गाना हुआ। क्या आप यही अपना कर्तव्य समझते हैं कि इस राष्ट्रीय संकट के समय में जब एक तरफ से तो हिन्दुस्तान के लाखों जवान अपने देश व हिमालय की रक्षा में अपने सर का बलिदान करने को तैयार हैं तो दूसरी तरफ दारुलशफा में रंगरेलियां मचावें, नाच-गाना करें? क्या इसी तरह से देश की रक्षा हो सकती है? आज राष्ट्रीय संकट के जमाने में जब कि एक-एक पैसे की आवश्यकता है तो इस तरह के कामों पर पैसा खर्च करना कहां तक मुनासिब है? मैं कहता हूं कि इस राष्ट्रीय संकट के जमाने में हिन्दुस्तान की रक्षा की बहुत सी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार पर भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी

है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मैं यहां नहीं कहता क्योंकि उसके लिये कहा जायगा कि सूबे की सरकार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन आप बतलायें कि कौन-सा टैक्स है जिसको आपने छोड़ दिया है? सिंचाई टैक्स, मकान पर टैक्स, जमीन पर टैक्स, कोई भी तो टैक्स आप बतलायें जिसमें आपने लोगों को राहत दी हो? अगर आप आम जनता में चले जायं तो हर जगह रेल के सफर में, स्टेशनों पर कदम-कदम पर इसी बात की चर्चा है कि सरकार टैक्स पर टैक्स लगाती जा रही है और उसको टैक्स लगाने के सिवा और कोई धंधा ही नहीं है। इसके लिये आम जनता यहां तक कहती है कि अगर आप का काम सिर्फ यही है कि जनता पर टैक्स ही टैक्स लगावें तो अच्छा है कि आप इस्तीफा देकर चले आवें। मैं तो कहता हूं कि अगर माननीय सदस्य जनता के बीच में जाकर कहें कि हम तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो जायगी और उनको ५ वोट भी नहीं मिल पायेंगे, यह तय है।

आपकी जनता आज आजिज है और अगर आप ने उसकी हालत को अब भी नहीं समझा और आप टैक्स लगाते रहे तो वह दिन आ सकता है कि आप को इन अपने पदों से हाथ धोना पड़े। आज जो टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं वह जरा अपने दिल पर हाथ रख कर देखें और इस कौंसिल हाउस की दीवारों के बाहर जरा गन्दी गलियों में जायं, उन किसानों और मजदूरों की झोपड़ियों में जायं, मजदूरों के चौराहों पर जाकर उनकी शक्ल उनके दिल के आइने में देखें, बड़े शहरों में जहां बाजारों में बड़े लोग अच्छी से अच्छी मिठाई और पूरी खाकर पत्ते और दोने फेंकते हैं और वह जूठे पत्ते और दोने किस तरह से गरीब बच्चे, वह मासूम बच्चे, जिनकी खबर किसी ने नहीं ली है वह कुत्तों के साथ उन पर झपटते हैं और उनको चाटते हैं। यह हालत आज इस राज्य में जनता की है। फिर उस पर हर समय बिना कुछ समझे सोचे टैक्स बढ़ाने की बात होती है। जहां का इन्सान अपने को उन जूठे पत्तों को चाटकर खुशनसीब समझता हो उस प्रदेश की हुकूमत को वहां की जनता पर टैक्स लगाने का क्या अधिकार है? अगर आप ईमानदारी से देखें तो हमारे प्रदेश के बहुत से मंत्री आज सरकिट हाउस के भगवान बने हुये हैं, भगवान का दरवाजा तो भक्तों के लिये आसानी से खुल सकता है, लेकिन इन सरकिट हाउस के भगवानों का दरवाजा बहुत मुश्किल से खुलता है। उनको, सरकिट हाउस के बाहर क्या होता है यह नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम कि गरीब के घर में रोटी पकती है या नहीं, गरीब का बच्चा बिना दवा के कैसे छटपटा कर प्राण त्याग देता है, कैसे भूख से गरीब कराह रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि कौन किस तरह से मेहनत करने के बाद भी रोटी कपड़ा आज मोहय्या नहीं कर पा रहा है। दारुलशफा के बगीचे में आनन्द होते हैं और बड़े रंग व जश्न होते हैं और भुला दिया जाता है कि जिसका प्रतिनिधित्व हम करते हैं उसकी हालत आज क्या हो गई है। एक सिपाही है उसने अपनी गरीबी से तन पेट काट कर किसी तरह से अपने लड़के को एम० ए० पास कराया, लेकिन आज ३ साल हो गये उसके बच्चे को कहीं भी उसकी बदनसीबी से कोई रोजगार नहीं मिला। अगर कोई गरीब सिपाही अपने इकलौते बेटे को किसी तरह से एम० ए० तक पढ़ाये और वह अपनी सारी उम्मीदें और आशायें सब कुछ उस पर लगाने के बाद भी काम न पा सके जब कि ३ साल हो गये. आज तक उस नौजवान एम० ए० पास को यह सरकार नौकरी नहीं दे सकी इसलिये कि वह एक गरीब सिपाही का बेटा है। मैं जानना चाहता हूं कि कोई मंत्री, उपमंत्री या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ऐसे हैं कि जिसके बच्चे ने एम० ए० पास किया हो और वह ३ साल से इस तरह से बेकार बैठा हो? उनको नये-नये दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ते, उनको घर बैठे नौकरी मिलती है, उनको बुलाया जाता है और सिफारिश कर दी जाती है। क्या इसी तरह से जनता में सुख शांति की स्थापना हो सकती है? अब इस तरह से गरीबों के लिये खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, पेट भरने को रोजगार रहने को मकान नहीं मिलेगा तो किस तरह से आप कह सकते हैं कि हम एक जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना में लगे हुये हैं?

आप यहां आज फिर यह टैक्सेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि हमेशा अदालतों में वो लोग ही गरीबों के खिलाफ मुकदमें लाते हैं, जो उन गरीबों का शोषण करते हैं और उनका खून

[श्री लखपतराम शर्मा]

चूसते हैं वही उनके खिलाफ अदालतों में जाकर डिग्रियां लेते हैं और उनका सर्वस्व नीलाम कराते हैं। जिनका कचहरी में जाने का तजुर्बा है वह जानते होंगे कि किस तरह से यह बड़े लोग गरीबों को थोड़ा पैसा देकर, किसी को ५० रुपया ब्याज पर दे दिया तो उसका खानदान बेटे पोते तक वह कर्जा चलेगा और ब्याज पर ब्याज और सूद पर सूद जुड़ता चला जायगा और कभी भी वह गरीब एक बार फंसने के बाद उस पूंजीपति से छुटकारा नहीं पा सकता। पहले सवा रुपया दरख्वास्त पर लगता था और उसके अलावा इतना मुंशी को इतना वकील को---अलग खर्च होता था। यह भी छिपा नहीं है किसी से कि आजकल कचहरियों में किस तरह से धन्धा चलता है। कौन नहीं जानता कि यू० पी० की अदालतों में किस तरह से बाकायदा वकील लोग गरीब मोवक्किलों को सब चीज का बिल देते हैं कि इतना दफ्तर का, इतना पेशकार का, इतना मुंशी का। अगर सवा का एक रुपया कर दिया जाता तो कुछ समझ में आ सकता था, लेकिन आप ने सारी व्यवस्था को उलझा दिया है और आप गरीबों पर तरह-तरह से बोझ बढ़ाते जाते हैं, छोटा वर्ग आज बहुत परेशान है। उसकी क्षमता नहीं रह गई है कि वह अदालत के दरवाजे खटखटा सकें और उसका नतीजा यह है कि उस पर अत्याचार होता है और वह सहन करता है, मिटता है।

आज से १५ साल पूर्व से बराबर अनेक बार हमारे देश के प्रधान मंत्री ने कहा कि हम अपने देश में न्याय को सस्ता करना चाहते हैं और बात सही है, अगर न्याय सस्ता नहीं होगा तो अराजकता फैलेगी और हुकूमत ठीक से काम न कर सकेगी। आपके यहां उसके विरुद्ध आज न्याय चौगुना महंगा होता जाता है। सस्ता न्याय तो आप से पहले के जमाने में ही था। हमारे यहां चरखारी राज्य में एक दीवान थे सैयद मोईनउद्दीन जिन्होंने कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री, पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त पर लाठीचार्ज करवाया था, वह कचहरी में बैठे थे, वहां के कुछ लोग गधों पर ईंट लाद जा रहे थे, वजन गधों पर बहुत अधिक था और कचहरी के सामने गधे ने जाकर वहां ईंटें पटक कर चिल्लाना शुरू कर दिया और यह सब सुन कर दीवान साहब बाहर आये और उन्होंने कहा यह गधा यहां से आगे नहीं जाता और शिकायत कर रहा है कि इसके साथ ज्यादती हो रही है और ईंट इतनी ज्यादा थीं कि दो गधे लायक बोझ था। यह इनसाफ था। इसी प्रकार दो औरतों में एक बच्चे के लिये झगड़ा हुआ, एक कहती थी मेरा है दूसरी कहती थी मेरा है। राजा ने कहा तलवार से इस बच्चे के दो टुकड़े करके बांट दो। तो जो सचमुच में मां थी उस ने कहा मेरे बच्चे को मारो नहीं चाहे इसे ही दे दो। इस तरह का अगर आज मामला हो तो क्या उन्हें न्याय मिल सकता है?

झांसी की रानी ने जब ग्वालियर जीता तो वहां की जनता तथा फौज भांग, ठंडाई, नाच, गाने में मशगूल हो गई। रानी ने कहा अंग्रेज को इतने कमजोर न समझो, वह यहां भी आ सकता है और ग्वालियर को जीत सकता है, इसलिये फौज की तैयारी करो। लेकिन उनकी बात जनता व नए शासक ने नहीं सुनी जिसका नतीजा हुआ कि ग्वालियर को भी अंग्रेजों ने जीत लिया। आज संकट के समय क्या आवश्यक है कि नाच, गाने और स्टेज पर हजारों रुपया आप खर्चा करें। उसको बचाइये और कमी को पूरा कीजिये, कोई जरूरत नहीं गरीब पर टैक्स लगाने की। जिस नाम पर आप जनता से रुपया लेते हैं अगर जनता को विश्वास हो कि उसी पर खर्च होगा तो किसी को कोई शिकायत नहीं, लेकिन ऐसा होता कहां है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यह सुन कर जब यहां मुख्य मंत्री ने कहा कि भूतपूर्व सत्ताधारी दल के एक विधायक पर ४ गबन के मुकदमे चल रहे हैं सरकार उनको वापस लेने पर विचार कर रही है। मुकदमा अदालत के अन्दर, चार्ज शीट मौजूद, मुल्जिम गिरफ्तार और सरकार उसको वापस ले रही है। क्यों? इसलिये कि वह सत्ताधारी दल के हैं। क्या यही सरकार की जिम्मेदारी है? होना तो यह चाहिये कि आप को अपने आदमियों को १ साल के बजाय १० साल की सजा दिलानी चाहिये अगर वह दोषी हैं, ताकि जनता पर उसका असर पड़े। मेरे यहां म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ झांसी पुलिस स्टेशन पर मुकदमा गबन का प्रान्तीय सी० आई० डी० द्वारा दर्ज कराया गया, लोग सिफारिश लेकर आये हैं कि मुकदमा नहीं चलने देंगे, वापस करा देंगे। अगर आपको ऐसा ही करना है तो कुर्सी छोड़ दें न्याय का यह तकाजा है।

आपने कितने करोड़पतियों को जेल की सजा दी, गिरफ्तारी की, कुर्की की ? किसी की नहीं। लेकिन गरीब आदमी ही जुल्म का शिकार होता है। जिन्होंने बड़े-बड़े मन्दिर, मस्जिद, ताजमहल, लाल किला और यह भवन बनाया उनका कोई नाम नहीं लेता है, बल्कि बादशाह का नाम लिया जाता है, बनवाने वाले का नाम लिया जाता है चूंकि वह गरीब नहीं होता। गरीब पर आप शौक से टैक्स लगाइये उसका नतीजा आप स्वयं कुछ समय बाद चुनाव में पायेंगे। आज हमारा प्रदेश सब से ज्यादा खतरे में है. ऐसे समय में जनता के मनोबल को ऊंचा रखना है, उसको संतुष्ट रखना है, न कि नाराज रखना है।

आज सुबह राइफल क्लब के बारे में सवाल आया। लखनऊ में कारतूस खरीदे गये और लोगों को सैकड़ों व हजारों की तादाद में दिये गये, जब कि और जिले में २५ से ज्यादा किसी को नहीं दिये गये। क्या इसी प्रकार से रक्षा होगी ? जिस देश का चरित्र खत्म होने लगता है उसको आप कितने दिन जिन्दा रख सकेंगे। अतः ऊपर से सुधार की जरूरत है, नीचे से नहीं। आज अगर आप दरोगा या कांस्टेबिल को न निकाल कर डी० आई० जी० को किसी अपराध में निकाल दें तो उसका ज्यादा असर आम जनता पर पड़ेगा। आप को गरीब की परेशानी का क्या पता ? आप को अगर दूध, दही की जरूरत होती है तो मोटर जाती है। ठीक है आपके हाथ में सत्ता है जो चाहें करें। लेकिन जनता सब देखती समझती है और चुनाव में इसका जवाब देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अब की चुनाव में विरोधी पार्टी के लोग उधर बैठेंगे और उधर के लोग इधर आयेंगे, अगर यही सरकार का रवैया रहा तो। आप मनमानी करने का नतीजा भोग रहे हैं फिर भी आप की आंख नहीं खुलती। आप देख लें कि १९६२ के पहले विरोधी कितने थे और आज कितने हैं। अतः अब भी आप सम्भलें। ऐसे कानून बनायें जिससे गरीब परेशान न हो। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता पूछती है कि हमारी भलाई के लिये क्या किया। और जब हम उसको बताते हैं कि सरकार ने तुम्हारी भलाई के लिये यह किया कि तुम पर और टैक्स लगा दिये तो वह हमसे घृणा करती है। कांग्रेस के सदस्य भी बेचारे इस डर से कि पार्टी से न निकाल दिये जायं अपनी सही भावना नहीं जाहिर कर पाते। आप भूल जाते हैं कि जनता को आशा थी कि आप उसकी भलाई करेंगे, लेकिन कर उसके विपरीत रहे हैं।

आपने कानून बना दिया, अध्यक्ष महोदय ने कहा हमसे मतलब नहीं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मतलब है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा सुनारों ने खुदकुशी कर ली। लेकिन मुख्य मंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी कि केन्द्र से कहें कि इस कानून से हजारों लाखों सुनार बेकार हो चुके हैं। मैं अपने झांसी की बात बताता हूं कि जिस सराफे में रानी के समय में चहल-पहल रहती थी आज वहां के सुनार वही बड़े और मंगोड़े बेचते हैं। आप सोचते नहीं इसका किस पर क्या असर पड़ेगा। सोचते इसलिये नहीं कि आप कानून बनाने के बाद अपनी कोठी में चले जाते हैं। लेकिन सदस्य जो अपने क्षेत्र में जाते हैं उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इसका आप खयाल नहीं कर सकते।

आप को पैसे की बहुत जरूरत है, हम भी चाहते हैं आप पैसा लें, लेकिन उसका सदुपयोग तो होना चाहिये। उस दशा में आप खून भी ले लीजिये। चीन के आक्रमण से देश पर राष्ट्रीय संकट आया। भारतवर्ष के अन्दर इतनी बड़ी एक आवाज देश के इतिहास में कभी नहीं हुई जो चीन के आक्रमण के बाद यहां हुई। उस जोश को, संगठन को खत्म करने की जिम्मेदारी किस पर है इसके लिये माननीय मंत्री एक आफिसियल इंक्वायरी बिठला दें। राष्ट्रीय संकट के नाम से जब करोड़ों रुपये वसूल किये गये उसमें भी चरित्र पतन की बातें हुईं। बहुत से लोगों ने रुपया बनाया यह आम चर्चा रही है।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

आप यह टैक्स लगा रहे हैं और उसके बाद हमारा पैसा आपके हाथ में चला जायगा। चाहे आप दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें आपको सब कुछ जां है। मैं एक नजीर रखूं कि रायगढ़ में एक फैक्टरी है जहां जूस बनाया जाता है। ८ लाख रुपये के करीब का सामान खराब

[श्री लखपतराम शर्मा]

गया। माल बनता गया, लेकिन बेचने का कोई इन्तजाम नहीं हुआ। लखनऊ की फैक्टरी की शिकायत इस बात की हुई कि उसमें कुछ गोलमाल है और मार्च, १९६२ के अन्दर फैक्टरी बन्द थी। उसमें आग लग गयी और आग लगने पर सिर्फ हिसाब-किताब जला और कोई चीज नहीं जली। कितने लोगों को मुअत्तल किया गया ?

झांसी में कोतवाली बनाई गयी जिसके अन्दर अपराधी रखे जायं। इमारत का बनाने वाला यदि अपराध करे और देश के पैसे के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे हथकड़ी डाल कर वहां क्यों नहीं रखा गया ? तीन साल कोतवाली को बने नहीं हुए, ३ लाख की इमारत के अन्दर दीवारें कटने लगीं और ऊपर से पानी डालो तो नीचे आ जाता है। पी० डब्ल्यू० डी० की देखरेख में वह बनी। आपने क्या किया ? बड़ा आदमी कोई अपराध कर ले तो सब माफ है। गरीब कोई गलती करे तो उसको हैंग कर दिया जाय क्योंकि कोई सिफारिश नहीं है।

माननीय मंत्री जी, आपने जो टैक्सेज लगाये हैं उसके लिये आप मजबूर हैं। आपका सम्बन्ध उस दल से है जिसमें आपको भी अनुशासन का उतना ही भय है जितना औरों को है। इसके पहले जब किसानों पर टैक्स लगाने की बात आई थी तो ७५ कांग्रेसी सदस्यों ने कहा था कि यह टैक्स नहीं लगना चाहिये। दल ने उनका विरोध किया था। आप एक तरफ किसानों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं चाहे वह कितना ही भूखा, नंगा व गरीब क्यों न हो। लेकिन अब और टैक्स के बाद उनकी हालत इतनी बदतर हो जायगी कि जिन्दा रहने पर भी वह मरा हुआ हो जायगा। हुकूमत करने का उसे अधिकार है जो गरीब और अमीर को एक रूप में देखे। इंसाफ इतना सस्ता रहना चाहिये कि गरीब और अमीर दोनों को मिल सके। लेकिन इतने टैक्स आप लगाये जा रहे हैं कि उसका असर देहात और शहर दोनों पर खराब पड़ेगा। जब चीन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र ने हमारे देश पर हमला किया है और हमारे देश की पवित्र जमीन वह अपने कब्जे में कर चुका है तो जरूरत इस बात की है कि देश के मनोबल को ऊंचा किया जाय, संगठन को मजबूत किया जाय, न कि देश को नाच-रंग में मशगूल कर दो। जब कि राष्ट्रीय संकट छाया हुआ है तो यह शोभा नहीं देता कि आप प्रदेश के मजदूर को नाच-रंग के लिये, शराब पीने के लिये प्रोत्साहन दें। उसके बीबी तथा बच्चों की जिम्मेदारी भी उस पर है। सैकड़ों और हजारों परिवारों की रोटी बन्द हो गयी है चूंकि मजदूर आज फैक्टरी से आता है तो पहले शराब पीना शुरू कर देता है उसके बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं और बीबी बिला वस्त्र के नंगी रह रही है। देश के मनोबल को क्या इस तरह से आप ऊंचा करेंगे ?

लेकिन आपको पैसा चाहिये। आपने एक ऐसी दूकान खोल रखी है कि जो चाहे खराब से खराब काम हो, लेकिन पैसा किसी तरह से चला आये। जब आपने इतने नीचे स्तर पर दुकानदारी शुरू कर दी तो देश की रक्षा कैसे होगी, चीन के हमले से मुल्क को कैसे बचायेंगे ? इन टैक्सेज से लाखों करोड़ों रुपये लेने के बाद लखनऊ में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गड्ढे खुदवाये गये। जरा मंत्री जी उन गढ्ढों को जाकर देखें कि अगर चीन से मुकाबला हो तो कितने लोग उसमें छिप सकेंगे जो रक्षा के नाम पर आपने बनवाये हैं। आज प्रदेश के अन्दर सब कुछ हो सकता है सत्ताधारी दल के होने के कारण। आज बड़े से बड़े अपराध में भी सिफारिश के ऊपर सब कुछ हो सकता है। मैं तो बुन्देलखन्ड, एक छोटी-सी जगह का रहने वाला हूं, आपके यहां तो बनारसी बाग है। वहां प्रदेश के और बाहर से आये हुए लोग जाकर फंस जाते हैं। और यहां सदन में बनारसी दास जी हैं जिनसे लोग उलझ जाते हैं। तो न यहां छुटकारा न वहां छुटकारा। कोई कैसा भी काम हो सिफारिश चाहिये। किसी के खिलाफ गबन का केस हो अगर वह सत्ताधारी दल का है तो मुकदमा नहीं चलायेंगे। अगर इस तरह से आपको अपराधियों की रक्षा करनी है तो खत्म कर दीजिये कांग्रेस पार्टी को, देश के हित में यही अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ऐसा बोलिये ताकि लिखने में दिक्कत न पड़े।

श्री लखपतराम शर्मा—

वे लोग मेरे भाषण को अच्छा लिख लेते हैं, मैंने कई बार देखा है। आप उनके लिखने की चिन्ता न करिये।

अगर सत्ताधारी दल का कोई व्यक्ति किसी अपराध में फंस गया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आज इतिहास बताता है कि एक माननीय सदस्य के ऊपर लाठी भी चली, मारे भी गये, हथकड़ी भी डाली गयी? लेकिन इन्साफ कितना महंगा है कि वह मामला प्रिविलेज कमेटी में जायगा तब जाकर दो-तीन महीने में वह अपना फैसला देगी। लेकिन जो आदमी सत्ताधारी दल से सम्बन्ध रखता है उसका अगर गबन के मामले में चालान भी हो गया है तो भी पार्टी की बदनामी बचाने की वजह से वह केस वापस ले लिया जाता है। मैं कहता हूं कि ऐसे आदमी को सजा देने में कांग्रेस की बदनामी नहीं होगी, बल्कि मेरी राय में अगर ऐसे आदमी को आप हैं कर दें तो देश की भलाई होगी। देश बड़ा है या कांग्रेस पार्टी बड़ी है? लेकिन आज आपके सारे काम सिर्फ पार्टी के नाम पर ही होते हैं। आज जब राष्ट्रीय संकट है तो माननीय मंत्री जी देश को मुकाबले के लिये तैयार करिये, कुछ कुरबानी करिये, बंगले और कोठी छोड़ कर आगे आइये। आप लोग तो पूज्य बापू के अनुयायी हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन पूज्य बापू के अनुयायी मंत्रियों से कि आप में से कितने ऐसे हैं कि जो दौरे पर जब जाते हैं तो बजाय सर्किट हाउस के हरिजन बस्तियों में ठहरते हैं, उनके साथ रोटी खाते हैं? आज इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सत्ता जहां आयी कोई सम्बन्ध किसी बातसे नहीं रह गया, हम सलामत हमारी कुर्सी सलामत। आज जो कुछ निर्णय होते हैं वह देश के हित में नहीं होते, बल्कि खुद के हित में लिये जाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज देश संकट में नहीं है। आप राजपूतों का इतिहास देखिये, चन्देरों का इतिहास देखिये, बुन्देलखन्ड का इतिहास देखिये, यहां के लोग मरना और मिटना जानते हैं। अगर आज किसी को खतरा है तो केवल सत्ताधारी दल को खतरा है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय लखपतराम जी, जरा इस विधेयक पर बोलिये।

श्री लखपतराम शर्मा—

सब विधेयक पर है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह गलत बात है। आप विधेयक के प्राविजन्स और उसके उसूलों पर बोलिये।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं उसी पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई बजट भाषण नहीं है। जिसमें गवर्नमेन्ट को 'ए' से 'जेड' तक क्रिटिसाइज किया जाय।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं विधेयक पर ही कह रहा हूं। जब जनता से आप पैसा लेते हैं तो उसका सदुपयोग करिये मैं यही कह रहा हूं। अब आप देख लीजिये कि यह विधेयक पर है या नहीं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

प्रस्ताव यह था कि इस विधेयक को एक मास के लिये जनमत के लिये घुमाया जाय। तो प्रस्ताव तो तभी पास होगा जब उसके सभी अंगों पर प्रकाश डाला जाय और वह माननीय सदस्य डाल रहे हैं।

[श्री लखपतराम शर्मा—]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जहां इस तरह के टैक्सेज का सवाल है, हमारे बुन्देलखन्ड का इलाका और पूर्वी प्रदेश की हालत को कल भी इस माननीय सदन के समक्ष रखा गया था और आज भी मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन में मंत्री जी के सामने रखूंगा । हमारे मंत्री जी काशी के रहने वाले हैं, धर्मात्मा नगरी है, उसका एक इतिहास है और वह अत्यन्त दयालु हैं और विद्वान हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप जो प्रदेश की जनता पर यह टैक्स लगाने जा रहे हैं क्या उससे बुन्देलखन्ड का इलाका अछूता रह जायगा ? मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा और ऐसे किसानों के घरों पर ले चलूंगा जो लोग कोदों, सावां और मक्का, बाजरा वगैरह की रोटी पर ही अपना जीवन निर्भर करते हैं । वह गेहूं की तथा अन्य अनाज की रोटी खाना जानते नहीं है कि वह क्या चीज है ? क्या इस तरह के टैक्स का असर गरीबों के ऊपर नहीं पड़ेगा ? मैं जानता हूं कि जब इस तरह के गरीब आदमी भी मुकदमों में उलझते हैं और उन्हें कचहरियों के दरवाजे के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनकी खाक छाननी पड़ती है, अगर वे वहां जाते हैं तो कोई अदालत या वकील उनके साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं करेगा कि तुम कोदों, सावां, मकई की रोटी पर बसर करते हो इसलिये सवा रुपये का टिकट न लगाओ। इन कचहरियों में उसको उसी तरह से जाना पड़ेगा। जिस तरह से एक लखपति और करोड़पति जाता है।

आज श्रीमन्, देश में बहुत ज्यादा गरीबी है और इतनी गरीबी है कि जनता में टैक्स वहन करने की शक्ति अब बिल्कुल नहीं रह गई है। मैं आप से अर्ज करूंगा कि आज अनुशासन का सवाल नहीं है बल्कि देश को बचाने का सवाल है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे विद्वान और दयालु आदमी इस तरह के अत्याचार गरीब जनता पर नहीं होने देंगे और यदि होने देंगे तो कितने दिन तक हमारा प्रदेश बचा रह सकेगा ? आपको इस टैक्स का विरोध करना चाहिये और जनता की दशा का खयाल रखना चाहिये । उधर के लोग भी जब चुनकर आये थे तो जनता से यह वायदा करके आये थे कि इस तरह जुल्म और अत्याचार वे नहीं होने देंगे । लेकिन यह बात दूसरी है कि आप चुनकर आने के बाद अपने वायदों को भूल गये क्योंकि जनता गरीब और सीधी सादी है और आप सोचते हैं कि जनता नौकर बन चुकी है और आप मालिक हो गये हैं। इसलिये आप जितना चाहते हैं टैक्स गरीब जनता पर लगाते चले जा रहे हैं । आप इस सदन में टैक्स का प्रस्ताव पेश कर देते हैं और जनता का कुछ भी ध्यान न रखकर अपने बहुमत के बल पर उसे पास करा रहे हैं । लेकिन आपको यह सोच लेना चाहिये और अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि आज के जमाने में वही आदमी कायम रह सकेगा, वही आदमी राजनीति में जिन्दा रह सकेगा जो चुने जाने के बाद जनता का नौकर बनकर रहेगा और जनता को अपना मालिक समझेगा । जब आप अपने को जनता का नौकर समझेंगे तो उसको तकलीफ नहीं होने देंगे ।

आप विश्वास मानिये कि इन टैक्सों का बहुत खराब असर पड़ रहा है । अगर आप महलों और बंगलों से दूर हो जायं और गावों में जायं तो देखेंगे कि उनके चेहरे पर मुर्दनी छायी रहती है जिनके चेहरों पर पहले खुशी की झलक झलका करती थी । अब लोग सोचने लगे हैं कि इस तरह के लोगों को नहीं भेजेंगे क्योंकि वहां जाने के बाद वह हमारे सिर पर टैक्सों की तलवार चलाते हैं । आज मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे गुप्ता जी की सरकार से कहें कि परमात्मा के वास्ते जनता के मनोबल को बचाने के लिये, देश को बचाने के लिये, टैक्सों का अन्त किया जाय । आज चीन का भय है, खतरा है । आज हमारे गरीब किसान अपने बच्चों को हिमालय की रक्षा के लिये दे रहा है, मां अपने बच्चे को दे रही है, बहन अपने भाई को दे रही है और वे लाल आज मोर्चे पर देश की रक्षा के लिये अड़े हुए हैं, उन लोगों पर अगर आज टैक्स लगते हैं तो उनका मनोबल सोचिये ऊंचा होगा या नीचा होगा । उनके ऊपर आपके इन टैक्सों का क्या असर होगा ? वह कहेगा कि हम तो देश की रक्षा के लिये अपने लाल दे रहे हैं और यह सरकार हमारा खून चूस रही है । मंत्री जी. आज जरूरत इस बात की है, देश की पुकार है न्याय की पुकार है कि उसके लिये आपको बंगलों को और महलों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिये

क्योंकि आज देश को बचाना है, प्रान्त को बचाना है और देश की जनता को मजबूत बनाना है। अगर आपको गुप्ता जी की सरकार से विरोध करना पड़े तो करोड़ों लोगों के हितों की रक्षा के लिये कीजिये। आपको जनता के लिये त्याग करना जरूरी है। अगर इस तरह से टैक्स लगते रहे तो हिन्दुस्तान की तारीख में, इस तरह के जुल्म और ज्यादतियों की तारीख ऐसे अक्षरों में लिखी जायगी, जिसको भावी संतानें कभी क्षमा नहीं करेंगी। वह काले हरूफों में लिखी जायगी कि आपने भूखी-नंगी जनता के साथ यहां तक व्यवहार किया। बिना रुपये के काम नहीं चलता है यह मैं मानता हूं। यह मैं मानता हूं कि मंत्री जी के हाथ में अलादीन का चिराग नहीं है जिससे सोने का महल खड़ा कर दें, लेकिन उनके हाथ में यह है कि करोड़पतियों पर सख्ती करें जो आपके कानूनों को नहीं मानते।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शर्मा जी, आज शाम तक फर्स्ट रीडिंग खत्म होनी है। इसलिये औरों को मौका दीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा—

आज लोग टैक्स से आजिज आ चुके हैं। हम लोगों को करोड़पतियों ने चुनकर नहीं भेजा है। जिस गरीब जनता से वोट लेकर आप आये हैं, उसी गरीब जनता से हम भी वोट लेकर आये हैं। जब जनता छटपटाती है तो हम भी छटपटाते हैं। उनकी आवाज यहां नहीं पहुंच पाती। इसलिये उन्होंने हमको यहां चुनकर भेजा है कि तुम अपनी आखिरी सांस तक विरोध करो। हमें बोलने का अधिकार है और अपनी फरियाद करने का भी। मंत्री जी हमको विरोधी कहते हैं यह हमारा दुर्भाग्य है। आप बहुमत के बल पर हमारी आवाज को ठुकरा दें, कोई रास्ता नहीं है। हम लोग अल्पमत में हैं। लेकिन अल्पमत ने कोई पाप नहीं किया है। जिस तरह से जनता ने आपको भेजा है उसी तरह से हमको भी भेजा है। इसलिये जब आप हमको विरोधी कहते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। अगर हिन्दुस्तान के अन्दर ईमानदारी से देखा जाय तो अपोजीशन आपका हितैषी है विरोधी नहीं। सच्ची बात कहना विरोध करना नहीं है। आपको इस तरीके से संशोधन करना चाहिये। जब आप इधर के माननीय सदस्यों को बुलाएं तो हितैषी कह कर बुलाएं। हम आपके सच्चे हितैषी हैं क्योंकि हम आपको अंधकार में भटकने नहीं देना चाहते, गुमराह होने देना नहीं चाहते। उसका दण्ड यह है कि हमको विरोधी के नाम से बुलाते हैं। हम आपके हितैषी हैं। जो सही बात कहता है वह जनता का भी विश्वासपात्र है और आपका भी विश्वासपात्र होना चाहिये, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अल्पमत को विरोधी के नाम से बुलाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

शर्मा जी, अब आप खत्म करें।

श्री लखपतराम शर्मा—

अच्छी बात है। एक मिनट में और लूंगा। अन्तिम बात मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस समाज को आप दो हिस्सों में मत बांटिए। आज आप देखें बड़े-बड़े धनाढ्यों के जो मन्दिर हैं वहां पर किस प्रकार भोग लगाया जाता है, कितना ठाटबाट वहां है और दूसरी तरफ गरीबों के जो मन्दिर हैं वहां कुत्ते और गाय बैल आकर बैठते हैं। तो ईश्वर को भी इन लोगों ने दो रूपों में बांट रखा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हाउस के लोगों को और हम माननीय सदस्यों को दो हिस्सों में मत बांटिए कि एक को विरोधी कहिए और एक को सत्ताधारी कहिए। अगर आप सत्ताधारी दल के हैं तो इधर बैठने वाले हम लोग जनहित को लेकर भी आपके हितैषी हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा वित्त मंत्री जी, कि आप तो बड़े दयालु हैं और बड़े विद्वान हैं, जो पैसा बाकी पड़ा है वह वसूल कर लीजिए। आपको इस देश की गरीब जनता से प्यार है तो इस पैसे को सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ, कुर्की के जरिये, नीलाम के जरिये जैसे भी हो वसूल करिए और गुप्ता जी अगर उनके साथ रियायत करें तो इस्तीफा दे कर हम लोगों के साथ आइए, इस प्रदेश की जनता आपको अपने सिर आंखों पर बिठा लेगी।

[श्री लखपतराम शर्मा]

हम आपका स्वागत करने के लिये तैयार हैं। लेकिन वसूली में कड़ाई करिए और गरीब जनता पर रहम करिए, उस पर कोई टैक्स न लगाइए। अब चूंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय का आदेश है इसलिये मैं समाप्त करता हूं।

श्री कृष्णसिंह (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे उनको मैं अच्छी तरह से समझ नहीं सका। कुछ शब्द मुझे जरूर सुनाई पड़े हिन्दुस्तान, गरीब, गरीब, खून चूसना, ऐसे शब्द कुछ सुनने मे आये। लेकिन वह इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे थे कि मैं उनको सुन नहीं सका। उसका आशय मैं कुछ समझा कि उनका मतलब शायद यह था कि हिन्दुस्तान में इतने गरीब लोग रहते हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में इतने गरीब लोग रहते हैं कि वह कोर्ट फीस या जो कर हम लोग लगा रहे हैं उसको सह नहीं पायेंगे। भगवानसहाय जी ने यह कहा कि डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है, स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। इस तरह के भी आक्षेप विरोधी दल की तरफ से लगाये गए। मुझे सिर्फ इतनी विनती करनी है अपने विरोधी दल के माननीय सदस्यों से कि गरीबी जरूर है, लेकिन गरीबी को दूर कैसे किया जायगा, इसके भी साधन जुड़ने हैं, केवल यह कहने से कि गरीबी दूर होनी चाहिये इससे तो गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर करने के साधन जोड़ने पड़ेंगे। विकास के कार्य आगे बढ़ाने पड़ेंगे और देश की रक्षा का सवाल है उसको भी करना पड़ेगा। फिर इन साधनों को जोड़ने के लिये पैसे की जरूरत है तो पैसा कैसे जोड़ा जायगा? उसका यही तरीका है कि कर लगा कर पैसा जोड़ा जाय।

फिर कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है या हमारी स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसको दबाया जा रहा है। मैं उन माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं जो डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं, कि राष्ट्रीय संकट आज हमारे सामने मौजूद है और हो सकता है कि वह और भी आगे बढ़ता जाय। मैं सीमांत जिले का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं कि स्थिति वहां पर ऐसी है कि जिसमें हम महसूस कर रहे हैं कि राष्ट्रीय संकट है और हम लोगों को हर तरीके से सरकार की मदद करनी चाहिये उसके लिये यही तरीका है कि करों को लगाकर साधनों को जोड़ा जाय, जिससे हम देश की रक्षा कर सकें। हम वहां जाकर के यह महसूस करते हैं कि हमारे दूसरी तरफ सीमा के उस ओर चीनी फौजें खड़ी हैं तो हम यह भी सोचते हैं कि हमें हर तरीके से कुरबानी करनी है, हर तरीके से त्याग करना है और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी को भी कुरबानी करने की जरूरत है। इसलिये मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि ऐसे मौके पर विरोधी दल के माननीय सदस्यों से हम यह सुनें कि राष्ट्रीय संकट की स्थिति में कर नहीं लगने चाहिये। यह जो कोर्ट फीस लगाया गया था उसका एक सिद्धान्त था। वह इससिद्धान्त पर लगाया था कि न्याय की मशीनरी पर जो खर्चा होता है, वह खर्चा पूरा हो सके। उसको पूरा करने के लिए, उसको निभाने के लिए वह कर लगाया गया था। यह मैं मानता हूं कि न्याय के नियम व साधन ऐसे होने चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी न्याय को प्राप्त कर सके। कोर्ट फीस का संबंध न्याय के साथ है। जिस समय पहले यह कोर्ट फीस लगायी गयी थी उस वक्त सारी बातें यहां पर बहस में आई थीं। उस समय भी कहा गया था कि न्याय की अच्छी तरह से सुयोग्य और सुदृढ़ मशीनरी करने के लिए हमको क्या करना चाहिये और क्या-क्या हमको खर्च करना चाहिये। इसके साथ ही आज और भी समस्या सीमान्त जिलों के लिये हो गयी है। आज न्याय देने की स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें खर्च की बहुत जरूरत पड़ती है। वहां पर न्याय की मशीनरी की वजह से कोई असन्तोष हो तो देश की सुरक्षा का सवाल पैदा हो जाता है। मैं यह कहता हूं कि वहां पर मुन्सिफ नहीं है। वहां पर एस० डी० एम० सिविल वर्क्स नहीं कर सकता है। उन्होंने खुद सरकार को भी लिखकर भेजा है कि वह मुन्सिफ का काम नहीं कर सकते हैं। उनके पास प्लानिंग का काम बढ़ गया है और इन कामों को पूरा करने की वजह से वह सिविल वर्क्स को पूरा करने में असमर्थ हैं। २ साल का वक्त हो गया है वहां पर सिविल वर्क्स का काम नहीं हो रहा है। यह

कहा गया कि जो टेहरी का मुन्सिफ है वह उत्तरकाशी में जाकर उत्तरकाशी का भी सिविल वर्क्स का काम कर ले, लेकिन फिर खर्चे की समस्या आ जाती। जब खर्चे की समस्या सामने आती है तो उसको आपको हल करना है। जब हल करना है तो कर लगाना पड़ेगा।

आप यह भी देखते हैं कि जब आप जजेज को बदलते हैं तो उनको रहने के लिये मकान नहीं मिलते हैं। मकान मिलते हैं तो वह गन्दी जगह में मिलते हैं। ऐसी हालत में वह न्याय नहीं दे सकते हैं और अपने मस्तिष्क से अच्छी-अच्छी बातें नहीं निकाल सकते हैं। सही ढंग से न्याय नहीं दे सकते हैं। यह भी स्थिति है। जजेज को एकमोडेशन देन और कोर्ट को एकोमोडेशन देन जरूरी है। पिछली दफा बजट के समय न्याय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो मुन्सिफ से तरक्की पाकर सिविल जज होंगे उनको स्पेशल अलाउन्स देने के बारे में सरकार विचार कर रही है। मैं नहीं जानता हूं कि वह विचार कहां तक गया है और यह विचार किस तरह से हो रहा है, लेकिन मैं यह बात उनके नोटिस में जरूर लाना चाहता हूं कि यह प्रश्न सरकार को जल्दी तय करना चाहिये था उनको स्पेशल अलाउन्स मिलना चाहिये। हमारे जजेज भ्रष्टाचार से अलग हैं। और विभागों में आपको यह शिकायत मिल सकती है, लेकिन सिविल कोर्ट में जजेज अभी तक भ्रष्टाचार से अलग हैं, उनमें भ्रष्टाचार नहीं है। अगर है भी तो वह सबसे कम है। अगर उनकी जरूरत को पूरा नहीं किया गया और उनके खर्च को पूरा नहीं किया गया तो भविष्य में क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देहरादून में हाई कोर्ट ने जजी खोलने की बात बार-बार कही। यह बात भी खर्चे से संबंध रखती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि देहरादून में डिस्ट्रिक्ट जजी होनी चाहिये जिससे सीमान्त जिलों को सुविधा हो सके। सीमान्त जिलों को नैनीताल जाने में बहुत असुविधा होती है। उनको पहले बरेली आना पड़ता है और वहां से नैनीताल जाना पड़ता है। वहां के लिये इस विषय में भी देश की सुरक्षा का सवाल पैदा हो जाता है। वहां के लोगों में असन्तोष नहीं होना चाहिये। हाई कोर्ट ने प्रपोजल बार-बार दिया कि देहरादून में जजी होनी चाहिये ताकि टेहरी, गढ़वाल और उत्तरकाशी के लोग आसानी से वहां पर जा सकें। यह बात भी शायद खर्चे की वजह से नहीं होने पा रही है। यह एक बड़ा सवाल है, सीमान्त जिलों का सवाल है और देश की सुरक्षा का प्रश्न है। बहुत विचार करके और बहुत गम्भीरता से इनके ऊपर विचार करना चाहिये। विरोधी भाई कहते हैं कि काफी कर लगाया गया है आज यह कहना बिलकुल उचित नहीं है। मुझे तो आज सिर्फ इतनी ही प्रार्थना माननीय विरोधी दल के सदस्यों से करनी है कि इन बातों का जब वे विरोध करें तो जरा इस बात का भी मन में ध्यान रखें कि यह राष्ट्रीय संकट का समय है और इस संकट के समय में जो भी कर प्रस्ताव लाये जायं उन को देने के लिये हमें हर समय तैयार रहना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि गरीब पर ज्यादा कर नहीं लगना चाहिये, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि हमारे विकास कार्य काफी तेजी से और ठीक-ठीक हो रहे हैं तो कर देने में हमको क्या एतराज हो सकता है। यह मैं नहीं कहता कि सारे काम, सारे विकास हो गये हैं, सब ठीक हो गया है, गरीबी दूर हो गयी है और ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि यह एक बहुत कठिन कार्य है और इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन यह भी ठीक है कि हमारे विकास कार्य काफी तेजी से चल रहे हैं और इसके बावजूद भी गरीबी हमारे यहां मौजूद है। फिर भी गरीब जनता की आमदनी बढ़ी है और उसका और उत्थान करने के लिये यह कर लगाना लाजमी हो गया है।

श्री विजयसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमला सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को एक मास तक जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी प्रार्थना यह है कि इसे आज समाप्त होना है, इस वाचन को। तो आप, ५, ७ मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें, फिर आध घंटे में रिप्लाई हो जाय तो अच्छा होगा।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)---

यह तो हमारे साथ अन्याय होगा। हमारी पार्टी की तरफ से इस बिल पर कोई भी नहीं बोला है।

श्री उपाध्यक्ष---

लेकिन यह तो सदन का निश्चय है।

श्री उमाशंकर तिवारी---

जब हम खड़े होते हैं तो आप बोलने नहीं देते और सदन में इस पर बोलने के लिये समय दूसरे सदस्यों को दे देते हैं। हमारी पार्टी के सदस्य क्या इस बिल पर कोई राय नहीं देंगे, क्या आप यही चाहते हैं? हमारी पार्टी का दृष्टिकोण इस बिल पर यहां नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो कोई नहीं चाहता।

श्री उमाशंकर तिवारी---

तो फिर आप बोलने क्यों नहीं देते?

श्री विजयसिंह---

अन्य माननीय सदस्य बहुत समय ले चुके हैं, इसलिये मैं चाहूंगा कि मुझे कम से कम १२ से १५ मिनट तक का समय दिया जाय।

मान्यवर, मैं इसके पूर्व कि कुछ कहूं इस सदन में माननीय मिश्र जी का ओजस्वी भाषण सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ और जिस प्रकार उन्होंने सरकार के रुख को सदन के सामने रखा उसे सभी माननीय सदस्यों ने सुना। उनका तर्क यह था कि विरोधी दलों की ओर से कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया कि जिस पर सरकार अमल करती। मान्यवर, यह बजट सेशन करीब महीने, डेढ़ महीने से चल रहा है और इस के भीतर विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव भी दिये हैं। यह संभव है कि उनकी निगाह में ठोस न समझे जाते हों और यही उनकी समझ की बलिहारी है। हमारा कहना यह था कि सरकार के सामने दो ही बातें आ सकती हैं। या तो खर्च में कमी की जाय, उसे संतुलित किया जाय। जो अनाप-शनाप सरकार खर्च करती है उसको चेक किया जाय, रोक कर उसे उपयोगी कार्यों में खर्च किया जाय, या फिर बकाया रकम वसूल की जाय जो करोड़ों रुपयों की प्रदेश के करोड़पतियों और बड़े लोगों पर बकाया है।

मान्यवर, सरकार को इस बिल से करीब डेढ़ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी और इसके लिये बजट सेशन में भी यह सुझाव रखा गया था कि जब भी सरकार घाटे का बजट पेश करती है उसमें १०, १५ करोड़ के घाटे की बात होती है। उनको यह सुझाव दिया गया था कि ५ करोड़ आपका कोआपरेटिव सोसाइटी के ऊपर बकाया है। वह उन से वसूल कर लिया जाय और इसके अलावा ५ करोड़ बीज गोदामों पर बाकी है वह उनसे वसूल कर लिया जाय। इस प्रकार १० करोड़ रुपया आपको मिल जायगा और घाटा पूरा हो जायगा। लेकिन आप इसे न करके, किसानों पर ही यह नया कर लाद रहे हैं जिस के लिये इस इमर्जेंसी के पूर्व भी बड़े-बड़े प्रदर्शन आदि किये गये थे। मान्यवर, पहला सुझाव यह है और जिसे पहले भी कहा जा चुका है कि अन्य प्रान्तों में और केन्द्र में भी कई विभागों पर एक मन्त्री रहते हैं पर इस सरकार ने कृषि विभाग के लिये ही ६ मन्त्री रख रखे हैं। उस विभाग का पोस्ट-मार्टम किया गया है, राजनीतिक तुष्टि के लिये तमाम मन्त्रि-मन्डल बढ़ाना पड़ा। क्या यह ठोस सुझाव नहीं था? क्या यह उचित नहीं है कि पावर और इंडस्ट्रीज विभाग एक ही मन्त्री के हाथ में रखा जाय? मान्यवर, अभी पिछली मर्तबा ऐग्रीकल्चर विभाग को जो फर्टिलाइजर यूनियन सरकार से प्राप्त होता था वह कोआपरेटिव विभाग को दे दिया जाता था, प्रदेश के ३६,००० सेन्टरों पर बांटने के लिये। क्या इन दोनों विभागों का समन्वय है? इसमें जब १४ करोड़ रुपये का गोलमाल हुआ और उसके हिसाब को ठीक करने के लिये सरकार को २०० से अधिक एकाउन्टैन्ट्स रखने पड़े हैं, यह कहां तक उचित है? क्या यह फिजूल खर्ची नहीं है, अधिकारियों के साथ सख्ती और सतर्कता

बरतने की बात का सुझाव, प्रशासन के सुधारने के सुझाव ठोस सुझाव नहीं थे ? माननीय, क्या यह सुझाव ठोस नहीं था कि सरकार इस व्यय में कमी करे सरकार की ओर से एकाउन्टेन्ट जनरल सरकार के हिसाब-किताब की जांच करता है और एग्जामिनर और उसके ६ एसिस्टेन्ट एग्जामिनर्स सब मिल कर लोकल फन्ड्स के एकाउन्ट्स की जांच करते हैं, इसके बाद भी सरकार ने ग्राम सभाओं के एकाउन्ट्स की जांच के लिये ५४ जिलों में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट स्टाफ रखा, जिसमें बड़े-बड़े और ऊंची तनख्वाहों वाले ग्रेड वन के अफसर भी रखे। इसके बाद भी उनको १५०–२०० रुपये स्पेशल पे के रूप में देने की व्यवस्था की गयी। क्या यह ठोस सुझाव नहीं था कि इन पदों को न बढ़ाओ और examiners से ही काम लो जैसा अभी हो रहा है।

अभी हमारे मिश्र जी ने बताया कि इमर्जेंसी है और देश की रक्षा के लिये धन की जरूरत है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि पिछली बार जब हमारे प्रधान मन्त्री जी लखनऊ पधारे थे, तो उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में एक नई बात देखी गई और वह गड्ढों के सम्बन्ध में है। यहां पर बचाव स्थान के लिये बहुत-सा व्यय व्यर्थ का किया गया। इसमें लोग खरगोश की तरह अन्दर छिपेंगे और निकलेंगे। परन्तु माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रतिवाद किया था कि यह आदेश तो हमको सेन्टर से ही प्राप्त हुए थे। अब आप देखें कि उसमें लाखों रुपया व्यय किया गया। यह इमर्जेंसी के नाम पर तमाशा हुआ था। सरकार ने विरोधी पक्ष के लोगों का मुंह बन्द करने के लिये और पत्रकारों की जबान पकड़ने के लिये इस इमर्जेंसी से नाजायज लाभ उठाये हैं। परन्तु लोग इसको नहीं समझ पाये थे कि नेता लोग देश की रक्षा न करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। पिछली बार मैंने एक पी० डब्ल्यू० डी० ग्रान्ट पर बोलते हुए यह बतलाया था कि लखनऊ में आज सड़कों की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि बार्डर पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां से आपको Emergency में संम्पर्क स्थापित करना है; परन्तु यहां पर लखनऊ में माननीय मन्त्री जी की सुरक्षा के लिये गार्ड रूम बनाया जा रहा है। आज जितनी जरूरत मन्त्री जी की सुरक्षा की है, शायद उससे अधिक जरूरत देश की सुरक्षा की है। परन्तु सरकार की यह हालत है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं आपको कितनी मिसालें और दे सकता हूं। आपने कहा कि विरोधी पक्ष वाले इस इमर्जेंसी को समझते नहीं हैं और न उस भावना से देखते हैं, जिससे कि आप देखते हैं। हम लोग इमर्जेंसी को वास्तविकता में देखते हैं, समझते हैं और हम उसकी वास्तविकता पर ध्यान देते हैं। माननीय मिश्र जी ने बताया कि यहां पर विरोधी लोग इस योग्य नहीं हैं कि वह इस कार्य को कर सकें और यह बता सकें कि शासन किस प्रकार से चलाया जाय। परन्तु मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं।

मैं आपकी सेवा में एक बहुत पुराने समय के एक राज्य के बुड्ढे प्रधान मन्त्री की कहानी आपको बता दूं। उस राज्य में उनके चाटुकार लोगों ने उनको यह समझा रखा था कि आपके बगैर यहां पर एक रोज भी काम-काज नहीं चल सकता है। जिस दिन आप चले जायेंगे, उस दिन यह राज्य नष्ट हो जायगा। धीरे-धीरे वह यह भी अनुभव करने लगा था कि उसमें ही देश की बागडोर संभालने की क्षमता है अन्य किसी में नहीं। इस रंगीन भ्रम में वह जीता और ढलती आय के बावजूद भी दौड़-धूप करता। वह प्रधान मन्त्री जी बड़े जोर से काम करते थे। एक दिन वह बीमार पड़े और बेहोश हो गए। जब तीन दिन के बाद उनको होश आया, तो उन्होंने पूछा कि पहले यह तो बताओ कि हमारे राज्य की क्या हालत है, देश में सब कुशल है ? लोगों ने कहा कि राज्य तो ठीक से चल रहा है। लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी क्या हालत है। इस पर उन्होंने कहा कि पहले यह बताओ कि क्या कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई और सब ठीक है पूरे देश में अमन चैन रहा है, सच ? तो मेरे बिना भी देश का काम चल सकता है ? इस पर उनको बड़ा अफसोस हुआ और उनके प्राण-पखेरू इसी बात पर निकल गये कि हमारी बेहोशी में भी राज्य चलता रहा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के न होते हुए भी राज्य चलेगा और चलता है। मौके पर सभी लोग निकल आयेंगे। हर चीज का जब तक वह काम में न लाई जाय, महत्व नहीं समझ में आता है।

[श्री विजयसिंह]

मैं इस बिल के सम्बन्ध में इतना कह देना चाहता हूं कि इसका स्वरूप बहुत छोटा है। इसमें केवल तीन बातें हैं। एक स्टाम्प्स फीस, कोर्ट फीस और बिक्री-कर। मैं इसी सम्बन्ध में एक बिहारी का दोहा पढ़ देना चाहता हूं—

"बिहारी के दोहरा, अरु नाविक के तीर,
देखत में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर।"

श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि यह भी कर गरीब किसान व मध्यम श्रेणी वालों के ऊपर लगा है। यह बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। चाहे किसान आदमी हो, चाहे शहर का हो, चाहे वह मजदूर हो और चाहे वह किसान हो या शहर का व्यापारी हो, उसे किसी न किसी रूप में डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट तरीके से, कर का भार वहन करना पड़ता है। आज किसान Tax pa ment के सैचुरेशन प्वाइन्ट पर पहुंच गया है। उसके पास टैक्स देने के लिये और अधिक सामर्थ्य नहीं है और न किसी प्रकार की शक्ति ही बाकी रह गई है। उसकी ऐसी स्थिति नहीं रह गई है कि वह अब और आपको टैक्स दे सके। हमारे मन्त्री जी तो बड़े पवित्र धाम से पधारे हैं, उनको जनता की गिरी हुई स्थिति पर विचार करना चाहिये। इस का भार किसान और मध्यम श्रेणी वालों पर ही अन्य करों की भांति अधिक पड़ा है। मैं तो यह कहता हूं कि बड़े लोगों की पर्सनल प्रापर्टी के ऊपर आजतक इस सरकार ने कोई टैक्स लगाने की बात नहीं सोची है। पर गरीब किसान, जिससे वादा किया गया था कि भूमि पर टैक्स नहीं लगायेंगे, उन पर उत्तरोत्तर टैक्स बढ़ता जा रहा है। २५ परसेंट इमर्जेंसी लेवी किसान पर लगाया गया है, साढ़े ६ करोड़ का उन पर बोझ पड़ चुका है अब डेढ़ करोड़ इस बिल से लगाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप जल्दी खत्म करें। समय कम है।

श्री विजयसिंह—

मान्यवर, अगर आप चाहें तो मैं बैठ जाऊं। यह तो तीन दिन में, कल तक, खत्म होना है। इसकी जल्दी क्या है। मैं अपनी बात कह लूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे तो सदन की आज्ञा का पालन करना है। इसे आज होना है। अब आप समाप्त कर दें।

श्री विजयसिंह—

मान्यवर, मुझे तो आपकी भी और सदन की भी, दोनों की आज्ञा माननी है। मैं खत्म करने से पहले एक बात यह कहना चाहता हूं कि टैक्स किसी भी प्रकार का हो लौट फेर कर बोझ उसका किसान पर ही आता है। जो यह स्टाम्प टैक्स या कोर्ट फी या सेल्स टैक्स है, साधारण आदमी और गांव में रहने वालों से लिया जायगा और उन्हीं पर ज्यादा बोझ आवेगा। अगर शहरों के बड़े लोगों पर ही यह होता तो बात दूसरी होती, लेकिन आज तो यहां का साधारण आदमी सस्ता न्याय पा नहीं सकता। मान्यवर, अगर कोर्ट फीस बढ़ती है तो बड़े-बड़ी जायदादों के मामले पर बढ़े तो ठीक, लेकिन यह तो छोटी-छोटी Value के Cases पर भी बढ़ी हुई दर से लगेगा। पूर्व वक्ता ने कहा कि न्याय करने पर जो खर्चा पड़ता है उसके खर्चे की पूर्ति इससे करने का ध्येय है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनकी पूर्ति उसकी आमदनी से नहीं होती और दूसरे कार्यों से रुपया लेकर उसको चलाया जाता है। तो यह उचित नहीं है। जहां तक सेल्स टैक्स वाली बात है अगर लक्जरी गुड्स पर, ऐशो-आराम की चीजों पर, मोटरकार पर दुगुना-चौगुना कर दिया जाता तो अच्छी बात होती परन्तु इस टैक्स से मध्यम श्रेणी के लोगों पर बोझ पड़ेगा। इससे छोटे लोगों पर ज्यादा भार आयेगा क्योंकि उन्हें रोज जरूरत की चीजें खरीदना पड़ती हैं। सरकार को मेरा यह सुझाव है कि या तो बिल को वापस ले लें या फिर जिसका मैं समर्थन कर रहा हूं बिल को इस बात के लिये घुमाया जाय ताकि ग्रामीण जनता समझ सके कि

उसको क्या देना है और कर का एक और बोझ उठाना है। उस पर कौन-सा टैक्स लगना है और व्यापारी वर्ग भी समझ सके कि हमारे ऊपर क्या बात आने वाली है और Sales tax के रूप में उपभोक्ता पर कैसे छुरी चलानी है।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं कि जनमत जानने को तो यह जाये ही, लेकिन उस बीच में एक हाई पावर कमेटी बनायी जाय जो पूरे बजट को चेक करके यह बतावे कि कितना बोझ कम किया जा सकता है। हालांकि माननीय वित्त मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि जितना हो सकेगा खर्च में कमी करेंगे, लेकिन वह बेचारे क्या करें। सरकार ही ऐसा नहीं करना चाहती है। Finance विभाग कोई Check नहीं लगाना चाहता है, मनमानी होती है और माननीय मन्त्री जी उस पर ध्यान नहीं देते। सरकार के एक-दो नहीं बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें Duplication है। यह फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की लापरवाही है जो Check नहीं कर पाती। इसलिये एक कमेटी बना देना चाहिये जिससे वह स्क्रूटिनी करके देख लें कि खर्चा में कितना और बच सकता है और अगर उससे इस डेढ़ करोड़ रुपये की पूर्ति हो जाय तो बिल के घूम कर आने के बाद भी सरकार इसको वापस ले सकती है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कमलासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उमाशंकर तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को जनमत के लिये घुमाने का जो प्रस्ताव यादव जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। आप यह देखें कि इस बिल से सीधा सम्बन्ध गरीब किसानों और मजदूरों से है। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इस बिल को हमारे वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है। वही वित्त मन्त्री जी हमारे राजनैतिक गुरू हैं। उनके साथ काम करने का मुझे काफी समय तक अवसर मिला है। जब अंग्रेज सरकार थी तो वित्त मन्त्री जी के साथ देहातों में जाते थे। हमारे वित्त मन्त्री जी कहा करते थे कि इस अंग्रेज सरकार के समय में न्याय बहुत मंहगा है। और इस बात को लेकर कितने ही भाषण माननीय वित्त मन्त्री के हुए हैं। आज हम देखते हैं कि जब आदमी के हाथ में अधिकार आ जाता है तो वह कितना बदल जाता है। श्रीमन्, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब ८ आने की दरख्वास्त पर न्याय मिल जाता था, आज जब कांग्रेस की सरकार है, बापू के चेलों की सरकार है, हमारे वित्त मन्त्री जी तो बापू के बड़े भक्त हैं, परन्तु अब डेढ़ रुपये में वही दरख्वास्त दी जा सकती है। ८ आने से १२ आने हुए, फिर एक रुपया हुआ, फिर सवा हुआ, आज डेढ़ रुपया होने जा रहा है। इससे पता चलता है कि इन्सान कितना बदलता रहता है। कल वह क्या कहता था, और आज अधिकार मिल जाने पर क्या कहता है। हम समझते हैं कि सरकार को यह टैक्स लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है।

सरकार को तो जो यह प्रस्ताव आया है उसे तुरन्त मान लेना चाहिये, क्योंकि इससे जनता का मत मालूम हो जायेगा। अगर सरकार इसको नहीं मानती तो उसको इसी बात पर इस्तीफा दे देना चाहिये और फिर से चुनाव कराना चाहिये। जनता की जिस गाढ़ी कमाई का पैसा वह जिस तरह से वसूल करके उसका दुरुपयोग कर रही है उसका उसको कोई हक नहीं है। आज संकटकाल के नाम पर जिस तरह से ऐशोआराम में, तथा दौरों आदि में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा व्यय किया जा रहा है उसको व्यय करने का इस सरकार को कोई हक नहीं है। जब मैं बापू जी की तस्वीर देखता हूं तो मुझे एक किस्सा याद आ जाता है। बापू जी के एक भक्त के लड़के को गुड़ खाने की आदत थी और वह उसकी उस आदत को छुड़ाना चाहता था। उसने सोचा कि मैं उसको बापू जी के पास ले जाऊं, शायद उनके उपदेश से वह गुड़ खाना छोड़ दे। जब वह बापू जी के पास उसको ले गया और उनसे यह बात कही, तो बापू जी ने कहा कि गुड़ तो मैं भी खाता हूं, मैं कैसे उसको मना कर सकता हूं। बापू जी ने कहा कि अच्छा, २१ दिन के बाद आना। २१ दिन के बाद जब वह गया तो बापू जी के कहने पर उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। इस बीच में बापू जी ने भी गुड़ खाना छोड़ दिया था। कहने का मतलब यह है कि जिस काम

[श्री उमाशंकर तिवारी]
को वे खुद करते थे उसको छोड़ने के लिये वे दूसरे को उपदेश देना ठीक नहीं समझते थे। इसलिये आज इस संकट काल में, इस खतरे से बचने के लिये, जब जनता से त्याग चाहते हैं तो पहले खुद कुछ त्याग करके दिखाइये। यह नहीं होना चाहिये कि मन्त्री लोग और नौकरशाही जनता को त्याग करने के लिये उपदेश दे, और खुद उसको न करे।

आज कहा जा रहा है कि सुझाव नहीं आते। सुझाव तो हम बार-बार देते हैं, लेकिन यह सरकार उन पर अमल ही नहीं करती। सोये हुए को जगाया जा सकता है, मगर जागे हुए को जगाया नहीं जा सकता। हमने बार-बार यह मांग की कि यह मन्त्रि-मन्डल जो सुरसा की तरह बढ़ता गया है, इसको कम किया जाय। सुरक्षा के नाम पर जो आये-दिन दौरे होते हैं इनको बन्द किया जाय, मोटरों और हवाई जहाजों में सफर करने पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसे कम किया जाय, इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? गुप्ता जी कहते हैं इस पर कितना खर्च होता है। जब इस प्रदेश में पन्त जी का मन्त्रि-मन्डल था तब यहां ७ आदमी मन्त्रि-मन्डल में थे और उनसे ही काम चलता था। आज गुप्ता जी के मन्त्रि-मन्डल में आदमी ४८ हैं और मन्त्री आज क्या करते हैं? २, २ पंचवर्षीय योजनायें हो गई हैं और तीसरी चल रही है। लेकिन इस सरकार ने आज भी गांवों में गरीबों के लिये और हरिजनों के लिये जिनका यह बहुत दम भरती है, पानी पीने के लिये कुवें तक नहीं बनवाये हैं। मैं बनारस जिले के एक गांव का नाम बताना चाहता हूं जिसे हमारे वित्त मन्त्री जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। घूस परगने में धुरहुपुर है जहां अपने १६ वर्ष के शासन के बाद भी पीने के पानी का कुंवा नहीं है। वहां के लोग नदी को बांध कर पानी पीते हैं। और कहा जाता है कि विकास किया जा रहा है। उसके लिये गरीब किसान और मजदूरों पर टैक्स लगाया जाता है। एक गरीब विधवा, किसान या मजदूर जो किसी अत्याचारी से बचने के लिये न्याय पाना चाहता है, उसे डेढ़ रुपया टिकट के रूप में अब भी देना होगा और मुख्तार तथा वकीलों का व दीगर खर्चे अलग से हैं। इस पर भी हमारे पूर्व वक्ता मिश्र साहब गला फाड़-फाड़ कर कहते हैं कि यह सरकार समाजवादी समाज की रचना की ओर अग्रसर हो रही है। तो क्या ऐसे ही समाजवाद की रचना होती है कि पीने के पानी के कुवें तक नहीं हैं? पहनने के लिये कपड़ा नहीं है, खाने के लिये अन्न नहीं है, दवा-दारू का प्रबन्ध नहीं है? आजादी के लिये देश के जवान गोली के शिकार हुए, हमारी माताओं और बहनों ने अपनी गोदी के बच्चों को हंसते-हंसते फांसी के तख्तों पर झूलने के लिये भेज दिया, अपनी मांग के सिन्दूर धो दिये, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस सरकार में एक तरफ अंग्रेजी की बोली है और साथ ही कंधे पर गोली है।

सरकार कहती है कि संकट का समय है, उसमें सहयोग देना चाहिये। हम क्या सहयोग दें जब हमारी बात आप सुनते नहीं और जनता से आप कोसों दूर भागते जा रहे हैं? अंग्रेजी शासन काल में जो नौकरशाही का तरीका था वही आपका है। आप नौकरशाही और गोली के बल पर हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, और तरह-तरह के टैक्स लगा रहे हैं। उस रुपये का सदुपयोग होता तो भी हम समझते कि अच्छा भाई, हमारी गाढ़ी कमाई का सदुपयोग हो रहा है। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है कि देवरिया में गुप्ता जी के लिये सोने का फाटक तैयार किया गया था। हमारे उग्रसेन जी का नाम लिया गया है। लेकिन वही तो किस्सा है कि जबरा मारे रोने भी न दे। हम कहते हैं कि अगर आप पर लगाये अभियोग झूठे हैं तो आप एक जज की इन्क्वायरी कमेटी बैठाइये और सुरक्षा कोष में जबरदस्ती वसूली की वह जांच करे। अगर आप ऐसा करते तो आपको मालूम होता उसकी रिपोर्ट से कि किस प्रकार से चन्दा वसूल करने में जबरदस्ती की जा रही है। सरकार का यह निश्चित आदेश था कि सरकारी रसीदों पर सुरक्षा कोष का चन्दा वसूल किया जाय लेकिन हमारे जिले में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रसीदें छपवाई गई और उन पर पैसा वसूल किया गया। इस सदन में हमने सवाल किया तो आज तक उसका उत्तर नहीं मिला कि कितनी रसीदें छपवाई गयीं, कितना रुपया वसूल हुआ और कितना सरकार में जमा किया गया। आज सुरक्षा के नाम पर पैसा वसूल करके कांग्रेस के प्रचार पर खर्च किया जा रहा है।

माननीय, मैं आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को जनमत के लिये भेज दिया जाय अन्यथा इस सरकार को इस बात पर इस्तीफा देकर चुनाव कराना चाहिये। जनता का इस सरकार पर रत्ती भर विश्वास नहीं रह गया है। सरकार को हक नहीं है कि टैक्स लगावे। वोट लेते समय कांग्रेस ने नहीं कहा था कि हम नये टैक्स लगावेंगे।

इस विधेयक में ३ धारायें हैं। जमीन जायदाद गरीब ही बेचता है, उस पर टैक्स लगने जा रहा है। न्याय पाने वाले पर सवा की जगह डेढ़ रुपया लगेगा। तीसरा बिक्री-कर है, वह भी गरीब किसान मजदूर ही देते हैं। मन्त्री या पूंजीपति या मिल-मालिक नहीं देते हैं। आज करोड़ों रुपया जो बड़े-बड़े सेठ-साहूकारों और पूंजीपतियों व मिल वालों पर बाकी है उसे सरकार वसूल नहीं करती। लेकिन अगर किसान पर मालगुजारी बाकी है तो औरतों का कजरौटा तक नीलाम कर दिया जाता है। सदन में बार-बार सवाल किये गये कि पूंजीपतियों से सरकारी रुपया वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई, तो हमारे वित्त मन्त्री जी कह देते हैं कि कानूनी कार्यवाही हो रही है। पूछा जाता है कि क्या उनकी गिरफ्तारी का वारन्ट निकाला गया या कुर्की हुई, उनकी मिल में ताला बन्द किया गया, तो कहते हैं कि साहेब, कानूनी कार्यवाही हो रही है। छोटे दूकानदारों पर कितना सेल्स टैक्स बाकी है और गरीब किसानों पर कितनी मालगुजारी बाकी है? हर साल आप उसका सब रुपया वसूल कर लेते हैं। आप कहते हैं कि सुझाव दीजिये, संकटकालीन समय है। हम सुझाव देते हैं। हम कहते हैं कि क्या जरूरत है बड़े-बड़े अफसरों को लम्बी तनख्वाहें देने की। आप क्यों नहीं यह कर देते कि किसी की तनख्वाह १०० रुपये से कम नहीं होगी और किसी की १,००० रुपये माहवार से ज्यादा नहीं होगी?

आपसे हम कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा बांध दीजिये कि इसके ऊपर खर्चा नहीं होगा। संकट के समय इस विधान परिषद् पर क्यों इतना रुपया खर्च किया जा रहा है? उसको अधिकार भी क्या है, उससे लाभ भी क्या है? सुप्रीम बाडी तो विधान सभा ही है इसलिये विज्ञान परिषद् को रखने की क्या जरूरत है? हमने यह भी सुझाव दिया कि राज्यपाल को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्यों उनके ऊपर इतना रुपया खर्च किया जा रहा है? लेकिन आप मानते कहां हैं हमारे सुझावों को। आपका हाल तो वही है—"मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलें विरंचि सम।" आप हमारे सुझावों पर अमल करते नहीं हैं। हमारे सुझावों को मानने से आपकी सरकार बदल तो जायगी नहीं। आप गद्दी अपने पास ही रखिये लेकिन हमारे सुझावों को मान कर जनता का भला कीजिये। उधर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह झांकते हैं और कहते हैं कि क्या बोल रहा है। जरा वे लोग सोचें कि आजादी की लड़ाई में उन्होंने क्या किया? हम लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपनी जवानी को गंवा दिया। हमारी कुरबानियों की बदौलत ही आपको यह गद्दी है। आपको यह गद्दी मुबारक रहे। जिस प्रकार से हमने उस अंग्रेजी सरकार को हटाया, जुल्मों के खिलाफ लड़े और जुल्मों को खत्म किया उसी प्रकार से हम आपके जुल्मों के खिलाफ भी लड़ते रहेंगे और उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि आप सही रास्ते पर नहीं आ जाते।

माननीय वित्त मन्त्री जी इस बिल को वापस ले लें नहीं तो जब वे अपने क्षेत्र में जायेंगे तो वे गरीब किसान और मजदूर, वे माताएं और बहनें, जिनके पास पहनने के लिये कपड़ा नहीं, खाने को अन्न नहीं, दवा-दारू का बच्चों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं, पानी पीने के लिये कुएं नहीं, वह आपसे सवाल करेगा कि कहिये क्या इसीलिये आपने वोट मांगा था? आप उस समय क्या जवाब देंगे जरा उसको सोच लीजिये। आप तो किसानों के बड़े हिमायती रहे हैं, किसानों का आपके ऊपर बड़ा विश्वास रहा है, लेकिन अगर आप इस बिल को वापस नहीं लेंगे तो करोड़ों किसानों का विश्वास आप खो देंगे। इन शब्दों के साथ में माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस बिल को वे वापस ले लें अन्यथा उनकी सरकार नहीं तो कम से कम वे इस्तीफा दे दें। मैं इस बिल का विरोध करते हुए सदन से अनुरोध करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भेज दिया जाय।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उत्तर प्रदेश कर-विधि विधेयक है। इसका नाम आपने गलत रख दिया। इसमें स्टाम्प ऐक्ट, कोर्ट फीस ऐक्ट और सेल्स टैक्स की बात कही गयी है। "कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा।" इस प्रकार का यह टैक्स लगाया गया है। आप टैक्स लगायें, यह ठीक है। आपद्कालीन स्थिति है। लेकिन एक बात बतायें। समाजवाद की व्यवस्था तो दरकिनार रही कौन सी ऐसी जनतन्त्र प्रणाली है जहां न्याय को बेचने की व्यवस्था की गयी हो, जरा इस बात को बता दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोर्ट फीस बढ़ा दी जाय, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी जाय तो यह न्याय कहां का है? अगर गरीब आदमी कोई आपके यहां दुहाई के लिये आवे तो उसके लिये आपने सवा रु० कोर्ट फीस का बढ़ा कर डेढ़ रु० कर दिया, वकीलों के दाम भी बढ़ जायेंगे। कहीं नकल लेने की जरूरत पड़ी तो नकल लेने के वक्त भी टिकट पड़ा और दाखिल करने के वक्त भी टिकट पड़ा, तो यह न्याय बेचना नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब आपके राज्य में न्याय भी बेचा जाने लगा है। आप टैक्स लगावें, आप कहें कि १० हजार तक का ही सूट कम कोर्ट फीस पर दायर हो सकता है, लेकिन अगर कोई मामूली आदमी का कोई मामला हो, या कोई फौजदारी का मामला हो कि किसी न किसी को सामन्तवादी परिस्थिति के कारण दस जूते मार दिये हों और वह न्याय पाने के लिये आवे तो उसे ज्यादा कोर्ट फीस के कारण न्याय न पाने दिया जाना कहां का जनतन्त्र है और मैं कहूंगा कि क्या यही पंडित नेहरू का समाजवाद है? जनसंघ वाले इससे खुश होंगे स्वतन्त्र पार्टी वाले इससे खुश होंगे कि हमने तड़ातड़ लगा दिया और मुकदमा तो वह चलायेगा नहीं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पैसे के बल पर न्याय बेचा जायेगा। जो अदालतों में स्टाम्प ड्यूटी व कोर्ट फीस देगा वही न्याय पा सकेगा। इसके अलावा जो इक्के वाला, रिक्शे वाला बुधुवा-सुधुवा है वह न्याय नहीं पा सकेगा। ऐसा केवल समाजवाद के नाम पर, प्रजातन्त्र के नाम पर और अधिनायकवाद को चेक करने के नाम पर किया जा रहा है। मैं पंडित नेहरू के नाम पर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप न्याय मत बेचें। न्याय सस्ता से सस्ता होना चाहिये। अगर कहीं कोई कत्ल हो जाय और उसकी सुनवाई न हो तो न्याय पाने वाले के हाथ में यही हथियार रह जायगा कि या तो वह स्वयं आत्म-हत्या कर ले या अत्याचारी को मारने के लिये कानून को अपने हाथ में ले ले। यह उस तरह की स्थिति पैदा करने वाली परिस्थिति है जैसी परिस्थिति में जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी और स्पेन में जेनरल फ्रैंको जैसे फासिस्ट नेताओं का आविर्भाव हुआ था। आप जैसे विद्वान के जो शंकर की नगरी में पैदा हुए हैं, जहां पत्रम् पुष्पम् से ही शंकर जी खुश हो जाया करते हैं, और जहां पर लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं होती है, केवल अवढरदानी शंकर की पूजा होती है, कर कमलों से और उनकी बुद्धि से इस प्रकार का कर विधेयक नहीं आना चाहिये। यह कर विधेयक नहीं है बल्कि यह तो न्याय को बेचना है और न्याय की कीमत को बढ़ाना है। अगर यह विधेयक इस सदन में पास हो जाता है तो हम सभी अपने को बड़ी ही नाजुक घड़ी में डाल देंगे। इसलिये आप न्याय पर टैक्स न लगावें, इसके बजाय पूंजीपति बनियों पर टैक्स लगावें।

साथ ही साथ जो छोटे-छोटे सामान बेचे जायेंगे उन पर भी बिक्री-कर लगाने की बात है, यह कहां का समाजवाद है? अगर गल्ला उत्पादन करने वाले अपनी कोई समिति बना लें, या मजदूरों की कोई कमेटी बन जाय कारखाने वालों की और वह गल्ले की अदलबदल करे बिना मुनाफे के उस पर भी आप टैक्स ले लेंगे. यह समाजवाद आपने कहां से सीखा है बाबू जय-राम जी? आप अपने राम राज्य को किधर ले जाना चाहते हैं? किसान गल्ले को बेचे नहीं केवल बार्टर सिस्टम की तरह उस की अदलाबदली ही करे तो आप उस पुरानी परिपाटी को भी खत्म करने की फिक्र करते हैं और इस तरह से आप के टैक्स से कोई भी बचने वाला नहीं है और आप सिंगिल प्वाइन्ट का सिद्धांत भी नहीं मानते। आप देखें कि किस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार अलग, यहां की अलग कर लगाने का विचार करती है? जैसे फ्यूडलिज्म में होता था कि राजा अलग, महाराजा अलग जागीरदार अलग कर लगाते थे और उसी का नतीजा था कि फ्रेंच रिवोलूशन हुआ। उसी को खत्म करने के लिये आप ने जमींदारी खत्म की, लेकिन

अब आप फिर उन्हीं की परिपाटी अपनाने लगे हैं। मैं त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे दो-चार तर्कों पर विचार करें और टैक्स लगाना ही है तो उसे मोटों पर लगायें और छोटों से न बोलें, आप इस तरह से अपने राज्य में न्याय को न ढेवें। मैं एक बार फिर माननीय कमलापति जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि न्याय के नाम पर वे इस कर-विधि संशोधन विधेयक को वापस ले लें।

*श्री कमलासिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इधर और उधर दोनों ओर जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट किये हैं मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और मन्त्री जी ने भी बहुत-सी बातें इस के बारे में कही हैं लेकिन जहां तक मैं समझता हूं यह बड़ी लज्जा की बात होती है। हमारे प्रदेश में कोई भी आदमी जो सताया जाता है और रिलीफ मांगने आता है तो सब से पहला सवाल अदालत में उसके सामने यह उठता है कि पहले कोर्ट फीस दो और तब सुनवाई हो सकती है, हम इन्स्टीट्यूशन का पहले पैसा मांगते हैं और जब हम इन्स्टीट्यूशन से पहले पैसा लेते हैं तो फिर हम दूसरी जगह करप्शन कैसे रोक सकते हैं कि कोई किसी काम के लिये पहले पैसा न ले, सभी फीस पहले लेंगे, सरकार खुद ही ऐसी प्रेरणा देती है और वह जब खुद ही उसको करा रही है तो हम किसी को कैसे रोक सकते हैं? जिस तरह की विदेशों में न्याय के लिये कोई कोर्ट फीस नहीं है तो मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जब आप राम राज्य की बात करते हैं और सत्य की बात कहते हैं तो हमारे यहां भी लोगों को फ़्री न्याय मिलना चाहिये, यह हमारा अधिकार है।

जहां तक वकालतनामे का सवाल है उस पर पहले १२ आने का टिकट लगता था, फिर वह १५ आने का हुआ फिर १ रुपया हो गया और फिर २० आने हुआ और अब वह डेढ़ रुपया होने जा रहा है। मोटर पर ५ प्रतिशत बढ़ा है तो यहां पर २० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। एक तरफ तो एलान किया जाता है कि हम गरीबों की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर कोई आदमी १ हजार रुपये तक का दावा करता है तो एक लम्पसम आप उस से मांगते हैं। आज आप को ऊपर के लोगों पर कर बढ़ाना और नीचे के लोगों पर उस का भार कम करना था। कोर्ट फीस में भी ग्रेडेशन होना चाहिये था, लेकिन आप का न्याय बिलकुल उल्टा जा रहा है। बाहर और सदन में बार-बार उधर से कहा जाता है कि हम गरीबों की रक्षा करते हैं और होता है उसका बिलकुल उल्टा, गरीब को लूटा जाता है और अमीरों को शेल्टर किया जाता है। ७ करोड़ से २७ करोड़ मालगुजारी हो गई और उस का कभी एक पैसा बाकी नहीं रहता लेकिन सेल्स टैक्स जो दूकानदारों से आयेगा उसका साढ़े सात करोड़ बाकी है जिस के लिये सदन में रोज लड़ाई-झगड़ा होता है। तो यह न्याय नहीं है कि गरीबों की मालगुजारी २५ परसेंट बढ़ेगी और जो यह कहा गया था कि वसूली उसकी दो किस्तों में होगी वह एक ही किस्त में की जा रही है। उनको थोड़ी-सी आप राहत दीजिये। बढ़िया औजार, सिंचाई का प्रबन्ध और अच्छा बीज दीजिये। किसान के यह हित में होगा और वह देश को आगे ले जा सकता है वर्ना देश आगे जाने के बजाय खत्म हो जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय (ज़िला गाजीपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कोई माननीय सदस्य सेक्रेटरी के बराबर में बैठ सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

जितने एग्रीकल्चरल फार्म खोले गये सब घाटे पर जा रहे हैं। किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। भानुप्रताप सिंह जी ने कहा सदन के अन्दर कि यहां के किसान का कम्पीटीशन अमेरिका से किया जाता है। सरकार किसान से कहती है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस आदमी के स्टैंडर्ड को बढ़ाने की आप कोशिश करते हैं पहले उसका उत्थान करें और उसका स्टैंडर्ड मेनटेन करने के लिये उसको जितनी रकम की जरूरत होती है उसे छोड़ दें और उसके बाद जो बचे वह सब ले लें। वह आपके टैक्स की परवाह नहीं करता। हर किसान चाहता है कि अधिक से अधिक टैक्स दिया जाय, लेकिन साथ ही साथ यह भी सोचना होगा कि उसके प्रोडक्शन में जो खर्च होता है उसे निकाल दिया जाय और उस पर जिनकी जीविका निर्भर है उनके खर्चे को निकाल दिया जाय और फिर जो बचे उसे टैक्स के रूप में आप ले लें तो किसान को कोई एतराज नहीं होगा।

एक आदमी दिन रात मेहनत करता है। उसकी कमाई आप मुफ्त में लेना चाहते हैं और उसे काफी भोजन कपड़ा भी नहीं देना चाहते। ऐसी परिस्थिति देश के सामने आप लायेंगे तो क्या होगा? सर्वनाश होगा। आप को देखना यह है कि किसान जिन्दा रहे, उसका मनोबल बढ़े और वह देश को आगे ले जाय और उसके बाल-बच्चों की जीविका के लिये जितने धन की जरूरत है वह उसे प्राप्त हो सके। ऐसा न हो कि टैक्स लगने से किसान खेती छोड़ कर शहर की तरफ भागे। खेती का कोई ठिकाना नहीं है। बाढ़ और सूखे तक उसे परेशानी होती है। सरकार समझती है कि यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और सारा सोना एकदम उसे मार कर निकाल लो। मेरा कहना है कि मुर्गी जिन्दा रहेगी तो आपका भी भला होगा, मुल्क का भी भला होगा और किसान का भी भला होगा। आप यही कोशिश करें कि एक-एक अंडा नेचुरल वे में निकाला जाय और ऐसा करने पर आपका डेवलपमेंट का प्रोग्राम ठीक तरह से चल सकेगा और किसान का भला होगा और आपका भी भला होगा। इसके बाद में एक बात एलेक्शन पेटीशन पर टैक्सेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि डेढ़ सौ से दो सौ रुपया किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कमलासिंह जी, आज के समय तक आप समाप्त कर दें।

श्री कमलासिंह यादव—

कल जब आइटमवाइज लेंगे तो कोई ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। कल दिन भर इस श्रीमन् को चलाना है, तो समय का उपयोग तो हम लोग कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा बोलिये।

श्री कमलासिंह यादव—

तो जहां तक एलेक्शन पिटीशन का सवाल है, सभी जानते हैं कि वोटर को भी एलेक्शन पेटीशन दाखिल करने का अधिकार है। कैन्डिडेट के ऊपर अगर यह एमाउन्ट रखते तो यह कहा भी जा सकता था कि कैंडीडेट एक दूसरे को डिफीट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई वोटर तो कोर्ट में तभी आयेगा जब सही बात होगी, वाकई में कोई इर्रेगुलैरिटी हुई होगी। तो एलेक्शन पेटीशन में इतनी फीस रखने के माने हैं कि एक तरह से उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो करप्शन का आधार लेकर या अनड्यू प्रेशर डाल कर जीत जाते हैं और उन लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है जो यह जानते हैं कि करप्ट मीन्स से कोई आदमी कोई पद पा गया है। अगर कोई प्रिविलेज पेटीशन आये तो आप सख्त से सख्त पेनाल्टी दिलायें ताकि ऐसी पेटीशन्स चेक हो सकें; लेकिन यह जो इस तरह से चेक लगाया जा रहा है इससे साफ जाहिर है कि सरकार खुद चाहती है कि करप्शन बढ़े। इतनी कोर्ट फीस लगाने से जो कांग्रेस के आदमी अधिक तादाद में आ रहे हैं, मैं यह नहीं कहता कि हर आदमी करप्ट मीन्स से ही आ रहा है, लेकिन जो लोग वाकई करप्ट मीन्स से आये हैं अगर उनको हम हटाना चाहें तो नहीं हटा सकते। इसलिये मैं चाहूंगा कि एलेक्शन पेटीशन में जो कोर्ट फीस बढ़ाई गयी है उसको बिलकुल खत्म कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कल जारी रखियेगा।

२२ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १–२ से सम्बद्ध शाहजहांपुर के गांधी फैजे आम कालेज के झगड़े को निबटाने के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री उपाध्यक्ष—

अब आइटम नम्बर १३ शुरू होगा। माननीय राजेन्द्रसिंह।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाहजहांपुर फैजेआम डिग्री कालेज के बारे में मैंने जो दो प्रश्न दिये थे उनका २२ तारीख को उत्तर मिला, परन्तु....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मन्त्री, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

शिक्षा उप-मन्त्री (श्री केशभान)—

एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्रसिंह—

वह अमेंडमेंट अपने भाषण में कर लें, उन्हें मौका मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई क्लेरिफिकेशन की बात कहते हैं तो सुन लीजिये।

श्री केशभान—

उस दिन उत्तर में जो संलग्न विवरण दिया गया था उसकी १०वीं पंक्ति में विदाई समारोह का आयोजन किया "इसके पहले कालेज के इन्टर फाइनल की छात्राओं ने" यह छूट गया था इसे जोड़ कर पढ़ा जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह—

तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि वे प्रश्न २२ तारीख को क्रम संख्या १ और २ पर आये थे, परन्तु विभिन्न कारणों से उस दिन क्वेश्चन आवर नहीं हो सका। ये प्रश्न इतने महत्व के हैं कि यदि मैं उनकी तफसीली बयान ही सदन में रख दूं और कोई अन्य बात न कहूं तो भी सारी बात स्पष्ट हो जायंगी। खैर, मन्त्री जी तफसीली बयान अभी पढ़ेंगे इसलिये उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

मान्यवर, यह डिग्री कालेज शाहजहांपुर में है जिसमें गांधी जी के नाम का उपयोग किया है। उसके मैनेजर उन देशद्रोही अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के द्योतक रहे हैं जिसने हमारे देश का विभाजन किया है, वे उन प्रवृत्तियों के कर्णधार रहे हैं और आल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी रहे हैं और आज भी सी० आई० डी० की रिपोर्ट उनके खिलाफ इस प्रकार की है कि उनका गुप्त रूप से पाकिस्तान से पत्र व्यवहार है। इसी आधार पर भारत माता के प्रतीक स्वरूप जो कालेज के प्रागंण में कालेज के यूनियन के सदस्य उत्सव मनाते रहे हैं उन्होंने भारत माता की मूर्ति की स्थापना २६ जनवरी को की और समारोह मनाया। उसमें कालेज के अधिकारियों ने भाग नहीं लिया। यह सरे आम देश द्रोही प्रवृत्ति का प्रदर्शन है।

मान्यवर, यह कहा जाता है कि विद्यार्थी उद्दंड होते जा रहे हैं, लेकिन इस बयान से जिसे मन्त्री जी अभी सदन में पढ़ेंगे उससे स्पष्ट होगा कि ऐसे तत्व अध्यापकों में भी हैं और मैनेजमेंट में हैं, कालेज में हैं, जो इस तरह का विद्यार्थियों का जो राष्ट्रीय भावना का व्यवहार है, जो नई उमंग प्रजातन्त्र की उनमें जागृत हो रही है, उस पर कुठाराघात करते हैं और राष्ट्र के विरुद्ध

[श्री राजेन्द्रसिंह]

भावनाओं से ओतप्रोत हुए ये देशद्रोही अध्यापक उनकी राष्ट्रीय भावनाओं पर कुठाराघात करते हैं। इस बात का द्योतक यह कालेज है। स्वतन्त्र देश के विद्यार्थी ऐसे अध्यापकों का तिरस्कार करेंगे ही—यह उनका पुनीत कर्तव्य है।

मान्यवर, तफसीली बयान में कहा गया है कि लड़कों के द्वारा आयोजित किया गया विदाई समारोह का उत्सव बन्द कमरे में मनाया जा रहा था। उसमें शायरी तथा मौक टाइटिल्स के द्वारा एक दूसरे पर लड़की तथा मास्टर उपाधियां दे रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था, अभद्र व्यवहार हो रहा था विद्यालय की छात्राओं के साथ, यही शब्द मैं कह सकता हूं अन्य शब्द नहीं कह सकता हूं। जब यूनियन के अध्यक्ष को इसकी सूचना मिली कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में, चाहे वे लड़के हों या लड़कियां हों, ऐसा अभद्र व्यवहार बन्द कमरे में हो रहा है, तो वह वहां गया और उसने किवाड़ खटखटाये और बमुश्किल तमाम किवाड़ खुले। उसने खिड़की से, चाहे वह शीशे की हो या किसी की हो, शायरी सुनी और वहां पर ऐसा अभद्र व्यवहार हो रहा था जिससे उसे रोष आया और किसी भी नवयुवक को अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ विशेषतः छात्र बहिनों के साथ ऐसा व्यवहार होने पर आता। इसलिये उसे पूछना पड़ा कि आप इस तरह से बन्द कमरे में विदाई समारोह क्यों मना रहे हैं। इस पर बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया और एक्सपेल कर दिया। उसने भूख हड़ताल की तो उसे जेल भेज दिया। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब उसको एक्सपेल कर दिया गया तो भूख-हड़ताल करने पर जेल क्यों भेजा गया? यह शांति ढंग से उस की मांग थी। उस मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के विरुद्ध जिन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। उपरोक्त बातों से यह प्रतीत होगा कि मैनेजमेंट के लोग और यहां के ऐक्टिंग प्रिंसिपल देशद्रोही हैं इनके विरुद्ध कड़ा कदम उठाया जावे। इसमें विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है। यह माननीय मन्त्री जी के तफसीली बयान में है कि कालेज के अधिकारियों और छात्रों के बीच में अमनस्यता के दो कारण हैं :—"कालेज के अधिकारी भारत माता के प्रतीक की स्थापना के विरोधी रहे हैं और उसे पुनः हटा देने के लिये प्रयत्नशील हैं। भारत माता के प्रतीक की स्थापना के विरोधी होना देशद्रोहिता का सबूत है और कालेज के अधिकारियों ने श्री सक्सेना को कालेज से निकाल देने का जो आदेश दिया है उसे यूनियन वाले बदले की भावना से प्रेरित मानते हैं।" तो यह बदले की भावना नहीं है अध्यापकों की तो और क्या है? मान्यवर, मैं सिर्फ दो शब्द और कहना चाहूंगा कि ऐसी घटना, जो राष्ट्रीय भावना पर कुठाराघात करती हो जो उसके दोषी हों उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाय।

मान्यवर, जिलाधीश शाहजहांपुर ने शायद आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर से सम्पर्क स्थापित करके बाद को आदेश दिया कि यूनियन प्रेसीडेंट, सक्सेना का निष्कासन वापस लिया जाय। उसके उत्तर में जो पत्र प्रिंसिपल ने लिखा है जिलाधीश को वह बहुत ही आपत्तिजनक है और उसका उसके उत्तर में शायद जिलाधीश ने भी बहुत कठोर पत्र लिखा है। इन सब बातों की जांच की जानी चाहिये और जो इसके दोषी हों, ऐसे मैनेजमेंट पर या ऐसे अध्यापकों पर तुरन्त पाबन्दी लगनी चाहिये। मैनेजमेंट भंग किया जाना चाहिये और ऐडमिनिस्ट्रेटर कायम किया जाना चाहिये अथवा अराष्ट्रीय तत्वों से भरे ऐसे कालेज में ताले डलवा दें। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री केशभान—

अध्यक्ष महोदय, यदि इजाजत हो तो मैं यहां पर जो वक्तव्य दिया गया था चूंकि सब सदस्यों को मालूम नहीं होगा, इसलिए उससे उनको अवगत करा दूं।

"गांधी फैजेआम डिग्री कालेज शाहजहांपुर में स्थित है। कालेज की मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स यूनियन के बीच कुछ समय से कालेज के प्रांगण में भारतमाता की प्रतीक स्थापना के सम्बन्ध में मतभेद चल रहा था। यूनियन की ओर से ऐसा प्रतीक स्थापना करने के स्थान के लिए जनवरी, १९६२ के प्रारम्भ में अनुमति मांगी गई थी किन्तु मैनेजमेंट की ओर से अनुमति प्रदान नहीं की गयी। इस वर्ष ८ जनवरी को यूनियन की ओर से भारत माता का प्रतीक कालेज

के प्रांगण में स्थापित कर दिया गया। २६ जनवरी, १९६३ को यूनियन ने गणतंत्र दिवस का समारोह इस प्रतीक के सामने मनाया। कालेज के अधिकारियों ने यह समारोह दूसरे स्थान पर मनाया। इसके कारण वातावरण में तनातनी बढ़ गई। कालेज के इन्टर फाइनल के छात्राओं की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया जिसमें उनके शिक्षक भी आमंत्रित थे। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र मोहन सक्सेना एक अन्य छात्र के साथ वहां पहुंच गये। श्री सक्सेना ने समारोह का विरोध किया। एंक्टिंग प्रिंसिपल और श्री सक्सेना में बहुत गरमा-गरमी हो गई। इस पर प्रिंसिपल ने श्री सक्सेना को कालेज से निष्कासित (एक्सपेल) कर दिया। २५ फरवरी, १९६३ को श्री सक्सेना और कालेज के एक और अन्य छात्र श्री बालमुकुन्द अग्रवाल कालेज में भूख-हड़ताल के लिए बैठ गए। शान्ति भंग होने की आशंका के कारण जिला अधिकारियों ने भूख-हड़तालियों को २७ फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। श्री बालमुकुन्द अग्रवाल ने २७ फरवरी को माफी मांग ली और उसी दिन उन्हें रिहा कर दिया गया। श्री सक्सेना १८ मार्च को शान्ति रखने के लिये जमानत मुचलका देने पर रिहा कर दिये गये। उपरोक्त बातों से यह प्रतीत होता है कि कालेज के अधिकारियों और छात्रों के बीच वैमनस्यता के दो कारण हैं :—

१—कालेज के अधिकारी भारत माता के प्रतीक की स्थापना के विरोधी रहे हैं और उसे पुनः हटा देने के लिये प्रयत्नशील हैं।

२—कालेज के अधिकारियों ने श्री सक्सेना को कालेज से निकाल देने का जो आदेश दिया है उसे यूनियन वाले बदले की भावना से प्रेरित मानते हैं।

जिलाधीश, शाहजहांपुर दोनों पक्षों के बीच शान्तिपूर्ण ढंग से मतभेद निबटाने का प्रयास करते रहे हैं। किन्तु अभी तक इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है।"

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अधिकारी जो भारतमाता के प्रतीक को पुनः हटा देने के लिए प्रयत्नशील हैं वह न हटने पाये, इसके लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री केशभान—

जहां तक उन्हें सलाह देने का प्रश्न है उन्हें यह सलाह दी गई है कि अब जब यह स्पष्ट हो गया कि मूर्ति लगाते समय उसका कोई सक्रिय प्रतिरोध नहीं किया तो अगर उसे हटाने की जरूरत है तो वह कोर्ट की शरण लें। इस प्रकार की सलाह उनको दी गई।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय मूर्त्ति वहां पर स्थापित की गई उस समय क्या मैनेजमेंट ने कोई इसके बारे में विरोध किया था ? यदि किया था तो आज हटाने का क्या कारण है और सरकार क्यों नहीं मैनेजमेंट को मजबूर कर रही है कि वहां पर मूर्त्ति स्थापित रहे ?

श्री केशभान—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि जब वहां पर मूर्ति स्थापित की गई तो उसका कोई सक्रिय विरोध नहीं किया गया। इसके माने यह नहीं हैं कि वहां पर वह रख दी गई और जायज रख दी गई। उसको रखने का अधिकार उनको था या नहीं, वहां पर वह रहनी चाहिये या नहीं, इसमें इस तरह के बहुत से कानूनी प्रश्न हैं। वहां पर यदि वह मूर्त्ति रख दी गई तो यह नहीं मतलब है कि उनको अधिकार है या उनको साधिकार रखने की अनुमति है। चूंकि वह रख दी गई तो उसके लिये यह सलाह दी गई कि आगे उसको वहां से हटाने की कार्यवाही जबरदस्ती न की जाय, बल्कि अदालत से वह कार्यवाही कराई जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस स्टेटमेंट में यह कहा गया कि २६ जनवरी, १९६३ को यूनियन ने गणतन्त्र दिवस समारोह की प्रतीक इस मूर्ति के सामने मनाया गया और कालेज के अधिकारियों ने उस समारोह में भाग नहीं लिया और दूसरे स्थान पर मनाया तो क्या यह भावना राष्ट्रीय विरोधी भावना नहीं है जो कि २६ जनवरी का उत्सव अध्यापकों और छात्रों को एक स्थान पर राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होकर मनाना चाहिये था ? यदि हां तो ऐसे अध्यापकों को, जो राष्ट्रीय भावना के विरोधी हों, उनको निष्कासित करने का वचन देंगे ?

श्री केशभान---

इस प्रकार का वचन देने का प्रश्न नहीं उठता है। जो कालेज के अधिकारी थे उन्होंने वहां पर झंडा फहराया था उनका आदेश वहीं के लिये था और वहीं पर उन्होंने उत्सव मनाने की तैयारी की थी।

श्री टंम्बेश्वरीप्रसाद---

आपने यह नहीं कहा कि सरकार ने क्या यह सुझाव दिया कि उसको हटाने के लिये अदालत की शरण में जाओ या वहीं रहने दें और वह लगी ही रहेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने यह सुझाव क्यों दिया कि उसको हटाने के लिये अदालत में जाओ ?

श्री केशभान---

सरकार ने यह सलाह नहीं दी कि हटाओ या न हटाओ। इतना कहा गया कि उसको बल-पूर्वक न हटाओ। यदि हटाना हो तो कानून का सहारा लेकर हटाओ।

श्री राजेन्द्रसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इस बात से राष्ट्रीय भावना को बहुत ठेस लगी है और भारतमाता की प्रतीक मूर्ति को हटाना राष्ट्रीय भावना के विरोधी है तो निश्चय रूप से आदेश देंगे कि भारतमाता की मूर्ति कालेज के प्रांगण से न हटाई जाय जिससे नवयुवकों के हृदय के अन्दर दुर्भावना उत्पन्न न हो सके ?

श्री केशभान---

यथा समय सरकार जो उचित समझेगी करेगी।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे जैसा कि वहां के अध्यापकों और मैनेजमेंट कमेटी के कृत्यों से जाहिर है कि उनकी भावना राष्ट्र विरोधी है, तो वहां के मैनेजर और वहां के अध्यापकों के बारे में इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री केशभान---

अभी मैंने बतलाया कि निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उनकी राष्ट्र विरोधी भावना है या नहीं। अपना-अपना दृष्टिकोण है। जब सरकार के सामने विचार करने का समय आयेगा तो वह हर पहलू पर विचार करेगी और जो उचित समझेगी करेगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि उक्त कालेज के मैनेजर मुसलिम लीग के मंत्री रहे हैं और आज भी सी० आई० डी० की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान से उनका पत्र व्यवहार चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज कल की इमर्जेन्सी को देखते हुये क्या डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के मातहत वह कोई कार्यवाही उन लोगों के विरुद्ध करने जा रहे हैं जो दोषी हैं ?

श्री केशभान---

मैंने बतलाया कि इमरजेंसी स्टेज में सरकार सजग है और जो सरकार उचित समझेगी करेगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बिदायी समारोह लड़कियों का हुआ था उसमें लड़कों को भी आमंत्रित किया गया था या केवल लड़कियों का ही विदायी समारोह हो रहा था और क्या वह बन्द कमरे में किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार ने जांच की कि वह बन्द कमरे में क्यों किया गया था और क्या लड़कों को उसमें भाग न लेने की कोई आज्ञा दी गयी थी ?

श्री केशभान—

जैसी सूचना है उसके अनुसार लड़कियां जो फाइनल क्लासेज में रहती हैं वह जाते समय टीचर्स को विदायी देती हैं और उसमें टीचर्स आमंत्रित किये जाते हैं। उसी प्रथानुसार इस साल भी विदायी का समारोह हो रहा था। यहां पर कोई ऐसी सूचना नहीं है कि वह बन्द कमरे में मनाया जा रहा था। जहां तक सूचना है उसके हिसाब से वे दोनों लड़के आमंत्रित नहीं किये गये थे, लेकिन सक्सेना साहब वहां गये और कुछ देर तक बैठे रहे। उसको वह देखते रहे। उस समय मार्क टाइटिल्स दिये जा रहे थे और उसमें कुछ हंसी भी हो रही थी। इसे देख कर सक्सेना जी ने उन लोगों को बुरा भला कहा कि यह चीज अच्छी नहीं है । टीचर्स को ऐसा नहीं करना चाहिये और इसी पर कहा सुनी हो गयी और बात बढ़ गयी।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह फंक्शन एक बन्द कमरे में हो रहा था और लड़कियों के साथ अश्लील वार्ता हो रही थी और इसकी सूचना पाकर ही श्री सक्सेना वहां गये और इसी बात पर झगड़ा हुआ ?

श्री केशभान—

मैंने पहले ही बतलाया कि वहां पर मार्क टाइटिल्स दिये जा रहे थे और उसमें हंसी हो रही थी। क्या सूचना पाकर वह वहां गये अथवा बिना सूचना पाये वह वहां पहुंचे, इसकी सूचना यहां नहीं है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

मंत्री जी ने बतलाया कि यह आदेश जारी किये गये हैं कि जबरदस्ती उसे वहां से हटाया न जाय परन्तु यदि अधिकारी चाहें तो कोर्ट में जाकर उसे वहां से हटाने की कार्यवाही कर सकते हैं। तो जैसी वहां के अधिकारियों के बारे में बात है कि वे भारतमाता के विरोधी हैं और यह बात माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है, तो ऐसी स्थिति में वहां सम्भव है कि इस मुकदमें बाजी को लेकर विद्यार्थियों में और मैनेजमेंट में कुछ संघर्ष हो जाय आगे चल कर, इसलिये क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करेगी कि वह स्वयं अपना प्रतिनिधि वहां भेजे, वहां की स्थिति का पता लगाये, विद्यार्थियों से मिले, मैनेजमेंट से मिले और वहां उसके रहने या न रहने के लिये स्पष्ट आदेश दे ताकि यह मामला साफ हो ?

श्री केशभान—

इसके लिये डी० एम० प्रयत्नशील हैं और प्रयास किया जा रहा है और आशा की जाती है कि दोनों वर्गों में समझौता हो जाय। अगर समझौता न हो सकेगा तो जो सरकार उचित समझेगी करेगी।

श्री राजेन्द्रसिंह—

माननीय मंत्री जी को अगर सूचना नहीं है, तो क्या वे इस बात की जांच करायेंगे कि वहां के मैनेजमेंट के जो प्रेसीडेंट हैं वे छोटे खां साहब और जिनका दूसरा नाम फजल रहमान है वे बड़े पुराने मुसलिम लीगी हैं और आल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी रहे हैं और सी० आई० डी० की रिपोर्ट उनके बारे में है कि उनका गुप्त-पत्र-व्यवहार पाकिस्तान से है इस समय.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह सवाल तो आप पहले कर चुके हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह—

मैं अब जांच की मांग कर रहा हूं। तो इस हालत को देखते हुए किसी भी प्रकार वहां हिन्दू-मुसलिम टेंशन न बढ़ने पाये इसलिये वहां के मैनेजमेंट को भंग करके, सुपरसीड करके क्या सरकार वहां कोई एडमिनिस्ट्रेटर भेजने की बात पर विचार करेगी?

श्री केशभान—

ऐसा कोई प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बार-बार मंत्री जी दे रहे हैं लेकिन शर्म मुझे आ रही है। क्योंकि इस पर हम लोगों ने तीन स्पष्ट प्रश्न किये। पहला प्रश्न था कि क्या भारतमाता का जो चित्र है वह वहां से हटवाने का सरकार विचार कर रही है ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का रवैया कब तक ऐसा ही रहेगा (व्यवधान) मैं आपसे ही अपील कर रहा हूं। जिस प्रकार का उत्तर मिला है उससे खामखाह रोष आ जाता है। या तो माननीय मंत्री जी अधिकारियों के साथ कनाइवेंस कर रहे हैं और इसलिये इधर-उधर के उत्तर दे रहे हैं और बार-बार कह रहे हैं कि सरकार जो उचित समझेगी, करेगी। अभी उन्होंने जवाब दिया कि वहां भारतमाता का चित्र स्थापित हो गया है। यह भी बताया उन्होंने कि २६ जनवरी के फंक्शन में अधिकारियों ने वहां के भाग नहीं लिया और यह भी उन्होंने बतलाया कि वहां के मैनेजमेंट ने यूनिवर्सिटी तक के आदेश को नहीं माना।

(व्यवधान)

अब किस दिन कार्यवाही करेंगे। कुछ तारीख निश्चित कर दी जाय, उसके बाद हम पूछें कि क्या कार्यवाही आपने की है और क्या नहीं की है। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को भारतमाता की मूर्ति सारे प्रदेश के स्कूलों में लगवा देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी उस तिथि को निश्चित रूप से बता सकेंगे, जिस दिन वह हमको यह बता सकेंगे कि भारतमाता की मूर्ति वहां से नहीं हटेगी ? हम उस दिन का इन्तजार करेंगे।

श्री केशभान—

कल क्या होगा, और कल की घटनायें क्या रूप धारण करेंगी, यह अगर माननीय सदस्य बता सकें, तभी बताया जा सकता है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

श्रीमन्, यह तो ऐसी बात है कि जिसमें मैं क्या बताऊं। इसमें चित्र का कोई सवाल ही नहीं है। सरकार ने उस गांधी फैजेआम कालेज को रिकग्निशन.....।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मुझे भी अवसर दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायें, मैं आप को अवसर दूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि जब वह इस बात को मानते हैं कि लड़कियों का विदाई समारोह हो रहा था और उसमें उपाधि वितरण हो रहा था, उस समय वहां पर कालेज यूनियन के प्रेसीडेंट गए थे। उन्होंने उस पर आब्जेक्शन किया। तो क्या यह भी एक कारण था जिसके ऊपर प्रिंसिपल ने नाराज होकर मदनमोहन सक्सेना को एक्सपेल किया और उनको शांति भंग होने का बहाना करके गिरफ्तार करवाया जिसके परिणामस्वरूप कालेज की शांति व्यवस्था में खलल पड़ी। यदि हां, तो सरकार ने उसकी क्या जांच करवाई ?

श्री केशभान—

जो घटना वहां पर विदाई समारोह के समय हुई, उसमें कुछ गरमा गरमी हो गई। जो श्री सक्सेना ने कार्यवाही की, उसको प्रिंसिपल ने अच्छा नहीं समझा। इसलिये उन्होंने उस कार्यवाही के आधार पर उनको एम्सपेल किया। यह भी कहा जा चुका है कि यूनियन वाले यह मानते हैं कि केवल वही घटना नहीं है और भी कई घटनाओं का उससे सम्बन्ध है। उन्हीं के आधार पर वह एम्सपेल किए गए। जो वहां के प्रिंसिपल को अधिकार हैं उन्हीं के अन्दर यह कार्यवाही कर रहे हैं और की है।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह प्रतीत होता है कि उस कालेज की मैनेजिंग कमेटी एक विशेष दल की है। उस आधार पर वह भारतमाता की मूर्त्ति को हटाना चाहते हैं। उनकी बोनाफाइडी में शुबह प्रतीत होता है। इसलिये क्या उस मैनेजिंग कमेटी को भंग करके कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेंगे और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री केशभान—

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बतलाया कि एक तो हमें इसका अधिकार नहीं है। दूसरे अभी उसका प्रश्न सरकार के सामने नहीं है। अभी इसी बात का प्रयास किया जायगा कि वहां पर समझौता हो जाय और ऐसी परिस्थितियां वहां पर न पैदा हों। लेकिन अन्त में जो कुछ करना आवश्यक होगा और जो सरकार उचित समझेगी, वह कार्यवाही करेगी।

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वहां पर मैनेजमेंट वाले उस मूर्ति को हटाना चाहते हैं और लड़के उसको रखना चाहते हैं, तो उस मूर्ति का अंग-भंग न हो जाय, उसकी सुरक्षा के लिये कोई प्रबन्ध करेंगे क्योंकि यह मैदान में है ?

श्री केशभान—

महोदय, कालेज के अधिकारी स्वयं इस बात से सशंक हैं। उनमें एक भाव यह भी हो सकता है कि कहीं भारतमाता की मूर्ति डिसफिगर न हो जाय। उस स्थिति से फिर और भी बहुत सी बातें पैदा हो सकती हैं। इसीलिये वह खुद भी सजग हैं और पुलिस भी सजग होगी। मेरा ऐसा खयाल है। इस सम्बन्ध में उचित रूप से सजग रहने के लिये पुलिस कार्यवाही करेगी।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने फरवरी में ही जिलाधीश को एक पत्र लिखा था कि अध्यापकों और गर्ल्स का गलत सम्बन्ध होने के कारण गर्ल्स स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिये प्रबन्ध किया जाय ?

श्री केशभान—

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह---

क्या सरकार जो पत्र-व्यवहार जिलाधीश से वाइस-चांसलर का, जिला निरीक्षक और जिलाधीश के बीच, यूनियन और जिलाधीश के बीच, और अन्य पत्र-व्यवहार जो मैनेजमेंट और जिलाधीश के बीच हुये हों, उनकी इन्क्वायरी सी० आई० डी० से करवा कर उन सब को इस सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिससे वास्तविक स्थिति का ज्ञान सदन को हो सके ?

श्री केशभान---

जब उनकी मांग की जायगी तो, जो उचित होगा, किया जायगा ।

श्री राजेन्द्रसिंह---

मैं मांग करता हूं कि जो कुछ लिखा-पढ़ी इस सम्बन्ध में वाइस-चांसलर, जिलाधीश, जिला विद्यालय निरीक्षक, यूनियन और मैनेजमेंट के बीच हुई है उन सब को सदन के सामने रखें जिससे हम इस पर विचार कर सकें और भविष्य में हिन्दू-मुसलिम झगड़े इस प्रदेश में न हो सकें और शाहजहांपुर की स्थिति खतरे में न पड़े और साथ ही जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक पुलिस के द्वारा भारत की प्रतीक भारतमाता की मूर्ति की सुरक्षा रखी जाय क्या इसके लिये आदेश देने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप, शिक्षा मंत्री जी, इसका सीधा जवाब दें कि आया आप रखने को तैयार हैं या नहीं ?.

श्री केशभान---

जब लिख कर दिया जायगा कि किस-किस पत्र की मांग है और जैसा आदेश होगा उस पर विचार किया जायगा । बहुत से पत्रों की मांग की गयी है । जब लिख कर मांग की जायगी और आप आदेश देंगे, तब सरकार, जिन्हें उचित समझेगी, उन्हें दे देगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

जो सम्बन्धित पत्रादि हैं उनको आपको सदन में रखने में क्या आपत्ति है ?

श्री केशभान---

जो सम्बन्धित हैं और जिनको आप आदेश देंगे, उनको देने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री राजेन्द्रसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक कोई निश्चित आदेश जिला अधिकारियों को देंगे कि उक्त प्रतिमा की सुरक्षा के लिये इन्तिजाम वहां अवश्य कर दिया जाय जिससे कोई उसको तोड़ फोड़ न सके और विद्यार्थियों का निष्कासन तब तक के लिये वापस हो जायगा जब तक कि निर्णय न हो जाय ?

श्री केशभान---

जहां तक विद्यार्थियों के निष्कासन का प्रश्न है, सरकार से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वह सरकार के हाथ में नहीं है । जहां तक मूर्ति का सम्बन्ध है, जिला अधिकारियों को अधिक सजग रहने के लिये कह दिया जायगा ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---

उपाध्यक्ष जी, यह तो मंत्री जी से कहलवा दीजिये कि उस मूर्ति को कोई तोड़ फोड़ न डाले, इसके लिये प्रबन्ध अवश्य कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने कह तो दिया । अब यह समाप्त होता है ।

२९ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न ६–८ से सम्बद्ध गोरखपुर तथा अन्य जिलों में एच० टी० सी० तथा जे० टी० सी० में सरकार द्वारा नामजदगी के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मूल प्रश्न की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा जिस पर मैंने नियम ५० की सूचना के अन्तर्गत विवाद की मांग की थी। उस प्रश्न सख्या ६–८ में यह उत्तर दिया गया कि अभ्यार्थियों को जात-पात के आधार पर मनोनीत नहीं किया जाता है। इसलिये अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के मनोनीत व्यक्तियों का कोई रिकार्ड नहीं है। यह उत्तर था सरकार का। प्रश्न यह था कि गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर बलिया, गाजीपुर आदि जिलों में कुल कितने आवेदन-पत्र आये, उसमे से कितने पिछड़े वर्ग के लोगों के थे तथा कितने अनुसूचित जातियों के थे। सरकार उसका उत्तर देने में असमर्थ रही। शिक्षा मंत्रालय जरूर यह दावा करने का प्रयत्न करता है कि वह बहुत पाकसाफ मंत्रालय है, लेकिन यह बिलकुल गलत है। उसने जो यह उत्तर दिया कि जात-पात के आधार पर मनोनीत नहीं किया जाता, यह उसकी भावना के विपरीत है। नियम और कायदों के विपरीत है, इस विभाग ने उस कानून को और कायदों को रौंदा है और जो इस सरकार की परम्परा रही है उसको इस मंत्रालय ने कलंकित किया है और पूरे प्रदेश तथा हिन्दुस्तान के अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के लोगों में एक अविश्वास पैदा किया है। मैं यह निवेदन करूगा कि इस उत्तर से उन अधिकारियों को उन मान्यताओं को रौंदने का मौका मिलेगा। फिर तो न कलेक्टर उस १८ प्रतिशत के कायदे को मानेंगे, न जिला परिषद् मानेंगी, न इस्पेक्टर आदि मानेंगे, और सीधे-सीधे यह उत्तर दे दिया जायेगा, हम जात-पांत के आधार पर कोई बात नहीं करते। मेरा आप से निवेदन है कि इस मंत्रालय ने पूरे प्रदेश में और हिन्दुस्तान में इस सरकार को बदनाम किया है। मैं वह कारणों को जानना चाहता हूं कि जिनके आधार पर अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लोगों को यह १८ प्रतिशत का रेजर्वेशन नहीं दिया गया।

प्रश्न ६ से सम्बन्धित जो तालिका दी गयी, उस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मिर्जापुर में १८३ आवेदन-पत्र आये कुल, सब मिला कर। यह उसमें नहीं मालूम कि कितने अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के थे। जो उम्मीदवार मनोनीत किये गये, उनकी संख्या ९७ है जो लगभग ५० प्रतिशत के है। मुझे खुशी होती अगर दूसरे जिलों में भी यही प्रतिशत रखा जाता। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह मनोनीत किये गये उनमें १८ प्रतिशत का अनुपात क्यों नहीं रखा गया, उसमें क्या दिक्कत थीं, उसके क्या कारण थे? श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज अनुसूचित और पिछड़ी हुयी जातियों का मनोबल गिराने की क्यों कोशिश की जा रही है, उनके हक हकूक को छीनने की क्यों कोशिश की जा रही है? अगर ऐसी परम्परा चलती रही तो उन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये लोगों की अवस्था कैसी होगी, इस पर आप स्वयं विचार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को यहां उठाने की अनुमति दे कर आपने पूर्वी जिलों पर बड़ी कृपा की है। उन्हीं पूर्वी जिलों से पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी व डिप्टी मिनिस्टर साहब भी चुन कर आते हैं तो उन गरीब लोगों के लिये यह आधार क्यों रखा गया, इस बारे में सरकार अपना मत व्यक्त करे।

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)––

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कुछ गलत फहमी हो गयी है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा था उसका उन्हें स्वयं ही ध्यान नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि उस प्रश्न को फिर पढ़ कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशभान]

सुना दूं। वह इस प्रकार है---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बनारस, बलिया, गाजीपुर और जौनपुर में कितने-कितने व्यक्ति एच० टी० सी० और जे० टी० सी० में सरकार द्वारा नामजद किये गये हैं तथा कितने आवेदन-पत्र आये थे ?

अब तक एच० टी० सी० और जे० टी० सी० की ट्रेनिंग में चुनाव के प्रधानतया दो तरीके हैं। बहुत बड़ी संख्या में तो लोग जिलों से चुन कर आते हैं। जिलों में उसकी व्यवस्था है।

श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, मैंने सरकार से तीन प्रश्न पूछे थे। जरा ७ और ८ को भी पढ़ दिया जाय।

श्री केशभान---

एक बहुत बड़ी संख्या प्रापर चेनल से भरती होकर आने वालों की है और सरकार द्वारा बहुत कम मनोनीत किये जाते हैं। ऐजूकेशन कोड में यह नियम है कि प्रापर चेनल से चुनकर आये हुये लोगों का छठवां भाग परिगणित जाति के लिये सुरक्षित रखा जाता है। अगर परिगणित जाति में से उतने लोग पूरे नहीं मिलते हैं तो बैकवर्ड में से उसको पूरा किया जाता है। यह प्रापर चेनल से आने के लिये है। लेकिन यहां जो सूचना मांगी गयी थी वह प्रापर चेनल से आने वालों की नहीं मांगी गयी थी। केवल उत्तर की सूचना मांगी गई थी जिनका सरकार मनोनयन करती है। जिलों से जो चुनकर आते हैं उनमें उस संरक्षण का ध्यान जिले वालों ने रखा होगा। अगर उसके बारे में माननीय सदस्यों को कोई शिकायत कहीं किसी खास जिले के बारे में हो, तो वहां देखा जा सकता है कि वहां पर नियमों का पालन किया गया या नहीं।

अब रह गया मनोनयन का सवाल। तो सरकार को यह अधिकार है कि जे० टी० सी० के मामले में प्रत्येक कालेज के पीछे ५ स्टाइपैंड, नार्मल स्कूलों के लिये भी ५ स्टाइपैंड का अधिकार सरकार को है अगर और वह चाहे तो और भी कर सकती है। प्रत्येक कालेज के लिये ५-५ ही हो, यह जरूरी नहीं है। एक मनोनयन शिक्षा निदेशक के द्वारा भी किया जाता है। अब एक में भी छठवां भाग और ५ में छठवां भाग पूर्णांक नहीं होता है। इस प्रकार से नियमों में यह नहीं रखा गया है कि मनोनयन में कोई रिजर्वेशन किया जाय। इससे यह विदित होता है कि जो प्रापर चेनल से आते हैं उनमें छठवां भाग वे चुनकर आये होंगे। यहां पर यह सोचा गया कि विविध कारणों से सरकारी मनोनयन की बात हो सकती है। इसलिये इस में परिगणित जातियों का संरक्षण नहीं रखा। लेकिन यद्यपि नियमों में ऐसा नहीं है फिर भी १८ नहीं, तो १५ या १६ प्रतिशत परिगणित और पिछड़ी जाति के लोग चुन कर आ ही जाते हैं।

इसका कोई नियम नहीं है लेकिन इसका ख्याल किया जाता है कि वे आवें। यहां पर कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मांगे जाते हैं, और न उसके लिये कोई विज्ञप्ति होती है, न उसके लिये कोई तारीख मुकर्रर होती है और न प्रार्थना-पत्र देने के लिये कोई प्रोफार्मा ही बना हुआ है। किसी ने अपना क्वालिफिकेशन दे दिया तो दे दिया, किसी का पूरा इनफारमेशन आता नहीं है। तो इसलिये उनके बारे में कोई रिकार्ड यहां पर नहीं रखा जाता कि कौन परिगणित है। कुछ के बारे में सूचना रहती है जोकि दिये होते हैं और कुछ के बारे में सूचना नहीं रहती है। इसलिये सरकार द्वारा जो यहां से मनोनयन होता है उसमें परिगणित जाति का कोई रेकार्ड नहीं रहता है, इसलिये परिगणित जातियों के बारे में कोई सूचना यहां पर नहीं दी जा सकती है। लेकिन मनोनयन करते वक्त सरकार इस बात पर विचार करती है कि परिगणित जाति के तथा पिछड़ी जाति के लोगों का चुनाव हो जाय। चूंकि सरकार के पास इसका कोई पूरा रिकार्ड नहीं रहता है जिससे बतलाया जा सके कि कितने परिगणित जाति के लिये गये लेकिन चुनाव करते समय यथासंभव विचार किया जाता है कि उनकी सीटें सुरक्षित रखी जायं। अब कौन परिगणित जाति का है और कौन परिगणित जाति का नहीं है, इसकी पूरी सूचना नहीं है इसलिये मनोनयन करते समय सब विचार में नहीं आ सकता है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को जहां तक मैं समझ पाया वह यह कि माननीय मंत्री जी ने इस सवाल के ऊपर मेरी गलतफहमी को दूर करते-करते जिले के स्तर पर जे० टी० सी० और एच० टी० सी० के जो चुनाव किये गये हैं इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया। मूल प्रश्न में सरकार से सीधा-सीधा पूछा गया है और इसका सीधा-सीधा सम्बन्ध सरकार की पालिसी से है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन ८ जिलों में जिनका इन प्रश्नों से सम्बन्ध है, कुल कितने अभ्यर्थी जे० टी० सी० के लिये गये और कितने अभ्यर्थी एच० टी० सी० के लिये गये और टोटल में परिगणित जाति व बैकवर्ड क्लास के अभ्यर्थियों का परसेंटेज क्या है?

श्री केशभान—

जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया कि यहां से जिनका मनोनयन किया गया उनकी सूची में जाति का विवरण मेरे पास नहीं है। मान लीजिये कि यहां से सरकार ने १०० को मनोनयन किया तो कहीं तो ७० ने ज्वाइन किया, कहीं ६० ने ही ज्वाइन किया।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जो मनोनीत किये गये, उनकी तादाद कितनी है?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब तो वे पहले ही दे चुके हैं कि जातियों का रेकार्ड उनके पास नहीं रहता। इसलिये वे इसका जवाब नहीं दे सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि मुख्य सचिव की तरफ से हर डिपार्टमेंट को इस बात की सूचना दी गयी है कि कम से कम १८ प्रतिशत जगहें परिगणित जाति के लिये सुरक्षित रखी जायं? यदि हां, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ८ जिलों में जो ६२० जे० टी० सी० के लिये चुने गये और ४२ एच० टी० सी० के लिये, चुने गये इस तरह से कुछ ६६२ में से कुल कितने परिगणित जाति के हैं?

श्री केशभान—

नामिनेशन के सम्बन्ध में मैंने कहा कि हमारे पास जाति का रेकार्ड नहीं है। इसलिये नहीं बतला सकता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इस बात की आम शिकायत है कि शिक्षा विभाग में हर जगह परिगणित जाति के लोगों को १८ प्रतिशत रखने के सरकारी आदेश का पालन नहीं होता है, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस प्रकार का आदेश देंगे कि कम से कम उसकी हर सर्विस में परिगणित जाति व बैकवर्ड क्लास के लोग लिये जायं?

श्री केशभान—

शिक्षा विभाग की सर्विस के बारे में जो कुछ कहा गया है, हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी है जिस से हम यह कह सकें कि जो संरक्षण प्राप्त है उसके अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती। अगर किसी विशेष सर्विस के बारे में कोई शिकायत हो, अगर किसी खास जिले एवं स्थान के बारे में कोई शिकायत हो तो उसके सम्बन्ध में जांच करा कर हम सूचना दे सकते हैं कि . . . वहां पर क्यों नियम का पालन नहीं किया गया। बाकी हमें तो विश्वास है कि नियम का पालन करते हैं और शिकायत नहीं आई और अगर आती तो अवश्य ही कुछ कार्यवाही की गई होती।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि एच० टी० सी० तथा जे० टी० सी० में जो नामिनेशन होते हैं उनमें १८ प्रतिशत की व्यवस्था है लेकिन सरकार का जो जी० ओ० है उसमें बाद में यह भी लिखा है कि इन्टरेस्ट आफ बैकवर्ड क्लासेज शुड आलशो बी टेकिन इन्टू कन्सीडरेशन। लेकिन होता यह है कि हरिजनों को तो संरक्षण मिल जाता है लेकिन जो बैकवर्ड और पिछड़ी जातियां हैं उनका इन्टरेस्ट वहां से गार्ड नहीं होता। तो क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उनकी हालत बहुत खराब है तो जिनकी योग्यता है उनको प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में उनके लिये कोई आदेश जारी किये जायेंगे ?

श्री केशभान—

जो संरक्षण दिया जा चुका है उसका पालन होता है और चुनाव करने वाले अधिकारी स्वयं अपने विवेक से उनका ख्याल रखते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मंत्रियों द्वारा जो नामिनेशन किये गये उनमें परिगणित जाति के लोगों के अनुपात का क्यों ख्याल नहीं किया गया ?

श्री केशभान—

मैंने केवल यह कहा कि सरकार द्वारा जो नामिनेशन हुये हैं उनमें कोई संरक्षण का नियम नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैकवर्ड और परिगणित जातियों के लोगों को भी सुविधा दी जाय। इसका ख्याल नहीं किया जाता और यह भी नहीं है कि उसमें सब सवर्ण के ही भेजे जाते हैं और जो लोग भेजे जा चुके हैं। उनका रेकार्ड हमने मंगाया है, कुल संख्या ८१ जिसमें से ४० ने ज्वाइन किया और उनमें सें साढ़े १६ प्रतिशत इन जातियों के हैं। सरकार की नीति यह नहीं है कि उनका नामिनेशन न किया जाय, वह अपने विवेक से करती है और उनके हित को भी ध्यान में रखती है।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

मंत्री जी ने अभी बताया कि इतने भेजे गये और इतने ज्वाइन किये, तो वह जरा भेजने का भी प्रतिशत बता दें कि कितने प्रतिशत उन्होंने नामिनेशन करके भेजे ? वह बता दें कि किस रेशियों में उनके द्वारा वह भर्ती किये गये ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि इसका रेकार्ड उनके पास नहीं है, वह बता नहीं सकते लेकिन भेजे जरूर गये हैं। उनके पास अलग जातियों के हिसाब से रेकार्ड नहीं है।

श्री छांगुर—

जब इन नामिनेशन करने वाले लोगों का यह रेकार्ड नहीं है कि कितने किस वर्ग के हैं और कितने हरिजन या गैर हरिजन हैं तो क्या सरकार बतायेगी कि जब यह नामिनेशन किये गये तो उस वक्त यह ध्यान नहीं किया गया कि उनका रिजर्वेशन पूरा हो रहा है या नहीं ?

श्री केशभान—

मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि यहां पर अगर सौ दरख्वास्तें आती हैं तो उनमें से हर एक पर यह नहीं लिखा होता है कि मैं फला जाति का हूं, कोई लिख देते हैं और बहुत से जाति नहीं लिखते, हो सकता है कि बहुत से सवर्ण भी हों और उन्होंने जाति न लिखी हो, तो उन सौ में से कुछ ने जाति नहीं लिखी और कुछ ने जाति लिखी। मैं परिगणित जाति का हूं, पालिटिकल सफरर हूं जहां कहीं ऐसे मसले मिले उन पर विचार किया गया और उनको प्रिफरेन्स देने की कोशिश की गयी। जब सरकार से प्रश्न पूछा जाता है कि कितने नामिनेट किये गये, तो ठीक उत्तर तभी दिया जा सकता है जब सबके फार्म्स को देखा जाय। क्योंकि वे प्रोफार्मा की तरह से नहीं भरे होते, इसलिये निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि जितने मनोनीत किये गये उनमें

कितने परसेन्ट बैकवर्ड क्लास के हैं। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उन्हीं से पूछ कर सूचना मंगाई जा सकती है कि वह बैकवर्ड हैं, अनुसूचित हैं। यहां से अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री जी कृपा पूर्वक बतलायेंगे कि जब संविधान में निर्देश दिये हुये हैं कि उनका विशेष तौर से ख्याल किया जायगा। परिगणित जाति के लोगों का, तो माननीय मंत्री जी को उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये तो क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया? यहां कहा जाता है कि जात-पांत का विचार नहीं किया जाता है तो आजमगढ़ में राय लोगों के साथ क्या किया गया है ?

श्री केशभान—

आजमगढ़ में राय लोगों का क्या परसन्टेज है अगर यह बतलाया जाय, तो माननीय सदस्य की आंखें खुल जायेंगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

जो मनोनयन मिनिस्ट्री लेविल से होता है तो जो लोग मनोनीत किये गये हैं और एच० टी० सी० के लिये मनोनीत किये गये हैं उनमें जूनियर हाई स्कूल पास लोग भी लिये गये हैं ?

श्री केशभान—

मनोनयन में जूनियर हाई स्कूल लोग भी हैं।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

एच० टी० सी० के लिये जो मनोनयन होता है उसमें मनोनीत करने का आधार क्या है ?

श्री केशभान—

कितने परिगणित जाति के हैं, कितने पिछड़ी जाति के हैं, कितने पोलिटिकल सफरर हैं, उनकी योग्यता क्या है ? वैसे बहुत से प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जाता है।

एक सदस्य—

कई मर्तबा मैं खड़ा हुआ लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी बुला लूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री उस उत्तर को देखने की फिर से कृपा करेंगे और जो वक्तव्य है उसे भी देखने की कृपा करेंगे ? उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को जाति-पांति पर नहीं लिया जाता है इसलिये अनुसूचित जातियों का सवाल नहीं उठता और अब उत्तर में कह रहे हैं कि सब चीजों पर गौर करके तब मनोनयन किया जाता है। तो जो मनोनयन हुआ है क्या उसकी फिर से जांच करायेंगे कि किस आधार पर मनोनयन हुआ है ?

श्री केशभान—

मैंने बतलाया कि अभ्यर्थियों को जाति-पांति के आधार पर मनोनयन नहीं किया जाता है। यहां रेकार्ड नहीं रखा जाता है। जैसा पहले बतलाया किसी ने लिख दिया कि पिछड़ी जाति का वह है या परिगणित जाति का है, तो उसकी योग्यता अगर दूसरे के मुकाबले में कम भी होती है तो उसका ख्याल किया जाता है। फर्स्ट डिवीजन या सैकिन्ड डिवीजन नहीं थर्ड डिवीजन है तो भी ख्याल किया जाता है कि उसको रख लिया जाय। यह मतलब है। जब विचार किया जाता है तो जितनी जानकारी हो जाती है उस पर कन्सीडरेशन किया जाता है।

श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि जिले में कोई सदस्य पूछे तो बतलायें, तो मिर्जापुर में १८३ में ९७ और २३ में ४ और गाजीपुर में २८ जे० टी० सी० की दरख्वातें थीं जिन में से ४, तो यह किस आधार पर किया गया ?

श्री केशभान—

श्रीमन्, आधार की तो चर्चा कर ली गई है ।

श्री छांगुर—

जैसा उन्होंने बताया कि जो प्रार्थना-पत्र आये उनमें जाति नहीं लिखी थी लेकिन उन्होंने बताया कि १५, १६ परसेन्ट के करीब आ जायगा । तो क्या उन्होंने यह कोशिश की कि जिसमें जाति लिखी हुई है कि हम परिगणित जाति के हैं उनमें से मनोनीत करके पूरा किया जाय ?

श्री केशभ न—

मैंने केवल जे० टी० सी० की चर्चा की थी । उसमें प्रविष्ट की सूचना मेरे पास है । इस सिलसिले में कुछ सूचना मंगायी गई थी उसी के आधार पर मैंने कहा ....

श्री कल्पनार्थसिंह—

यह तो सेक्रेटरियेट लेविल की सूचना है, मंगाने का क्या सवाल है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप जवाब तो देने नहीं देते ।

श्री केशभान—

जिन्होंने ज्वाइन कर लिया । उनका बताया है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैंने शुरू में ही यह कहा कि यह प्रश्न सीधे-सीधे सेक्रेटरियेट लेविल पर यहां जैसा मंत्री महोदय लोगों ने किया है एच० टी० सी० और जे० टी० सी० का, उससे सम्बन्ध रखता है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बात से इस सदन को अश्वस्त करेंगे कि कितने बैकवर्ड या अनुसूचित जाति के लोगों ने अपनी दरख्वास्तों पर लिखा है कि हम बैकवर्ड या अनुसूचित जाति के हैं उन सभी को ले लिया गया है उनका कोटा पूरा करने के लिये ?

श्री केशभान—

अब भी मैं कहता हूं कि सरकार ने कोई निश्चित नियम नहीं बनाया है । जैसा कि एक उदाहरण आ जाता है कि शिक्षा निदेशक को प्रत्येक कालेज में एक चुनाव करने का नियम है । तो उस १ में से १/६ कहां से करेंगे । इसलिये यह नियम नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने पहले ही बतलाया बहुत से फैक्टर्स पर विचार किया जाता है, केवल यही एक तथ्य नहीं रहता जिस पर विचार किया जाता है । उसकी जो रेलीवेन्ट इम्पार्टेन्स रहेगी अन्य फैक्टर्स के साथ उस पर निपटारा होता है ।

श्री कैलाश—

क्या दर्वा फेल विद्यार्थी भी एच० टी० सी० में लिये गये हैं ?

श्री केशभान—

जहां तक मेरी सूचना है दर्वा फेल कोई नहीं लिया गया है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

जब संस्कृत प्रथमा पास, मध्यमा पास भी एच० टी० सी० और जे० टी० सी० अभ्यर्थियों के लिये योग्यता है तो उनमें से किसी को क्यों नहीं नामजद किया गया, इसका कारण क्या है ? मैंने स्वयं एक दरख्वास्त दी थी बस्ती जिले की, उसको नहीं लिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक आदमी को नहीं लिया, इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई नहीं लिया गया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जब हमने एच० टी० सी० के लिये यह निर्देश दिये हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडियेट को प्राथमिकता दी जाय, तो सरकार ने मनोनयन करते समय एच० एस० को क्यों किया ?

श्री केशभान—

जो जिले से चुन कर आये थे उनके लिये आदेश दिया गया था। लेकिन आवश्यकता पड़ सकती है कि हाई स्कूल और इंटरमीडियेट से कम योग्यता के लोगों को भी विशेष परिस्थितियों में चुना जाय। इसलिये सरकार मनोनयन कर सकती है उन लोगों को जो न आ सकते हों चुनकर। जहां हाई स्कूल और इंटर न मिलते हों और पिछड़े लोग हों, तो कम योग्यता वालों को भी ले लिया जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सुल्तानपुर जिले के बैजनाथ सिंह विद्यार्थी को जो एच० एस० नहीं है, उसको एच० टी० सी० में मनोनीत किया गया है ? ऐसी कोई सूचना मंत्री जी के पास है ? यदि नहीं, तो मंत्री जी इसकी जांच करा के सदन को सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री केशभान—

माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो जांच की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल १०–३० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३३ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्तल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर-प्रदेश।

लखनऊ :
४ अप्रैल, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८४३ पर)

राइफल क्लब, गोरखपुर द्वारा सन् १९६१–६२ में खरीदे तथा वितरित किये गये कारतूसों का विवरण

व्यक्ति का नाम, जिसे कारतूस बेचे गये		व्यक्ति का लाइसेंस नम्बर	बेचे गये कारतूसों की संख्या	अतिरिक्त सूचना, दिनांक १–४–६२ से ३०–११–६२ तक दिये गये कारतूसों की संख्या
१—सर्वश्री मोहम्मद सफी	..	१२९६	१५०	१००
२—जगदीशप्रसाद दुबे	..	४१५९	१००	२००
३—नाग नारायण सिंह	..	३४७९	१००	४००
४—डा० विक्टर इगन	..	१५४७	१००	१००
५—दिनेश कुमार पांडेय	..	१६९०	३००	६५०
६—डी० आर० नागिया	..	३१८	१००	३००
७—डा० काजी अमीनुल्ला	..	१२९०	५००	१०००
८—एच० एन० सरकार	..	११९८	२००	..
९—विजय सिंह	..	१३०७	३००	६००
१०—पतेश्वरीप्रसाद मिश्रा	..	१२२८	१००	१००
११—बी० पी० गुप्ता	..	३०६४	३००	३००
१२—राम प्यारे मल	..	२६०९	२००	३००
१३—डब्लू० बी० इंसराज	..	२६९८	२००	१००
१४—डा० एन० बी० मल	..	३०७३	३००	६००
१५—जे० एस० एम० डूमंड	..	१८२३	५०	..
१६—गिरीश चन्द	..	६६१	२००	..
१७—मुहम्मद फैज	..	३२२६	२००	..
१८—रामानन्द	..	११५२	१००	..

परिशिष्ट 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४७ पर]

Serial no.	Name of the Society	Industry	Loan	Grant	Total
1	Gramin Tel Udyog, Sahkari Samiti Ltd., Saghan Chhetra, Ajgara;	Village Oil Industry.	..	1,240	1,240
2	Chawal Udyog Sahkari Samiti Ltd., Arbi Kalan	Handpounding of paddy.	..	1,113.92	1,113.92
3	Sarvodaya Mandal Sahkari Samiti Ltd., Bhatiya.	Ditto	..	1,201.68	1,201.68
4	Dhan Kuttai Udyog Sahkari Samiti Ltd., Indrapura.	Ditto.	..	1,085.31	1,085.31
5	District Industries Officer, Varanasi.	For Training under Gur Khandsari Industry.	..	7,000.00	7,000.00
6	Gramin Tel Udyog Sahkari Samiti Ltd. Gaurakalan, Varanasi.	Village Oil Industry.	2,000	2,640	4,640.00
	Total	..	2,000	14,280.91	16,280.91

परिशिष्ट 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५५ पर]

Item no. (6)

Consideration of the cases of Senior Assistants for the post of fertilizer Inspector.	The committee has considered the case of the temporary appointment of a qualified and deserving candidate for the post of Fertilizer Inspector. The post is of some importance nature and should go, as a matter of fact, to one who is at least a graduate with office experience and capacity for hard work on out-dooer duty. Keeping in view all these things the Committee considers Sri Ram Naresh Singh, B. Sc. (ag.) fit for the post. Let him work as Fertilizer Inspector in the vacancy caused as a temporary hand.

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५-३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६५ पर)

विवरण-पत्र 'क'

थाना चकिया, जिला वाराणसी में नवम्बर, दिसम्बर, १९६२ के अन्दर चोरी तथा नकबजनी का विवरण

क्रम सं०	अपराध	रिपोर्ट हुई	जांच की गई	चालान किया गया	फाइनल रिपोर्ट	विशेष विवरण
१	चोरी	१६	५	२	३	११ मुकदमें विवेचना रहित थे । जो मामूली धान की फसल की चोरी के विषय को जो कि वास्तव में दीवानी के मुकदमें थे, बनाकर पुलिस के हस्तक्षेपीय बनाने की गरज के किये गये थे ।
२	नकबजनी	११	१०	२	८	एक मुकदमा विवेचना रहित रहा ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६५ पर)

विवरण-पत्र 'ख'

थाना चकिया के गांव कनेरा में नवम्बर, दिसम्बर में घटित नकबजनी के मामलों का विवरण

क्र० सं०	भा० द० वि० धा० जिसके अन्तर्गत अपराध दर्ज हुआ	किस तिथि को रिपोर्ट लिखाई गई	रिपोर्ट लिखाने वाले का नाम व पता	घटना का विवरण	की गयी कार्यवाही
१	धारा ४५७ भा० द० वि०	३-११-६२	सूचना द्वारा चौकीदार सोहन, ग्राम कनेरा, वादी श्री बब्बन सिंह पुत्र मथुरासिंह, ग्राम कनेरा।	वादी के पिता श्री मथुरा सिंह ने वादी की अनुपस्थिति में चौकीदार सोहन द्वारा सूचना करायी कि न जाने किस तरीके से भंडार घर से कपड़ा व नकद चोरी हो गया है। वादी के आने पर चोरी गये माल का विवरण मालूम होगा।	विवेचना से चोरी बाहरी आदमी की की हुई नहीं मालूम हुई, अपितु घर के अन्दर के व्यक्तियों की पारिवारिक नाइत्तफाकी की वजह से होना मालूम हुई और दि० ३१-१२-६२ की अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।
२	धारा ४५४ भा० द० वि०	१४-१२-६२	श्री बनवारी पुत्र चतुरी, सा० कनेरा, थाना चकिया।	वादी तथा उसकी पत्नी घर में ताला बन्द करके बाहर गये थे। थोड़ा दिन रहने पर वापस आये तो देखे कि ताला खुला हुआ है और आभूषण चोरी हो गये थे।	यह चोरी भी उन आभूषणों की, जो दूसरे व्यक्ति के थे और वादी के यहां रखे थे हड़पने की नियत से यह रिपोर्ट लिखाई पाई गई। दि० ३१-१२-६२ को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५९ एल० ए० (प्रो०)—१९६३—८४५।